लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड ३२, १९५९/१८८१ (शक)

[३ से १४ अगस्त १९५९/१२ से २३ श्रावण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला—खण्ड ३२—अंक १ से १०—३ अगस्त १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक) से १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)]

अंक १—सोमवार, ३ अगस्त, १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ३, ४५, ४, ५, ७ से १२, ४३ और १३ से १५	२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	२६—४२
तारांकित प्रश्न संख्या ६, १६ से ४२, ४४, ४६ और ४७ . .	
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४७ और ४९ से ७५ . .	४२—७३
निधन सम्बन्धी उल्लेख—	
स्थगन प्रस्ताव—	
१. केरल	७४–७५
२. चीनी का संभरण	७६–७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७७—८३, ९०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	८३
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (संशोधन)—विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
विधेयकों पर साक्ष्य	८४
तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर की शुद्धि	८४—८५
भारत पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य	८५—८७
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पद सम्बन्धी समिति	८७—८८
समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवदन क उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८८—८९
शस्त्र विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८९

पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित—

(१) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ८९

(२) वक्फ़ (संशोधन) विधेयक ९०

(३) सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) संशोधन विधेयक ९०

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक ९१—११८

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११७

खण्ड १ से १३ ११७-१८

पारित करने का प्रस्ताव ११८

काम दिलाऊ दफतर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ११८—२६

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन १२६

दैनिक संक्षेपिका १२७—३६

अंक २—मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९।१३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४८ से ६० , ६२, ६३ . . . १३७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१, ६४ से १०३ . . . १६१—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ से १५८ . . . . १८२—२१२

प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि २१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१९—२३

तारांकित प्रश्न संख्या १७७० के उत्तर की शुद्धि २२३-२४

रेलवे महाखण्डों के लिये मंत्रणादाता समितियों के बारे में वक्तव्य २२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन २२५

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक २२६—४२

विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से १० और १ २३५—४२

पारित करने का प्रस्ताव २४२

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक २४२—६५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—

दैनिक संक्षेपिका २६५—७६

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, ५ अगस्त, १९५९।१४ श्रावण, १८८१ (शक)

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १०४ से १०९ और १११ से १२० ... २७७–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१ से १५४ ... ३०३–३२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६९, १७१ से २४८ और २५० से २५७ ... ३२१–६८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ... ३६८–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ३७३–७७

विधेयक पर राय ... ३७७

कलिंग एयर लाइन्स के डकोटा की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ... ३७७–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ३७८

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर की शुद्धि ... ३७९

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—,

खण्ड २ से ४१ और १ ... ३७८–४०९

पारित करने का प्रस्ताव ... ४०९

दहेज निषेध विधेयक ... ४०९–४२०

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—

बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा ... ४२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ... ४२६–३६

अंक ४—गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९।१५ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १५५, १५६, १५८ से १६५, १९२ और १६६ से १७० ... ४३७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७, १७१, से १९१ और १९३ से २०० ... ४६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से ३३६ ... ४७३–५०७

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत में भारतीय व्यापारी ... ५०७–०९

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ... ५०९–१०

विषय सूचि (क्रमशः)

सभा पटल में रखे गये पत्र ५१०–११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता ५११–१२

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ५१२–१३

दहेज निषेध विधेयक ५१३–४७

भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ५४७–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–७२

अंक ५—शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९।१६ श्रावण १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या २०१ से २०५ और २०७ से २१९ ५७३–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०६ और २२० से २४० ५९७–६०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ४२१ ६०७–४७

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६४७

स्थगन प्रस्ताव—[1]

(१) पश्चिम खान देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की गिरफ्तारी ६४७–४८

(२) पांडिचेरी की स्थिति ६४८–४९

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बार में ६४९–५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६५७–५९

सभा का कार्य ६५९

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—पुरस्थापित ६५९

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव ६६०–७१

सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ६७१–७२

खंड १ से ४ ६७२

पारित करने का प्रस्ताव ६७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

छियालीसवां प्रतिवेदन ६७३

विषय सूची (क्रमशः) पृष्ठ

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प—
वापस लिया गया ६७३—९५
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६९५
दैनिक संक्षेपिका ६९६—७०२

अंक ६—सोमवार, १० अगस्त, १९५९।१९ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २४१, २४२, २४४ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २५८ ७०३—२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५५, २५९ से २८५ ७२९—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२ से ४४८ और ४५० से ५१४ ७४३—९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९२—९६
शस्त्र विधेयक ७९६
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य
दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में वक्तव्य ७९६—९७
पांडिचेरी की स्थिति के बारे में वक्तव्य ७९७—९८
समिति के लिए निर्वाचन ७९८
राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिए केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड—
सभा का कार्य ७९८
सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९८—८३९
कार्य मंत्रणा समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन ८३९
दैनिक संक्षेपिका ८४०—४९

अंक ७—मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९।२० श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २८६—२९७, ३००, ३०१ और ३०४ ८५१—७६

विषय सूचि—(क्रमशः) पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६८, २६६, ३०२, ३०३ और ३०५ से ३३१ ८७६–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१५–५६६, ५६८ और ५६६ ८६०—६२२

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान ६२२–२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६२३–२४

सदस्य की रिहाई ६२४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में याचिका ६२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

तिब्बत में भारतीय राष्ट्रजन ६२५–२६

सभा का कार्य ६२६

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन ६२७

वक्फ (संशोधन) विधेयक ६२७—३४

विचार करने का प्रस्ताव ६२७—३३

खण्ड २ से ४ और १ ६३३–३४

पारित करने का प्रस्ताव ६३४

राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ६३४—४६

विचार करने का प्रस्ताव ६३४—४६

खंड २ से १७ और १ तथा पहली और दूसरी अनुसूची ६४६

पारित करने का प्रस्ताव ६४६

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक ६५०—५५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ६५०—५४

खंड २ से १० और १ ६५४

पारित करने का प्रस्ताव ६५५

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक ६५५—६६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव, ६६७—७४

दैनिक संक्षेपिका

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, १२ अगस्त, १९५९।२१ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३३४ से ३४५, ३४७, ३४९ और ३५१ ... ९७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... १०००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६, ३४८, ३५० और ३५२ से ३८० ... १००२—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ७०७ ... १०१६—६२

स्थगन प्रस्ताव—

१. पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य ... १०६२—६३

२. लंका पुलिस द्वारा बेटन चार्ज ... १०६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... १०६६

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित ... १०६७

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक ... १०६७—७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव ... १०६७—७०

खण्ड २ से ६५ और १ ... १०७०—७४

पारित करने का प्रस्ताव ... १०७५

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक ... १०७६—९५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव ... १०७६—९३

खण्ड २ से ३६ और १ ... १०९३—९४

पारित करने का प्रस्ताव ... १०९४—९५

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ... १०९५—११०१

दैनिक संक्षेपिका ... ११०२—०९

अंक ९—शुक्रवार, १३ अगस्त, १९५९।२२ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न* संख्या ३८१, से ३८७, ३८९ से ३९३, ३९५ और ३९६ ... ११११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८८, ३९४ और ३९७ से ४३३ ... ११३४—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ से ८०४ ... ११५१—९०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ... ११९०

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ११६०—६३

(१) लद्दाख, सिक्कम और भूटान की मुक्ति के बारे में चीन का कथित वक्तव्य ।

(२) आयात किये गये गहूं का दूषित हो जाना

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११६३—६४

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें ११६४

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका ११६५—१२०६

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक

विचार के लिये प्रस्ताव

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १२०६—२४

दैनिक संक्षेपिका १२२५—३२

अंक १०—शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३४ से ४३९, ४४२ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ से ४५४ १२३३—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४०, ४४१, ४४७, ४५१ और ४५५ से ४६० १२५८—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८८२ और ८८४ से ८८६ १२७७—१३०९

स्थगन प्रस्ताव १३१०

लंका की पुलिस द्वारा कुछ भारतीय राष्ट्रजनों पर बटेन चार्ज के बारे में लंका के प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३१०

सभा का कार्य १३११—१२

कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १३१३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३१४—१६

काश्मीर की बाढ़ के समय भारतीय सेना की सहायता १३१३

चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव १३१६—४८

विधेयक पुरस्थापित १३४८—५१

(१) श्री प्रकाश वीर शास्त्री का पिछड़ी जातियों (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, १९५९ ।

विषय सूचि (क्रमशः)

पृष्ठ

(२) श्री अजित सिंह सरहदी का विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९ (**धारा २४ का संशोधन**)

(३) श्री अजित सिंह सरहदी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (**धारा ८१, ८२, ८६ और ११६-क का संशोधन तथा धारा ८८ और ८९ का लोप**)

(४) श्री अजित सिंह सरहदी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक, , १९५९ (**धारा ४८८ का संशोधन**)

(५) श्री झूलन सिह का अनुचित विलम्ब और भ्रष्टाचार की पूर्वधारणा विधेयक, १९५९ ।

(६) श्री त० ब० विट्ठल राव का कैथोलिक चर्च परिसर तथा पादरी संघ (राजनैतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५९ ।

(७) श्री त० ब० विट्ठलराव का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (**नई धारा ७ : क का रखा जाना**) ।

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक — १३५१

राय जानने के लिये नियत समय को बढ़ाने का प्रस्ताव

समान पारिश्रमिक विधेयक — १३५२—५५

परिचालित करने का प्रस्ताव

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक — १३५५—५७

(धारा १०७, १०९ और ११० का लोप तथा धारा १६१ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव — १३५७—७८

दैनिक संक्षेपिका — १३७८—८६

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरू वार, १३ अगस्त, १९५९

२२ श्रावण, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

†*३८१. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पाणिग्रही :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सिद्दय्या :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तंगामणि :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां देने का काम केन्द्रीय सरकार ने किन कारणों से १९५९-६० से राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को दे दिया है;

(ख) क्या छात्रवृत्तियां देने के मामले में राज्य सरकारों का कोई मार्गदर्शन किया गया है ?

(ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों पर इस मामले में किस प्रकार का नियंत्रण करेगी; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को किन आधारों पर आवंटन किया जायगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस योजना के अधीन छात्रवृत्तियों की राशियों का शीघ्र वितरण करने, तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के अधीन छात्रवृत्तियां

†मूल अंग्रेजी में

168(Ai) LSD—1

देने के दोहरे काम को बचाने की दृष्टि से देश के भीतर पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का काम राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रीय प्रशासनों को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) (१) राज्य सरकारों / संघीय क्षेत्रीय प्रशासनों को भारत सरकार को त्रैमासिक प्रतिवेदन देकर काम की प्रगति बतानी होगी;

(२) योजना के लेखे की परीक्षा सामान्य रूप से राज्य के सामान्य लेखापाल तथा लेखा-परीक्षक करेंगे;

(३) भारत सरकार नियम बना देगी ताकि समस्त राज्यों में विनियमों की एकरूपता रहे;

(घ) इस समय आवंटन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :—

देश के भीतर की छात्रवृत्तियों के लिये, जो धन उपलब्ध है, पहले तो उसे देश के भीतर की छात्रवृत्तियों पर १९५८-५९ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये व्यय के आधार पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में बांट लिया जाता है । फिर इस प्रकार विभक्त धन को राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रीय प्रशासनों के बीच छात्रवृत्तियां देने के प्रयोजन से वितरित कर दिया जाता है । यह राशि उसी अनुपात से वितरित की जाती है जो कि उस विशेष राज्य के अनुचित जातियों की जनसंख्या एवं भारत की कुल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में होता है ।

कतिपय: राज्यों ने इस मामले पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की है और हम दोबारा इसी विषय पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री रा० च० मास्री** : कुछ विद्यार्थी अपने राज्यों से बाहर पढ़ते हैं । उन्हें किस राज्य की सरकार छात्रवृत्ति देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आखिर वह किसी राज्य के रहने वाले तो होंगे ।

†**श्री रा० चं० माझी** : जो विद्यार्थी अपने राज्यों से बाहर पढ़ते हैं उन्हें किस राज्य की सरकार छात्रवृत्तियां देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह किसी राज्य के निवासी तो होंगे ही । जब वे प्रमाणित होंगे तो उनके आवेदनों पर विचार किया जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि दो राज्यों की सीमा पर रहने वाले किसी पिछड़े परिवार का लड़का दूसरे राज्य के शिक्षा केन्द्र में चला जाय तो उसे किस राज्य की ओर से सहायता मिलेगी । ऐसे मामले बहुत ज्यादा हो गये हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह समस्या पहले तो नहीं थी किन्तु अब उत्पन्न होगी । अब जब कि हम ने इस योजना का विकेन्द्रीकरण कर दिया है अब यह समस्या भी हल करनी होगी । हमारी इच्छा यह है कि किसी भी भाई विद्यार्थी को छात्रवृत्ति से इन्कार न हो । हम इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या केन्द्र ने राज्यों को कोई हिदायत दी है कि छात्रवृत्तियां देने वाली निकाय का निर्माण इस रीति से हो ? क्या इस प्रकार के निकायों में कोई संसद्-सदस्य भी रखे जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बात का निर्णय राज्य सरकारें करेंगी।

†**श्री रा० च० माझी :** अपने राज्य से बाहर के राज्य में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों के लिये क्या आवेदन प्रपत्र बदल दिया गया है या वही प्रपत्र चलेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस प्रश्न पर पूरा पूरा विचार होगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** वक्तव्य से ज्ञात हुआ है राज्यों को उसी अनुपात से धन दिया जायेगा जो कि उनके अनुसूचित वर्गों की जनसंख्या तथा भारत के एतद् वर्गों की जनसंख्या के बीच है। किन्तु कुछ राज्य सरकारें मामले पर पुनर्विचार चाहती हैं और इन्होंने केन्द्रीय सरकार को उसकी सिफारिश भी की है। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारें किस रीति से पुनर्विचार की इच्छुक हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमारे पास राज्य सरकारों ने आवेदन-पत्र भेजा है। हम मामले का परीक्षण कर रहे हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** राज्य सरकारें पुनर्विचार किस आधार पर चाहती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में एक छोटी पुस्तिका क्यों नहीं प्रकाशित करवा देते जिसमें बता दें कि छात्रवृत्तियां इतनी हैं और उनका ब्यौरा यह है। किया तो बहुत जा रहा है। परन्तु प्रचार के न होने के कारण उसकी सराहना नहीं हो रही।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पहले तो बात यह थी कि इनका ब्यौरा अखबारों में छपता था और प्रपत्रों पर तत्सम्बन्धी जानकारी लिखी रहती थी। किन्तु हाल ही में सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस योजना का विकेन्द्रीकरण किया जाय। हम ने वैसा ही कर लिया है और राज्य सरकारों को लिख दिया है कि वे इस आधार पर अनुदान दें। अब यह संभव है कि इस विषय में समस्यायें उत्पन्न हों। अतः भारत सरकार वैसे वैसे उन समस्याओं पर विचार करती रहेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास राज्य सरकारों की ओर से अभ्यावेदन आये हैं और हम उनपर विचार कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे एतद् विषयक जानकारी यहां रखवा दें ताकि संसद् पुस्तकालय से माननीय सदस्य सारा ब्यौरा जान सकें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उठा था और इस पर चर्चा हुई थी। इस पर छात्रवृत्ति बोर्ड में भी चर्चा हुई थी जिसमें संसद् के सदस्य भी होते हैं। मंत्रालय ने अपने आप निर्णय नहीं किया। यह निर्णय राज्य सरकारों से पूरी सलाह करने के बाद ही किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे शीघ्र ही दो चार दिनों में सेंट्रल हाल में संसद् सदस्यों से मिलें और उनकी कठिनाइयां दूर करें। यदि तब भी वे सन्तुष्ट न हों तो मैं इस प्रश्न को लूंगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसी ही सलाह रेलवे मंत्री को दी थी। आगे समाज कल्याण के मामलों में माननीय मंत्रियों को इसी प्रकार से सदस्यों से मिलकर उनकी कठिनाइयां दूर करनी चाहिए और उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे संसद सदस्यों से मिल कर प्रसन्नता होगी।

†श्री तंगामणि : यह विकेन्द्रीकरण इसी कारण किया गया है कि विलम्ब न हो। अब लगभग आधा अगस्त बीत चुका है। क्या मैं जान सकता हूं कि रुपया विभिन्न राज्य सरकारों को बांटा गया है अथवा नहीं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : नहीं श्रीमान्, कुछ राशि को बांटने के लिये कार्यवाही की जा रही है। नयी समस्याओं के कारण मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री से भेंट करेंगे और यदि तब भी संतुष्ट न हुए तब मैं इस प्रश्न को अपने हाथ में लूंगा।

आसाम राइफलमैन तथा मनीपुर पुलिस की भिड़न्त

+

†*३८२. { श्री सूपकार :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री लै० अचौसिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ मई, १६५६ को इम्फाल के स्थान पर आसाम राइफलमैन और मनीपुर पुलिस में भिड़न्त हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो झगड़े का कारण क्या था ;

(ग) कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(घ) क्या कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर हां में है तो पड़ताल से क्या परिणाम निकला है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) तीन नागरिकों समेत २० व्यक्ति घायल हुए थे। पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच हो रही है और आसाम राइफल्स के सैनिकों के विरुद्ध सैनिक न्यायालय में जांच हो रही है।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : भाग (ख) का उत्तर नहीं मिला।

†श्री दातार : उनमें आपसी तनाव था जिस कारण से झगड़ा हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परन्तु अभी जांच जारी है इस करके इस समय वास्तविकता का बताना लोकहित में नहीं होगा।

†श्री सूपकार : जांच में इतनी विलम्ब किस कारण से हुई और क्या इस बीच सरकार ने अपराध का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया है अथवा क्या सरकार जांच से पहले ही अनुशासनिक कार्यवाही करने के योग्य हो सकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** सरकार इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करेगी और इन दोनों पड़तालों से सरकार को तथ्य का ज्ञान हो जायगा कि कौन लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं ?

†**श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या सरकार ने आसाम राइफल्स तथा पुलिस दस्तों के बीच आपसी सहयोग पैदा करने के लिये कोई प्रयास किया है, क्योंकि पहाड़ों में काम करते समय उनके बीच सामान्यतया ऐसे झगड़े होते रहे हैं ।

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार ने विवादों का निपटारा कराने के लिये बीच बचाव आदि जैसा कोई उपाय किया है ?

†**श्री दातार :** सरकार उन पहलुओं पर भी विचार करेगी । हम यह देखेंगे कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मतभेद बिल्कुल समाप्त हो जायें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या घायलों को मुआवजा दिया जायगा ?

†**श्री दातार :** अभी तो यह नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री सूपकार :** जांच पूरी होने में देर क्यों लगी ?

†**श्री दातार :** विलम्ब का कोई कारण नहीं है । यह घटना ९ मई, १९५९ को हुई । मुख्य आयुक्त ने यह पता करना चाहा था कि वास्तविक स्थिति क्या थी । उसके पश्चात् हमने दो विभागीय पड़तालें शुरू करवा दीं । एक तो पुलिस वालों के विरुद्ध हो रही है और दूसरी आसाम राइफल्स के सैनिक के कार्य में । इसलिये विलम्ब का तो प्रश्न हो नहीं उठता ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** जांच समाप्त होने तक इस प्रकार की दुखद घटनाओं की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री दातार :** यही दो पड़तालें शुरू कराई गयी हैं ।

†**श्री त्यागी :** यह बड़ा गम्भीर मामला है । सरकारी दल आपस ही में लड़ें । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना के बाद तुरन्त क्या कार्यवाही की क्योंकि यह तो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकाय के प्रभावहीन और पदच्युत हो जाने की द्योतक है । इससे पता चलता है कि गृह-मंत्रालय अपने ही दलों में शान्ति स्थापित करने में असफल रहा है ।

†**श्री दातार :** इसमें असफलता की कोई बात नहीं है ।

†**श्री त्यागी :** बात तो है ही । पुलिस और सेना की टक्कर बड़ी गम्भीर बात है : भारत में ऐसी बात सुनने में नहीं आयी । यह पहली बार सुना है कि सेना और पुलिस लड़ें और केन्द्रीय सरकार केवल जांच करवाए । मुझे हैरानी है कि उसी दिन, उसी समय वहीं तुरन्त क्यों कार्यवाही न की गयी ।

†**श्री दातार :** क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जांच से पहले ही हम कार्यवाही कर देते ।

†**श्री त्यागी :** हां निस्सन्देह यही करना था । कल्पना करो कल सेना लड़ाई शुरू कर दे—तब भी क्या वे बैठे बिठाये अफसरों के आचरण की जांच करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे आश्चर्य है कि एक ऐसा सदस्य जो काफी समय से संसद् में हों प्रश्न-काल के समय में इतनी बातें कहे। प्रश्नों का अभिप्राय केवल जानकारी प्राप्त करना होता है। अगर यह प्रश्न पूछा जाय कि कार्यवाही तुरन्त क्यों न की गयी तब तो ठीक है किन्तु दूसरी बातें कहना कि सरकार का ढांचा गिर रहा है आदि इस समय संगत नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री दातार :** मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार तथ्यों को जानना चाहती थी। आखिर सरकार ने अनुभव किया कि स्थिति में जांच होनी चाहिये। अतः सैनिकों की जांच सैनिक न्यायालय कर रहा है और पुलिस की जांच विभाग कर रहा है। जांच की समाप्ति के बाद सरकार तुरन्त उपयुक्त कार्यवाही करेगी और अपराधियों को दण्ड दिया जायगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस बीच कोई व्यक्ति मुअत्तिल किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कैसे हो सकता है। मुझे दुख है कि माननीय सदस्य सुझाव देते चले जा रहे हैं। आखिर जांच ही से पता लगेगा कि किस व्यक्ति की शरारत थी।

†**श्री त्यागी :** दो महीने से ऊपर हो चुके हैं।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य के सन्तोष के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने एक पदाधिकारी को मुअत्तिल कर दिया है और दूसरे को तबदील कर दिया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** यही तो हम जानना चाहते थे।

†**श्री त्यागी :** यह तो बड़ा अच्छा है।

†**श्री दातार :** हमने भी यही किया है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** झगड़ा मई के महीने में हुआ इसलिये इसकी पड़ताल में कितनी देर लगेगी ?

†**श्री दातार :** जांच शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कराई जायगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को पास मिलते हैं और वे जहां चाहें जा सकते हैं। वे वहां क्यों नहीं गये, वहां जाते और अपनी जानकारी यहां देते। तथ्यों के बारे में ही इतना अन्तर है। कुछ आदमी एक बात कहते हैं और दूसरे कुछ और।। माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि उन्होंने ही सरकार बनानी है। हो सकता है कल कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दूसरा दल शासन सम्भाले। इसलिये वहां जाकर स्वयं जांच करना उनका कर्तव्य है।

सिंचाई और विद्युत् की बड़ी परियोजनाओं में मितव्ययता

†*३८३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मंत्री ७ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के मूल्यांकन दलों की सिफारिशों के आधार पर इन परियोजनाओं में वास्तव में कितनी मितव्ययता की गयी है ;

(ख) क्या मितव्ययता के सम्बन्ध में कोई नया निदेश जारी किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या क्या हिदायतें भेजी गयी हैं और उनका क्या-क्या असर पड़ा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अभी तक प्रकाशित की गयी दलों की रिपोर्टों की एक सूची तथा बैठकों में हुई कार्यवाही के रिकार्डों की एक सूची निहित है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**] दलों द्वारा दिये गये सुझाव तथा उन पर की गयी कार्यवाही सम्बन्धित पत्रों में निहित है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या श्री गाडगील के पंजाब के राज्यपाल बनने के उपरान्त इन दलों का पुनर्गठन किया गया है और क्या इन दलों के सामने कोई कार्यक्रम है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जिन दो दलों के श्री गाडगील सदस्य थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले ही भेज दी थीं। अतः उनके राज्यपाल बनने का उस काम पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या ये दल केवल एक आध परियोजना का ही परीक्षण करने के लिये बनाये गये थे अथवा वे लगातार एक परियोजना के बाद दूसरी परियोजना का परीक्षण करने के लिये नियुक्त किये गये और यदि हां तो अब उन दलों का क्या कार्यक्रम है और श्री गाडगील के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने पर उन दलों पर कैसे असर नहीं पड़ेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : श्री गाडगील नागार्जुन सागर दल के सदस्य थे। इस दल ने उस परियोजना का अध्ययन पूरा कर लिया है और उस की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उसे अक्तूबर के प्रारम्भ में प्रकाशित कर दिया जायेगा। श्री गाडगील उस रिपोर्ट पर अब हस्ताक्षर कर सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का प्रश्न यह है कि क्या श्री गाडगील अब भी उस दल के सदस्य रहेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे दल के सदस्य रहेंगे और उस कार्य में भी सहायता करेंगे ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, हां। फिलहाल तो वे उस कार्य में भी सहायता करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं इस सम्बन्ध में एक बात कह देना चाहता हूं। हमें राज्यपालों के आचरण के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। परन्तु जब किसी राज्यपाल को किसी ऐसे विभाग का प्रभारी बनाया जाता है जिस की जिम्मेदारी किसी मंत्री पर है, तब हमें उन के आचरण के सम्बन्ध में हर प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार देना होगा। मैं वास्तव में इस स्थिति को देख कर आश्चर्य-चकित हूं। माननीय सदस्यों और विशेषतया माननीय मंत्रियों से मेरा निवेदन है कि वे इस स्थिति पर विचार करें। जब राज्यपालों को इस प्रकार के विभागीय कार्य सौंपे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन राज्यपालों की आलोचना करने का भी हमें अधिकार होगा। क्या उन्हें ऐसे काम सौंपना उचित है ? उन्हें सामान्य स्थिति में उस प्रकार की परियोजनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजने का काम नहीं सौंपा जाना चाहिये। मेरा तो यही मत है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उस स्थिति का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं आप के विचार सम्बन्धित मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : क्या इस दल ने उस समय मैसूर में चल रहे सिंचाई के छोटे कार्यों के संबंध में भी अन्तिम रिपोर्ट पूरी कर ली है, और क्या यह दल मद्रास राज्य में चल रहे विभिन्न सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में भी अध्ययन करेगा ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी, हां । इस ने अपना कार्य पूरा कर लिया है । मैं ने यह बता दिया है कि उस ने रिपोर्ट पूरी कर ली है और मद्रास सरकार ने उसे यथासंभव कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उसे सिद्धान्त के रूप में स्वीकार भी कर लिया है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सभा-पटल पर रखे गये पत्रों से यह ज्ञात होता है कि दल की सब से अधिक महत्वपूर्ण उपपत्ति यह है कि परियोजना के संचालन का समुचित कार्यक्रम तैयार नहीं किया जाता और उस के परिणामस्वरूप विभिन्न सम्बद्ध कार्यों में कहीं भी समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध नहीं पाया जाता । क्या इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सामान्य परिपत्र परिचालित किया गया है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस सम्बन्ध में विभिन्न बैठकों में विचार विमर्श किया जा रहा है और अब स्थिति क्रमशः सुधर रही है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार मितव्ययता की दृष्टि से और अधिक प्रशासनीय तथा प्रविधिक कर्मचारियों को भर्ती बन्द कर देने का विचार रखती है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन्हों ने एक केन्द्रीय इंजीनियरर्स पूल बनाने की योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । संभवतः राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पूछा गया है और यदि वे सहमत हुई तो वैसा कर दिया जायेगा ।

विधान-मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का सुरक्षण

†*३८४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सिद्धप्पा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९५९ को लोक-सभा में गृह-कार्य उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्थान सुरक्षण के सम्बन्ध में संविधान द्वारा निर्धारित दस वर्ष की अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।
(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संघों तथा राज्य सरकारों से उन की राय मांगी गई है ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी, हां । उन के मतों पर विचार किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीज विचाराधीन है ? क्या संविधान का संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्रीमती आल्वा** : इस बात पर विचार किया जा रहा है कि संविधान के इस उपबन्ध को, जोकि आगामी वर्ष की २६ जनवरी को समाप्त हो रहा है, दस वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जाये या नहीं ।

†**श्री त्यागी** : क्या संविधान बदलने का किसी मंत्री को अधिकार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रियों को उस पर विचार करना पड़ता है । माननीय सदस्य स्वयं एक मंत्री रह चुके हैं ; अतः उन्हें तो इन बातों का ज्ञान होना चाहिये । क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मंत्रियों को उस पर विचार नहीं करना चाहिये ?

†**श्री त्यागी** : मैं हैरान हूं कि संविधान में संशोधन करने के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई मंत्री अकेला कैसे विचार कर सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । वे विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद ही अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं । यदि वे ऐसा अनुभव करें कि उस अभ्यावेदन में कोई सार नहीं है, तो इस स्थिति में वे उस बारे में सभा में कुछ कहते ही नहीं । इसलिये उन्हें इन बातों पर पहले स्वयं विचार करना पड़ता है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : आज के समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि इसी कठिनाई के कारण केरल में २६ जनवरी, १९६० से पहले ही चुनाव हो जायेंगे । क्या सरकार वास्तव में वहां पर २६ जनवरी, १९६० से पहले चुनाव करने का विचार रखती है, अथवा क्या सरकार संविधान के इस अनुसूचित जाति सम्बन्धी उपबन्ध की अवधि को और अधिक बढ़ा देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मूल प्रश्न से दूर जा रहे हैं ।

†**श्री कोडियान** : जहां केरल का सम्बन्ध है, यह वास्तव में एक बड़ी भारी कठिनाई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : १७ तारीख को इस विषय पर विचार किया जा रहा है, उस दिन इस प्रकार की बातों के सम्बन्ध में चर्चा की जा सकेगी ।

†**श्री प्र० के० देव** : परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय तो करना ही पड़ेगा ।

†**श्री कोडियान** : क्या इन कठिनाइयों को दूर कर दिया जायेगा ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : संविधान के अनुच्छेद ३३४ में न ही केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुचित आदिमजातियों के लिये व्यवस्था है अपितु आंग्ल-भारतीयों के लिये भी व्यवस्था है । क्या आंग्ल-भारतीयों के दावों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ; परन्तु इस पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं मंत्रिणी महोदया से यह जान सकता हूं कि मान लिया जाय कि आगे रिजरवेशन नहीं होगा लेकिन जो ऐसी जातियां हैं जैसे परिगणित जातियां आदि जिन को कि पहले विधान में शामिल नहीं किया गया था और सन् १९५५ में जब विधान का अमेंडमेंट किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया तब उन को संविधान की सूची में शामिल किया गया और जिन को कि पूरे दस वर्ष के लिये लोक-सभा, लेजिस्लेटिव असेम्बलीज और छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार मिलने चाहियें थे वह नहीं मिले और उन को केवल पांच वर्षों के लिये ही यह अधिकार मिले हैं तो ऐसी जातियों के लिये सरकार आगे के लिये क्या सोच रही है ?

†**श्रीमती आल्वा** : छात्रवृतियों का प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। फिर भी प्रत्येक बात पर विचार किया जायेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को राय मांगी है और यदि हां तो क्या सभी राज्य सरकारों ने इस का समर्थन किया है ? कौन कौन राज्य पक्ष में हैं और कौन कौन विपक्ष में ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी, नहीं। अभी तक इस बारे में हम कोई निर्णय नहीं कर सके हैं ; राज्य तो अपने सुझाव भेजेंगे।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : तो क्या उस का यह अर्थ है कि कुछ समय पूर्व समाचारपत्रों में जो यह समाचार आया था कि सरकार संसद् के अगले सत्र में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है, पूर्णतया गलत है।

†**श्रीमती आल्वा** : मुझे उस समाचार के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या कोई अन्तिम निर्णय करने से पहले सरकार सभी राजनीतिक दलों और विशेषतया मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय राजनीतिक दलों से परामर्श करेगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : सुझाव प्राप्त होने पर सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी।

†**श्री कोडियान** : क्या अवधि बढ़ाने के बारे में अनुसूचित जातियों की विभिन्न संस्थाओं और राजनीतिक दलों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य किस अभ्यावेदन की ओर संकेत कर रहे हैं, परन्तु समय समय पर हमें अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और हम उन पर विचार किया करते हैं।

†**श्री अच्याकण्णु** : क्या सरकार दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों के स्थान पर एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

†**श्रीमती आल्वा** : इस बारे में इतनी जल्दी निर्णय नहीं किया जा सकता।

दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज

+

†३८५. **श्री पांगरकर** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री द्वी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री जयपाल सिंह :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भंज देव :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री द० चं० गोडसोरा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिये ब्रिटिश सरकार तथा फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ द्वारा दी जाने वाली सहायता के ब्यौरों के बारे में फैसला हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) से (ग). इस कालेज के लिये दी जाने वाली सहायता के ब्यौरों के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा लन्दन में बनाये गये 'दिल्ली कॉलिज आफ इंजीनियरिंग ट्रस्ट' के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई है । यह निर्णय हुआ है कि ट्रस्ट नौ प्रोफेसर और एक डायरेक्टर ऑफ़ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट तथा दो सुपरवाइज़रों की सेवाएं उपलब्ध करेगा ।

उपकरण के रूप में दी जाने वाली सहायता के ब्यौरे तैयार करने के लिये एक टेक्निकल सब-कमिटी (प्रविधिक उपसमिति) तथा एक एकेडेमिक वर्किंग पार्टी नियुक्त की गई है । इंजीनियरिंग की बुनियादी शाखाओं के सम्बन्ध में प्रथम डिग्री कोर्स के लिये सुझाव दिये गये हैं ।

कॉलेज के लिये १३४ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गयी है । स्थान के लिये प्रारम्भिक नकशे तैयार कर लिये गये हैं और कॉलेज छात्रालयों और शिक्षकों के मकानों के लिये भी नकशे तैयार कर लिये गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : जब तक कि फेडरेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के साथ समझौते की बातचीत चल रही है तब तक उस बीच में क्या पुरानी व्यवस्था चलेगी ?

श्री हुमायून् कबिर : जब तक नया कॉलिज नहीं बनता तब तक पुराना कॉलिज जारी रहेगा, यह तो साफ है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस संस्था पर आने वाले खर्च के ब्यौरे क्या हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसके ब्यौरे तो अभी तैयार करने हैं, परन्तु अनुमान है कि कॉलेज के पूर्णरूपेण स्थापित हो जाने तक एक करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आ जायेगा । आवर्तक खर्च लगभग १३ से १४ लाख रुपये वार्षिक आयेगा ।

श्री भक्त दर्शन : कब तक आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में समझौता हो जायगा और यह काम प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री हुमायून् कबिर : समझौता हो गया है । कॉलिज जारी है । खाली सवाल यह है कि उसके लिये जब बिल्डिंग बन कर तैयार हो जायगी तो वहां उस नये कॉलिज का काम शुरू हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता

+

†*३८६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता की फायरप्रूफ (अग्नि से सुरक्षित) इमारत के निर्माण में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) आशा है कि निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा।

(ख) आशा है कि इसके पूरा होने में लगभग २ १/२ साल लग जायेंगे।

†श्री सुबोध हंसदा : इमारत बननी अभी प्रारम्भ ही नहीं हुई है तो इस समय संग्रहालय का सामान कहां रखा हुआ है ?

†श्री हुमायून् कबिर : इस नयी इमारत में भारत के प्राणकीय सर्वेक्षण विभाग की अत्यन्त मल्यवान वस्तुएं रखी जायेंगी जो कि इस समय 'जबाकुसुम हाउस' में रखी हुई हैं। नयी इमारत बनाने का प्रश्न लगभग ४० वर्ष से विचाराधीन रहा है। अब हम ने इसकी आधारशिला रख दी है, और मुझे पता लगा है कि इसका निर्माणकार्य इसी मास प्रारम्भ हो जायेगा।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग भी, जो कि इस समय इस इमारत में हैं, बाद में नयी इमारत में चले जायेंगे ?

†श्री हुमायून् कबिर : यह प्रश्न यहां पर प्रत्यक्षतया उत्पन्न तो नहीं होता, परन्तु यदि कुछ स्थान उपलब्ध हुआ, तो पुरानी इमारत की कुछ एक गैलरियों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये खोल दिया जायेगा।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि भूतपूर्व देशी राज्यों के जो पर्सनल म्युजियम्स थे, राज्यों के एकीकरण होने के बाद जो उन म्युजियमों की रौनक घटी है, स्टेट्स के अन्दर म्युजियमों का विस्तार करने के लिये क्या सोचा जा रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह सवाल तो इस में नहीं उठता, यह तो कलकत्ते की एक बिल्डिंग के बारे में है। लेकिन एक दूसरे सवाल के जवाब में मैं ने बतलाया था कि अनेक म्युजियम को मदद दी जा रही है और जो दरख्वास्तें आ रही हैं उनकी बिना पर काफी मदद दी जा चुकी है। अगर माननीय सदस्य मुझे नोटिस देंगे तो मैं उसकी तफसील दे दूंगा।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या राजस्थान की ओर से भी कोई दरख्वास्त आई है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बता दिया है कि मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल कलकत्ता की इमारत से है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैगनेशियम कारबोनेट

†*३८७. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १८ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम ने 'लाइट बेसिक मैगनेशियम कारबोनेट' के वाणिज्यिक विकास के लिये कोई आवश्यक कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसके उत्पादन पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) यह आयात किये गये 'कारबोनेट' की कीमत की तुलना में कैसा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) से (ग). जी, हां; परन्तु फिर भी बातचीत चल रही है। आशा है कि उस पर लगभग ६३६ रुपये प्रति टन खर्च आयेगा। आयात की गयी इसी वस्तु के भाव ९८० रुपये प्रति टन हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह कारखाना उन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा जहां नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबीर :** वस्तुतः यह वस्तु नमक के 'बिटर्न' से बनायी जाती है, नमक से नहीं। अतः हम उन स्थानों पर कारखाने स्थापित करेंगे जहां नमक 'बिटर्न' अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस समय सारा प्रयोग भावनगर में ही किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबीर :** प्रयोग तो किया जा रहा है परन्तु अभी वाणिज्यिक दृष्टि से प्रयोग नहीं किया गया है। लाइसेन्स ले लिये गये हैं और हम कई फर्मों से बातचीत कर रहे हैं। पांच फर्मों ने इस सम्बन्ध में रुचि दिखायी है, परन्तु बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

हिन्दू धार्मिक संस्थाएं

†*३८९. { **श्री बर्मन :**
श्री श्रीनारायण दास
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री केशव :
श्री हेम राज :

क्या **विधि** मंत्री २५ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू धार्मिक संस्थाओं, मठों और मन्दिरों आदि के विकास और इनकी आय के ठीक उपयोग करने के प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने में कितनी प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रश्न किस स्तर पर है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) और (ख). सरकार धार्मिक न्यासों के प्रबन्ध तथा कार्यों के बारे में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करना चाहती है । यह समिति धार्मिक संस्थाओं के समुचित प्रबन्ध तथा इनकी आय के उचित उपयोग के बारे में सिफारिश करेगी । इस समिति के निर्देश पद तथा सदस्यों के बारे में सरकार विचार कर रही है । इस के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से सरकार सार्वजनिक धार्मिक न्यासों के प्रशासन तथा अधीक्षण में सुधार करने के लिये एक विधेयक तैयार करने के लिये भी कदम उठा रही है । इस सम्बन्ध में संसद् के सामने यथासम्भव शीघ्र एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री बर्मन :** मंत्री महोदय ने २५ फरवरी, १९५९ को यह बताया था कि मंत्रिमण्डल ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है । यह विधेयक कब तक संसद् के सामने आयेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मंत्रिमंडल ने विधेयक के प्रारूप पर विचार किया है । सरकार उससे आगे कुछ और विषयों पर विचार कर रही है । यह बताना कठिन है कि हम कितने समय में यह विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे, किन्तु हम इसे यथासंभव शीघ्र लाने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री बालकृष्णन् :** वर्तमान विधि के अनुसार मन्दिर की निधि से कोई शिक्षा संस्था अथवा अन्य संस्था नहीं खोली या चलायी जा सकती चाहे उसके संरक्षक अधिकारी ऐसा करना भी चाहें तब भी वे इस निधि से कोई अन्य संस्था नहीं खोल सकते । इस बात को देखते हुए क्या सरकार प्रस्तावित विधेयक में ऐसा उपबन्ध करने का प्रयत्न करेगी जिससे मन्दिरों की आय से शिक्षा या कोई अन्य संस्थायें खोली जा सकें ?

†**श्री अ० कु० सेन :** हमें सरकार क्या करने जा रही है इसका पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिये । यदि किसी न्यास की शर्तों में उसकी आय को किसी विशेष प्रकार से व्यय करने का विधान हो तब भी हम "यथासम्भव भव-समीप-सिद्धान्त" के अनुसार हम इस प्रकार के उद्देश्य पूरा कर सकते हैं । किन्तु इस प्रकार का व्यय करने का अधिकार देना जो न्यास की शर्तों से सर्वथा भिन्न हो, बड़ा कठिन है ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** 'यथासम्भव शीघ्र कर देंगे' यह उत्तर बड़ा अस्पष्ट है । मंत्री महोदय कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल इस विषय पर विचार कर चुका है और इस पर आगे विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक अगले सत्र तक संसद् के सम्मुख रखा जा सकेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं इस प्रकार का कोई वचन नहीं दे सकता ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या 'हिन्दु 'धार्मिक संस्थाओं' में मन्दिर' भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जगन्नाथ पुरी के मन्दिर का प्रबन्ध भी अपने हाथ में लेना चाहती है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिये । जब विधेयक सामने आयेगा तो उनको अपने आप पता चल जायेगा कि इसकी कैसे परिभाषा की गयी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सरकार इस विधेयक में कोई ऐसा खण्ड रखना चाहती है जिससे कि गिरिजाघरों की आमदनी को राजनीतिक कार्यों में प्रयोग करने से रोका जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** यह विधेयक केवल हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं पर लागू होगा जिसमें केवल 'हिन्दु' की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली जातियों की संस्थायें ही सम्मिलित होंगी ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या हम इससे यह अर्थ नहीं निकाल सकते कि केवल हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं में ही रुपये का दुरुपयोग होता है अन्य जातियों में नहीं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वे जैसे चाहें रुपया खर्च कर सकती हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन :** इस प्रकार के अर्थ लगाना सर्वथा अनुचित है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने वित्त मंत्री को इस बारे में विचार करने के लिये कहा है जैसा कि एक खबर है. . . . . .

†**श्री वाजपेयी :** पहले मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का उत्तर दे लेने दीजिये (**अन्तर्बाधाएं**)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक ही समय दो सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं । सदस्यों को ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछने चाहियें । कदाचित् माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अन्य धर्मों की धार्मिक संस्थाओं जैसे मस्जिदों और गिरिजाघरों के बारे में भी ऐसा विधेयक क्यों नहीं बनाया जा रहा है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** श्रीमान्, यह प्रश्न नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु जहां तक मैं समझता हूं उनका यही तात्पर्य था ।

†**श्री अ० कु० सेन :** अभी हमारा इस प्रकार का कोई विचार नहीं है । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है । प्रश्न का यूं विश्लेषण भी किया जा सकता है । क्या मंत्री महोदय को पूर्ण सन्तोष है कि गिरिजाघरों का प्रबन्ध आदि सब ठीक ठाक है ? सभा को यह पूछने का अधिकार है कि कोई विधेयक किसी विशेष प्रकार की संस्थाओं तक के लिये ही क्यों सीमित रखा गया है उस जैसी ही अन्य संस्थाओं पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ? मैं इस प्रश्न के पूछने की अनुमति देता हूं ।

†**श्री अ० कु० सेन :** चूंकि हिन्दु धार्मिक संस्थाओं के नियंत्रण और उनके रुपये के सदुपयोग की बड़ी अधिक मांग की जा रही है । जहां तक अन्य जातियों की संस्थाओं की निधियों का सम्बन्ध है उनके बारे में कभी ऐसी मांग नहीं की गयी है जिससे कि सरकार उनके बारे में कोई विधेयक लाने का विचार करे (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय :** यहां पर सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं । यदि अन्य संस्थाओं के बारे में मांग होगी तब उनके बारे में भी विचार किया जा सकता है ।

श्रीभक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो जांच कमेटी बिठाई जा रही है, क्या यह माननीयप्रधान मंत्री के उस आश्वासन के अनुकूल बिठाई जा रही है, जिसकी घोषणा उन्होंने भारत साधु समाज के अधिवेशन में की थी ? और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट ने यह तै कर लिया है कि इसके सम्बन्ध में एक विधेयक इस सदन में लाया जायेगा, एक कानून बनाया जायेगा, तब इस जांच कमेटी की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मेरे विचार में प्रधान मंत्री ने प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों का कोई उल्लेख नहीं किया है । उन्होंने केवल यही कहा है कि सरकार हिन्दु धार्मिक संस्थाओं के मामलों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बाढ़ें

†११०. { **श्री वाजपेयी :**
श्री ग्रासर :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोनसून ऋतु में नई दिल्ली की बस्तियों को बाढ़ों के प्रकोप से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस योजना की कार्यान्विति पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

†**श्री वाजपेयी :** भावी वर्षों में किये जाने वाले और समाप्त होने वाले कामों के बारे में क्या को यन्त्रा निर्धारित की गयी है ?

†**श्री दातार :** यह सब काम तीन वर्षों में समाप्त होने हैं । इसका पहला सोपान लगभग समाप्त हो चुका है या होने वाला है ।

†**श्री ग्रासर :** क्या सारा व्यय सरकार करेगी या वह निगम से भी रुपया मांगेगी । यदि निगम से रुपया लेगी तो कितना ?

†**श्री दातार :** इस पर दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और केन्द्रीय सरकार को क्रमशः १३४.९४ लाख, १९४.०९ लाख और १५० लाख रुपये व्यय करने होंगे ।

†**श्री तंगामणि :** पिछली बरसात में 'अशोका रोड' पर भारी बाढ़ आयी थी । इस योजना में 'चालू कामों' के अन्तर्गत सीवेज तथा नाली व्यवस्था के लिये ४३,००० रुपये की रकम निर्धारित की गयी है । क्या यह काम जल्दी से समाप्त करने की कोशिश की जायेगी ताकि उस क्षेत्र में पिछले वर्ष को घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो ?

†**श्री दातार :** सरकार पहले सोपान के सभी कामों को शीघ्र समाप्त करने के लिये बड़ी उत्सुक है ।

†**डा० सुशीला नायर :** जहां तक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण का प्रश्न है उसमें पंजाब और दिल्ली दोनों सरकारों का भाग है । इस सम्बन्ध में सिचाई और विद्युत् मंत्री को कुछ प्रस्ताव और योजनाएं भी भेजी गयी थीं । क्या गृह-कार्य मंत्री यह बता सकते हैं कि उनमें कहां तक प्रगति हुई है ?

†**श्री दातार :** यह प्रश्न नई दिल्ली के सम्बन्ध में है । मैंने दिल्ली नगर निगम अधिनियम के पास होने से पहले जो स्थिति थी उसकी सूचना दी है । जहां तक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का प्रश्न है वह सर्वथा भिन्न विषय है । यदि आप पृथक् सूचना दें तो मैं उसके बारे में भी सूचना दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सेठ अचल सिंह :** क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि जिन एरियाज में फ्लड आता है वहां के लोगों को वहां से हटा दिया जाये ?

†**श्री दातार :** सरकार ऐसे सब क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने का प्रयत्न कर रही है । इसीलिये हम इतना रुपया व्यय करना चाहते हैं । हम इस काम पर कुल मिला कर ४.७९ करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं ।

†**श्री आसर :** क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि इन कामों के पूरा होने के बाद नई दिल्ली में कहीं पर बाढ़ नहीं आयेगी ?

†**श्री दातार :** इस प्रकार का आश्वासन देना कठिन है । मगर यह कहा जा सकता है कि तीनों सोपानों के समाप्त हो जाने पर बाढ़ आने की सम्भावना बहुत कम हो जायेगी ।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्

†३९१. **श्री पांगरकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ के पूर्वार्ध में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् की कोई बैठक बुलायी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निश्चय किये गये हैं, और

(ग) परिषद् की अगली बैठक कहां तथा कब होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) परिषद् ने आरजी तौर पर यह अगली बैठक बंगलौर में करने का निश्चय किया है । अभी इसकी तिथि निश्चित नहीं हुई है ।

†**श्री पांगरकर :** बम्बई और मैसूर के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़े का निपटारा करने के लिये क्या कदम उठाये गय हैं ?

†**श्री दातार :** क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया गया था । वहीं पर इस पर आगे विचार स्थगित करने का निश्चय किया गया था । इसलिये यह वहीं का वहीं है ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह प्रश्न क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक के कार्यक्रम में सम्मिलित है ?

†**श्री दातार :** तिथि निश्चित होने के बाद ही कार्यक्रम तैयार करने का प्रश्न उठता है । (**अन्तर्बाधाएं**) जब कभी भी बैठक होती है उसका अजण्डा दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से तैयार किया जाता है । उसी समय इसके अजण्डा में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

†**श्री नाथ पाई :** परिषद् के सामने अनेक प्रश्न हैं । क्या सरकार इस समस्या को हल करने में तथा इसको अजन्डा में शामिल करने में दिलचस्पी रखती है अथवा नहीं ?

†**श्री दातार :** मैं इस बात का उत्तर दे चुका हूं ।.............

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री चाहें तो वे इसे अजन्डा में शामिल कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के अन्तर्गत भारत सरकार की ऐसे मामले सुलझाने की कोई जिम्मेवारी नहीं ?

†श्री दातार : भारत सरकार सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके और उनके सहयोग से ही सब बातें तय करती है। जब कार्यक्रम निश्चित होगा दोनों मुख्य मंत्रियों से पूछा जायगा और यदि वह सहमत होंगे तब निश्चय ही इसको शामिल कर लिया जायेगा।

†डा० मा० श्री० अणे : क्या क्षेत्रीय परिषदों की कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्टें नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं ?

†श्री दातार : जी हां मैं समझता हूं कई बार क्षेत्रीय परिषदों की रिपोर्टें इस सभा के पटल पर रखी जा चुकी हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब क्षेत्रीय परिषदें बनायी गयी थीं तब यह उद्देश्य सामने रखा गया था कि जब कभी दो राज्यों में कोई मतभेद होगा तो वे इसका हल इस परिषद् में करने का प्रयत्न करेंगे। बम्बई और मैसुर के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद बड़ा पुराना विवाद है। परिषद की पिछली बैठक में भी यह प्रश्न उठाया गया था। इसलिये क्या इस बार यह मामला अपने आप परिषद् के सम्मुख आया हुआ नहीं माना जा सकता है ?

†श्री दातार : क्षेत्रीय परिषद् एक परामर्शदाता परिषद् के रूप में कार्य करती है। अभी इस मामले में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। पिछली बार यह परिषद् के अजन्डा में था। इस बार भी यदि वे इस पर विचार करना चाहेंगे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं।

†श्री प्र० कि० देव : क्या केन्द्रीय सरकार को किसी विषय को अजन्डा में शामिल करने का सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : हम व्यर्थ की उलझने में पड़ रहे हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि जहां तक दो राज्यों के बीच झगड़ों का प्रश्न है इनके मुख्य मंत्री मुख्यतया ज़िम्मेवार हैं कि वे इस झगड़े को परिषद् में निपटाना चाहेंगे या परिषद् के बाहर अन्य राज्यों से निपटाना चाहेंगे। केन्द्र इनके परामर्श से इन झगड़ों को परिषद् के सामने रखने के लिये हमेशा तैयार रहता है। इसलिये यह पूछने का कोई लाभ नहीं कि केन्द्र इनको परिषद् में प्रस्तुत करने के लिये बाध्य है अथवा नहीं। इसलिये इस विषय में आगे प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। गृहमंत्री मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके इसका निश्चय करते हैं जो कि अपने राज्यों में ऐसे झगड़ों के निपटारे के लिये मुख्यतया उत्तरदायी हैं।

†श्री नाथ पाई : यदि वे सहमत न हों तो ?

†अध्यक्ष महोदय : तब उनका निश्चय यहां के सदस्य कर लेंगे।

पाकिस्तानी हरकारों[1] की गिरफ्तारी

†*३९२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय सैनिकों ने कश्मीर घाटी के हन्दवाड़ा क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा के समीप अख्तर अहमद और नियाज़ा नामक दो ऐसे हरकारों को पकड़ा है जो पाकिस्तान से श्रीमती शेख अब्दुल्ला को सम्बोधित पत्र और कुरान की पुस्तकों में छिपा कर ५,००० रुपये ले जा रहे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Couriers.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : कुछ कागज़ात ले जाते हुए दो व्यक्ति पकड़े गये हैं। अभी राज्य पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला साहब की बीवी के नाम जो चिट्ठी इस पाकिस्तानी सिपाही के जरिये से प्राप्त हुई थी, उस चिट्ठी में क्या लिखा था और क्या इन लोगों ने कोई स्टेटमेंट या कनफ़ेशन किसी कोर्ट के सामने दिया है कि पाकिस्तान सरकार ने उनको हिन्दुस्तान में शेख अब्दुल्ला की सहायता के लिये भेजा था ?

†**श्री दातार** : अभी जांच जारी है और कोई बात बताना जनहित में नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या इन महिला को कोई मासिक भत्ता . . . . . .

†**श्री दातार** : मुझे किसी महिला का ज्ञान नहीं है।

†**श्री त्यागी** : मैं इनकी बाबत कह रहा हूं।

†**श्री दातार** : किस की बाबत ?

†**श्री त्यागी** : जिस महिला को यह पत्र लिखा गया था और यह पैसा भेजा गया था तथा जिसका नाम इस प्रश्न में लिया गया है, अर्थात् श्रीमती शेख अब्दुल्ला। क्या इनको सरकारी खजाने से कोई मासिक भत्ता या निर्वाह व्यय मिलता है ?

†**श्री दातार** : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है और मैं श्रीमती शेख अब्दुल्ला के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री त्यागी** : क्या उनको सरकारी खजाने से कोई भत्ता वगैरह मिलता है ? मेरा केवल इतना सा प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होता।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शेख अब्दुल्ला साहब की बीवी के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही इस बुनियाद पर करने जा रही है कि नहीं कि उनका सम्बन्ध पाकिस्तान सरकार से था और पाकिस्तान सरकार से उन के पास रुपया आता था और खतो-किताबत होती थी।

†**श्री दातार** : इसकी सूचना देना सम्भव नहीं। यह प्रश्न इन दो व्यक्तियों के बारे में न होकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में है।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरा क्वस्चन तो सीधा है। मेरा क्वस्चन यह है कि उसके पास शेख अब्दुल्ला साहब की औरत के नाम चिट्ठी थी और पांच हज़ार रुपया था—यह चिट्ठी उसके पास मिली थी, इसको सरकार स्वीकार करती है—तो शेख अब्दुल्ला की बीवी के खिलाफ़ क्या सरकार कोई कार्य-वाही करने जा रही है कि उसका सम्बन्ध पाकिस्तान से था और पाकिस्तान से उसके पास रुपया आता था और खतो-किताबत होती थी।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने २६-५-५६ के "स्टेट्समैन" के एक समाचार के आधार पर यह प्रश्न पूछा है। मैं बता चुका हूं कि दो आदमी गिरफ्तार किये गये हैं। उनके बारे में जांच हो रही है। इसके इलावा और कोई सूचना देना जनहित में नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जब तक जांच पूरी न हो जाय तब तक उन्हें इस सम्बन्ध में और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सेठ गोविन्द दास** : प्रश्न यह है कि जब कि यह दो व्यक्ति पकड़े गये हैं तो क्या श्रीमती अब्दुल्ला के खिलाफ़ भी कोई जांच की जा रही है क्योंकि यह दो व्यक्ति उन्हीं के पास तो पत्र तथा ५००० रुपये ले जा रहे थे ?

†**श्री दातार** : फिर माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या जांच की जा रही है। ये दो आदमी पकड़े गये हैं। इनसे कई बातों का सूराग़ लगा है। इसलिये जांच की जा रही है। और कुछ बताना जांच के हित में नहीं है।

†**श्री त्यागी** : इतना तो बताया जा सकता है कि क्या ये लोग रुपया ले जा रहे थे या नहीं। इस जानकारी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। दूसरे यह कि क्या उन आदमियों के पास उनको (श्रीमती शेख अब्दुल्ला को) सम्बोधित कोई पत्र था। वह यह न बताएं कि पत्र में क्या लिखा था; परन्तु कम से कम यह तो बताया जाना चाहिये कि क्या वे लोग ऐसा कोई पत्र ले जा रहे थे।

†**श्री दातार** : मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उन के पास कुछ रुपया था; इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या वह रुपया शेख अब्दुल्ला की पत्नी के लिये ले जाया जा रहा था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ बातें सदन को जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बताई जा सकती हैं। हर कोई व्यक्ति जो भी अपने साथ धन ले जाता है, इस सरकार या उस सरकार द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जावेगा। अतः इन व्यक्तियों द्वारा उन लोगों के लिये धन ले जाया जा रहा होगा जिनको कि वह नहीं दिया जाना चाहिये। इस के अतिरिक्त माननीय सदस्य यह जानने के हक़दार हैं कि क्या इन व्यक्तियों के पास, जो गिरफ्तार किये गये थे, श्रीमती अब्दुल्ला के नाम पत्र थे।

†**श्री दातार** : उन के पास कुछ दस्तावेज थे। वे क्या थे यह मैं नहीं बताऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या वे उन के नाम थे।

†**श्री दातार** : इस प्रक्रम पर मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता। लोकहित में आप कृपया मुझे देने की आज्ञा दें।

†**सेठ गोविन्द दास** : यह बार बार पूछा जा रहा है कि क्या वह पत्र श्रीमती अब्दुल्ला के नाम था या नहीं और वह धन श्रीमती अब्दुल्ला को भेजा जा रहा था या नहीं। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। केवल परसों ही या कुछ दिन पहले मैं ने इस मामले पर अपना विनिर्णय दिया था। प्रश्न का उत्तर देने वाला सरकार का कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि लोकहित में वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। मैं या सदन इस बात के लिये सक्षम नहीं हैं कि उस के कारण पूछें। मैं ने एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है; वही प्रश्न दुबारा भी पूछा गया। मंत्री महोदय ने एक बार नहीं परन्तु दो बार कहा कि यह लोकहित में नहीं है। हमें इस प्रक्रम पर रुकना चाहिये . . . **(अन्तर्बाधा)**।

†**श्री गोरे** : मैं कोई और प्रश्न पूछ रहा हूं। ये व्यक्ति कब गिरफ्तार किये गये थे और इस जांच में कितना समय लगेगा ?

†**श्री दातार** : जांच पड़ताल बहुत संतोषजनक रूप से और शीघ्रता से चल रही है . . . **(अन्तर्बाधा)**।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे मामलों में, यह बताने में कोई हानि नहीं कि वे कब गिरफ्तार किये गये थे ।

†**श्री दातार** : गिरफ्तारी का प्रश्न पहले ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय यदि चाहें तो यह कह सकते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है ।

†**श्री दातार** : यह मई के महीने में हुआ . . . . **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य हर छोटे प्रश्न पर उत्तेजित क्यों हो जाते हैं । किसी विशेष मामले में बहुत अधिक रुचि दिखाने से ऐसे प्रश्नों द्वारा जांच में सहायता नहीं मिलेगी । जांच पूरी हो जाये तब हमारे पास बहुत मसाला होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रीमन् । आपने मंत्री महोदय से कोई जानकारी देने को कहा था । उस जानकारी से जांच पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता । हम यह जानना चाहते हैं कि कितना रुपया बरामद किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्य ने एक औचित्य प्रश्न उठाया है । औचित्य प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय लोक हित में धन की राशि बताने से इन्कार कर सकते हैं और यदि हां, तो इस मामले में लोक हित क्या है । परन्तु जहां तक इस बात का फैसला करने का प्रश्न है कि उस लोकहित का क्या स्वरूप है जिस के बारे में वह जानकारी दे सकते हैं या जानकारी देने से इन्कार कर सकते हैं, हमें इस मामले में आगे विचार करने का अधिकार नहीं है । अत: हमें इस प्रक्रम पर इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिये । मंत्री महोदय इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और यदि वह कोई जानकारी नहीं देते हैं तो और कितने ही तरीके हैं जिन के द्वारा यह सभा उन के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है । परन्तु, इस प्रक्रम पर हमें उनके स्वविवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमन् । उस दिन आप ने जो यह विनिर्णय दिया कि मंत्री महोदय लोकहित में किसी दस्तावेज़ की बातें बताने से इंकार कर सकते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए मैं आप से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय किसी भी आधार पर यह कह सकते हैं कि यह जानकारी नहीं दी जा सकती चाहे वह कागजात प्रत्यक्षत: लोक-हित के न हों और क्या अध्यक्ष को इस मामले का परिणाम देखने अथवा यह फैसला करने का कि यह लोकहित में है या नहीं, कोई अधिकार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वकील हैं । जब कोई विनिर्णय अथवा फैसला दिया जाता है तो जज से अपने विनिर्णय की व्याख्या करने को नहीं कहा जाता । जब कोई ऐसा ही मामला उठे तो वह उसे उठा सकते हैं । अभी से मैं कोई वचन नहीं देना चाहता ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : गृह-मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए भी यह मामला उठा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विशेष मामले में वह लोकहित का दावा कर सकते हैं और जांच के बारे में बताने से इन्कार कर सकते हैं । क्या गृह-मंत्री महोदय को यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि यह लोकहित में नहीं है और क्या हम आप से परिणाम के प्रश्न की जांच करने और यह फैसला करने की प्रार्थना कर सकते हैं कि वह मामला लोकहित में है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सब बातें देख रहा हूं । मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री का कोई जानकारी देने के लिये मजबूर कर सकूं जबकि एक बार वह यह कह चुके हैं कि लोकहित में वह यह बताने के लिये तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष की भी वही स्थिति होती है जैसी कि अन्य सदस्यों की। अतः मैं मंत्री महोदय को यह कहने के लिये मजबूर नहीं कर सकता कि वह लोक हित का दावा कैसे करते हैं। यह उनके स्वविवेक का प्रश्न है। अगला प्रश्न।

मध्य प्रदेश में सिंगरौली में कोयले के निक्षेप

†*३९३. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हाल ही में पता लगे कोयले के निक्षेप के बारे में कोई और विवरण उपलब्ध है ;

(ख) कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है और उस की क्या किस्म है ; और

(ग) क्या इस कोयले का कोकिंग प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) अभी पूरी और ठीक जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि कोयले के अनुमानित निक्षेप का निर्धारण करने को लिये छिद्रण कार्य जारी है। अभी तक सिंगरौली कोयला क्षेत्र में बैदाह के उत्तर में पठार के ऊपर से चार छिद्र किये गये हैं। इनमें से दो छिद्र तो पूरे हो गये हैं और अन्य दो पर काम जारी है।

(ख) दो पूरे हुए छिद्रों से तुर्रा तह (सीम) से निकाले गये कोयले के नमूनों से पता चलता है कि वे प्रथम श्रेणी (ग्रेड १) के हैं। तथापि एक और पूरे हुए छिद्र से ९० फुट नीचे की तह (सीम) के नमूने से पता चलता है कि वहां कोयला घटिया किस्म का है।

पूरे हुए छिद्रों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि तुर्रा तह (सीम) में, कोयला निक्षेप निर्धारण की भारतीय मान प्रक्रिया के अनुसार, ४००० लाख टन कोयले का रिज़र्व है। इस में से २९० लाख टन सिद्ध (प्रूव्ड) कहा जा सकता है। एक छिद्र के परिणाम के आधार पर ९० फुट नीचे कोयला तह (सीम) में ३५ लाख टन सिद्ध (प्रूव्ड) रिज़र्व है।

(ग) जी, नहीं। सिंगरौली का कोयले का कोकिंग प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उड़ीसा में फेरो मैंगनीज का उत्पादन

†*३९५. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जेपुर, जोडा और कालग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में फ़ैरो-मैंगनीज़ संयंत्रों ने अपनी पूरी क्षमता पर फेरो-मैंगनीज़ का उत्पादन शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन तीनों मयंत्रों ने कुल कितने फेरो-मैंगनीज़ का उत्पादन किया ; और

(ग) भारत में ३१ जुलाई, १९५९ तक कुल कितने फेरो-मेंगनीज़ का उत्पादन किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) केवल जेपुर और जोडा में संयंत्रों ने उत्पादन शुरू किया है जिस में से जोडा ने पूरी क्षमता प्राप्त कर ली है। कलिंग उद्योग ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ मई, १९५९ तक दोनों संयंत्रों का इकट्ठा उत्पादन ३५,४२२ टन था। उस के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बाकी संयंत्रों के बारे में, मार्च, १९५९ तक कुल उत्पादन के आंकड़े ३८,८४२ टन थे। अप्रैल, १९५९ के बाद के इन संयंत्रों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : इन पांच संयंत्रों के अतिरिक्त जिन तीन और संयंत्रों में १९५९-६० में उत्पादन आरम्भ होना था, क्या उन में उत्पादन आरम्भ हो चुका है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इन पांच संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य तीन संयंत्रों में निम्न प्रकार उत्पादन आरम्भ होगा : कैम्बट्टा फेरो-मेंगनीज़ लिमिटेड में १९५९ के अन्त तक उत्पादन आरम्भ होने की आशा है। कलिंग इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड में बहुत शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने की आशा है। खंडेलवाड फेरो अलाय लिमिटेड में अप्रैल, १९६० तक उत्पादन आरम्भ होने की आशा है।

†**श्री पाणिग्रही** : १९५७-५८ में फेरो-मैंगनीज़ का आन्तरिक उपभोग कितना हुआ और १९५९-६० में यह कितना बढ़ा है और आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये कितने फेरो-मैंगनीज़ का उपयोग किया गया है और इस में से कितना निर्यात किया जाता है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : फेरो-मैंगनीज़ का आन्तरिक उत्पादन बहुत कम है। यह अधिकांशतः निर्यात के लिये है। निर्यात बाजार बढ़ रहा है और अभी मैं इस के बारे में ब्यौरे नहीं बता सकता।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को पता है कि फेरो-मैंगनीज़ निर्माताओं ने अमरीका में फेरो- मेंगनीज़ की बिक्री के लिये अमरीका के एक अन्य निगम के साथ विक्रय करार किया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इन सार्थों में से कुछ ने अमरीका को फेरो-मैंगनीज़ की बिक्री के लिये एक करार किया है। वास्तव में केवल अमरीका को ही नहीं—हालांकि यह अधिकांश अमरीका को जाता है—परन्तु अन्य देशों को भी फेरो-मेंगनीज़ के निर्यात को बढ़ाने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है।

मिश्रधातु और औजारी इस्पात संयंत्र[1]

+

†*३९६. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ७ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्रधातु और औजारी इस्पात संयंत्र की स्थापना में उपयोग किये जाने वाले भारतीय विशेषज्ञों और संसाधनों का क्या ब्योरा है;

(ख) यह काम किन विदेशियों को सौंपा गया है; और

(ग) क्या इस कार्य में कोई भारतीय परामर्शदाता और प्रविधिज्ञ लगाये गये हैं।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). यद्यपि सामान्यतः सेवा-कार्य परामर्शदायी इंजीनियरों द्वारा किया जाता है, ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Alloy and Tool Steel Plant.

करने और संयंत्र के बारे में व्यौरेवार डिजाइन बनाने का कार्य एक भारतीय सार्थ को सौंपने की संभावनाओं की जांच की जा रही है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में फैसला कर लिया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस में इतने अधिक विलम्ब का क्या कारण है ? यह मामला कई बार उठ चुका है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** शुरू शुरू में हमारा विचार यह था कि यह काम किसी विदेशी सार्थ को सौंपा जाये परन्तु कुछ भारतीय सार्थों ने भी रुचि दिखाई और कोई फैसला करने से पहले हमें उनकी क्षमता और अन्य बातों पर विचार करना पड़ा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** परियोजना की मंजूरी कब तक हो जावेगी और अब यह किस प्रक्रम पर है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस मामले के निबट जाने पर परियोजना रिपोर्ट तैयार होने में ७ से ८ महीने तक लगेंगे जिसके बाद निर्माण पर २।। से ३ वर्ष तक लगेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अभी सब बातों पर विचार हो रहा । मैं यह जानना चाहती हूं कि परियोजना की मंजूरी कब दी जावेगी।

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** मंजूरी दे दी गई है क्योंकि उसी मंजूरी के बाद ही तो हम एक सार्थ नियुक्त करने के अगले प्रक्रम पर हैं जो कि परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी।

†**श्री मुरारका :** इस कार्य में प्रतियोगी विदेशी सार्थ कौन से हैं और क्या उन में से किसी में हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के कुछ निदेशक अभिरुचित हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहां तक विदेशी सार्थों का सम्बन्ध है, वे ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैण्ड और एक या दो अन्य देशों के हैं। मुझे इस बात का पता नहीं है कि हिन्दुस्तान स्टील का कोई निदेशक किसी सार्थ में अभिरुचित है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो वह मुझे बता सकते हैं यदि वह सदन में वह नहीं बताना चाहते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत के संग्रहालयों सम्बन्धी पुस्तक

†*३८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के संग्रहालयों सम्बन्धी पुस्तक के तैयार करने और प्रकाशन में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर):** "भारत के संग्रहालयों की निदेशिका" (ए डायरेक्टरी आफ म्यूजियम्स इन इण्डिया) नामक एक पुस्तक तैयार कर ली गयी है और शीघ्र ही प्रकाशित की जावेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोजन परिषद्

†*३६४. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मा० म० गांधी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनियोजन संसाधनों वाले सब देशों से भारत में गैर-सरकारी पूंजी के खुले रूप में आने को बढ़ावा देने के लिये अमरीकी टेक्निकल सहकार मिशन की सहायता से भारत में एक विनियोजन परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस समय यह किस प्रक्रम पर है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान ४ मई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४८ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । एक ऐसे केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है जो विदेशी विनियोजकों को भारत में विनियोजन सम्बन्धी शर्तों और विधियों की जानकारी दे सके, जिसमें भारत में अमरीकी टेक्निकल सहकार मिशन ने रुचि दिखाई है ।

रत्नागिरि में खुदाई

*३६७. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि में खुदाई का काम इस बीच पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस काम की पूर्ति में कितना समय लगेगा ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) और (ख). मुख्य स्तूप और मठ की खुदाई पूरी हो गई है । और भी कुछ टीले हैं लेकिन निकट भविष्य में उनकी खुदाई करने का इरादा नहीं है ।

खेतरी में खनिज निक्षेप

†*३६८. **श्री मुरारका** :क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतरी (राजस्थान) में खान वाले क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) निकट भविष्य में इस क्षेत्र के विकास के लिये सरकार की क्या योजनायें हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) भूतत्वीय सर्वेक्षण से तांबे की खानों के पाये जाने की सम्भावना प्रकट हुई है । परन्तु तांबे की मात्रा व किस्म का पता ब्यौरेवार कार्य द्वारा ही लग सकेगा । कुछ हद तक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

(ग) सरकार शीघ्र विकास की सम्भावनाओं की जांच ब्यौरेवार कार्य के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही कर सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटिड में रेडियो बाल्व का उत्पादन

†*३६६. { श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री स० अ० मेहदी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलैक्ट्रनिक्स (प्राइवेट) लिमिटिड, बंगलौर में रेडियो बाल्व के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर करने में क्या कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने अपनी क्षमता बढ़ा दी है;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत तक;

(घ) क्या प्रविधिक सहायता और सहयोग प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह किन शर्तों पर प्राप्त हुआ है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटिड में रेडियो रिसीविंग बाल्व बनाने के लिये हालैंड के मैसर्स फिलिप्स के साथ एक करार किया गया है। करार में केवल रेडियो के लिये ही नहीं बल्कि संचार सेवा और प्रतिरक्षा सामान के लिये भी विशेष प्रकार के बाल्व बनाना सम्मिलित है। यह आशा की जाती है कि जब पूरा उत्पादन होने लगेगा तो काफ़ी हद तक देश की आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

(ख) और (ग). बाल्व्स के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटिड की क्षमता बढ़ायी जा रही है। इस बारे में फैक्टरी की क्षमता लगभग ३३ प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

(घ) और (ङ). हालैण्ड के मैसर्स फिलिप्स के साथ किये गये करार के अधीन टेक्निकल सहायता और सहयोग दिया जाता है। मैसर्स फिलिप्स की पूर्व सहमति बिना उस करार की शर्तें बताना ठीक नहीं होगा और न ही यह राष्ट्रहित में ही है।

भारतीय वायु सेना के सिगनल स्टेशन सेन्टर, गुड़गांव में अग्निकांड

*४००. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २० फरवरी, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव स्थित भारतीय वायुसेना के सिगनल स्टेशन सेन्टर में हुए अग्निकाण्ड की जांच का कार्य क्या इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं और उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है: और

(घ) इस सेन्टर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का, जो सरकार को १ अगस्त १९५९ को प्राप्त हुई थी, निरीक्षण हो रहा है ।

(घ) (१) क्षत इमारत की मरम्मत करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

(२) जरूरी साज सामान को जुटाने का प्रबन्ध किया गया है ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†*४०१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री २२ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के सम्बन्ध में १२ फरवरी, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को १९५५ से १९५७ तक भारत में बसने की आज्ञा दी गई थी, उन में से बहुत थोड़ों ने भारतीय नागरिकता स्वीकार की है;

(ख) क्या बाकी अभी भी पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी क्या संस्थिति है;

(घ) इस समय कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारत में बसने की आज्ञा दी गयी है; और

(ङ) क्या ये पाकिस्तानी राष्ट्रजन सरकारी सेवा कर सकते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

जीवन बीमा निगम

†*४०२. **श्री महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छागला प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद भारत के जीवन बीमा निगम के बोर्ड ने निगम के महा-निदेशक श्री वैद्यनाथन की सेवाओं की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेष रूप से विवियन बोस जांच प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर इसके वापस किये जाने के निदेश जारी किये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

सामान्य आवास सहकारी समितियां

†*४०३. **श्री बै० च० मलिक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, १९५८ में नई दिल्ली में हुए पिछड़े वर्गों सम्बन्धी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गयी यह सिफारिश भारत के सब राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में क्रियान्वित कर दी गयी है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल उन सामान्य आवास सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जाये जिनके १० प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जातियों के हों; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो अब तक (राज्य-वार) कितनी सहकारी समितियां बनायी गयी हैं?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). इस सिफारिश को केवल पांडिचेरी सरकार और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली प्रशासनों ने स्वीकार किया है। पांडिचेरी सरकार ने इस नमूने पर अभी तक एक सहकारी समिति बनाई है।

हिमाचल प्रदेश में लोहे की नालीदार चादरों की कमी

***४०४. श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में लोहे की नालीदार चादरों की बहुत ही कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). सरकार को कमी की विशेष दशाओं की कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उचित विचार किया जायेगा।

अजंता गुफाओं के लिये सरिता-उद्यान[1]

†***४०५. श्री आसर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजन्ता गुफाओं के नीचे एक सरिता-उद्यान लगाने की योजना है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देने को राजी हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितना खर्च कूता गया है और इस योजना का अन्य ब्यौरा क्या है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). १०,००० रुपये के अनावर्त्तक व्यय और ७,४२४ रुपये के आवर्त्तक व्यय की कुल प्राक्कलित लागत में से १०,००० रुपये की राशि आरम्भिक अनावर्त्तक व्यय पूरा करने के लिये बम्बई सरकार को देदी गयी है।

इंजीनियरिंग कोर्सों में भर्ती की आयु

†***४०६. श्री रामी रेड्डी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने इंजीनियरिंग कालेजों में भर्ती के लिये १६ वर्ष की न्यूनतम आयु रखने की सिफारिश की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]River Garden.

(ख) क्या आंध्र प्रदेश, मद्रास और दक्षिण के विश्वविद्यालयों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस आयु को १६ वर्ष से घटा कर १५१/, वर्ष कर दिया जाय; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने यह सिफारिश की है कि आई० एस० सी० के बाद इंजीनियरिंग के चार वर्ष के डिग्री-कोर्स में प्रवेश के लिये १७ वर्ष न्यूनतम वयस् और मैट्रिक के बाद के डिप्लोमा कोर्स के लिये १५ वर्ष की वयस् रखी जाय।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी

*४०७. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री से० म० मेहदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंग्लैण्ड में पढ़ने वाले ऐसे भारतीय विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है जो अपना नाम लिखने के कुछ दिन बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद

*४०८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत संघ सरकार ने वाल्मीकि और तुलसी की रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद कराने के लिये किसी विदेशी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) और (ख). भारत सरकार ने वाल्मीकि रामायण के अंग्रेजी अनुवाद की जिल्द २ और ३ के प्रकाशन के लिये शान्ति सदन लन्दन को नीचे लिखी शर्तों पर सहायता देना मंजूर कर लिया है :—

(१) अनुदान खर्च के ५० प्रतिशत तक सीमित रहेगा और वह ज्यादा से ज्यादा १२,००० रुपये का होगा।

(२) शान्ति सदन भारत सरकार को प्रत्येक जिल्द की २०० कापियां मुफ्त देगा। साथ ही शान्ति सदन ने पहली जिल्द की कापियां रियायती दर पर देना मान लिया है।

तुलसी रामायण के अंग्रेजी अनुवाद के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगरतला में गांधी घाट

†*४०९. श्री बांगशी ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में अगरतला के गांधी घाट पर जहां महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जन किया गया था, सभी दिशाओं से टट्टियों के निर्माण आदि विभिन्न प्रयोजनों से अनधिकार-कब्जा किया जा रहा है; और

(ख) उस क्षेत्र को इस प्रकार के अनधिकार कब्जे से बचाने और उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) अगरतला में पुरानी हावड़ा नदी की तलहटी पर लगभग १४ एकड़ का एक असीमांकित खाली स्थान है जिसे गांधी घाट कहा जाता है। बहुत से अनधिकारी व्यक्तियों ने, जिनमें से अधिकांश विस्थापित व्यक्ति हैं, नदी के दोनों किनारों की सरकारी जमीन पर अपने मकान बना लिये हैं।

(ख) भूमि पर अवैध रूप से अधिकार करने वाले व्यक्तियों को हटाने के लिये सरकारी इमारतें (अनधिकृत निवासियों की बेदखली) अधिनियम, १९५८ के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

कोयले का उत्पादन

†*४१०. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले का उत्पादन घट गया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसमें वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश

†*४११. { श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जुलाई के अन्त में जब दिल्ली के स्कूलों में भर्ती बन्द हो चुकी थी तब लगभग ५००० विद्यार्थियों को स्कूल में स्थान प्राप्त नहीं हो सका था ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

†*४१२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में अंग्रेज़ी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई प्रतिवेदन अथवा इस कार्य की प्रगति का कोई संकेत प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस मामले में इस समय क्या स्थिति है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १७ और १८ जून, १९५९ की अपनी बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यमों की समस्या के विषय में दिये गये सुझावों और अब तक की गई कार्यवाहियों पर गौर किया था । उस ने यह निश्चय किया कि इस प्रश्न का और आगे अध्ययन करने के लिये और अंग्रेज़ी के ऊंचे स्तर को कायम रखते हुए अंग्रेज़ी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के निमित्त कार्यवाही का कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक कार्यवाहक-मंडल[1] की स्थापना कर दी जाय ।

कोयले की खुली खदान[2]

†*४१३. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जो कोयले की खुली खदान बनने वाली है क्या रूस के 'टक्नोएक्स्पोर्ट' ने उस का डिजायन तैयार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ हो जायगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं । ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन अभी मास्को के मेसर्स 'टक्नो एक्स्पोर्ट' द्वारा तैयार किया जा रहा है और इस कार्य में योग देने के लिये हमारे इंजीनियर रूस पहुंच चुके हैं । प्रतिवेदन आगामी अक्तूबर तक आ जाने की आशा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दोहरे कराधान से बचने के लिये करार

*†४१४. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरे कराधान से बचने के लिये नार्वे के साथ कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) भारत और नार्वे के बीच आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिये सरकारी स्तर पर एक करार पर २० जुलाई, १९५९ को हस्ताक्षर हुए थे । यह करार पुष्टि होने के बाद ही लागू होगा ।

(ख) करार की पुष्टि होते ही उस की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Working Group.

[2]Coal Open Cost Mine.

दिल्ली में स्कूल अध्यापकों की नौकरी समाप्त करना

†*४१५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री वाजपेयी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले लगभग ५६० अध्यापकों की नौकरी संभवत: ५ अगस्त, १९५९ से समाप्त हो जायगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन अध्यापकों के लिये बदले में किसी दूसरे काम की व्यवस्था की गई या की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जीवन बीमा निगम के लिये संयुक्त प्रबन्ध-परिषद्

†*४१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय को श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्रालय से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि भारत के जीवन बीमा निगम के विभिन्न ज़ोनों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें बना दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया गया था । क्योंकि जीवन बीमा निगम एक वित्तीय संस्था है, और सामान्यतया औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होने वाले उपबन्ध इस के सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं ठहरते । इसलिये जीवन बीमा निगम के विभिन्न ज़ोनों में संयुक्त प्रबन्ध-परिषदें बनाने के प्रश्न पर आगे और कार्यवाही नहीं की गई ।

विदेशों में विदेशी भाषाओं का अध्ययन

†*४१७. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या शिक्षा मंत्री ७ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों द्वारा विदेशों में जा कर विदेशी भाषाओं के अध्ययन की योजना समाप्त कर दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो वह किस रूप में कार्य कर रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और **(ख)**. जी नहीं, केवल १९५७-५८ और १९५८-५९ के दो वर्षों में यह कार्य बन्द रहा है। १९५९-६० से यह योजना फिर पहले की ही तरह चलाई जा रही है इस में कुछ रूपभेद अवश्य कर दिये गये हैं, जिन में से मुख्य ये हैं :—

(१) छात्रवृत्तियों की संख्या ३० से घटाकर २० कर दी गई है ;

(२) भाषाओं की सूची में स्वाहिली और रूमानियन भाषायें जोड़ दी गई हैं ; और

(३) छात्र वृत्तियों की अवधि कोर्स के स्वरूप के आधार पर एक वर्ष से तीन बर्ष तक की हो सकती है ।

पश्चिमी जर्मनी से ऋण

†*४१८. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६८० लाख जर्मन मार्क के पश्चिम जर्मनी के ऋण का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) इस ऋण में से अब तक ९६० लाख जर्मन मार्क की राशि ली गई है। आगामी सप्ताहों में और भी राशियां ली जायेंगी ।

(ख) इस ऋण का उद्देश्य पश्चिमी जर्मनी से होने वाले आयात के लिये देय भुगतान करने में भारत सरकार को राशियां उपलब्ध करना है । संबंधित तिथि के बाद से पश्चिमी जर्मनी से वास्तव में इस ऋण की कुल कीमत से अधिक मूल्य के सामान का आयात हो चुका है । संबंधित करार में यह उपबन्ध है कि जर्मन संभरण कर्ताओं को भारत में आयात किये गये माल के लिये ३१ अगस्त, १९५८ के बाद जो भुगतान किया गया हो उस का ८० प्रतिशत अंश भारत को लौटा देने के लिये ही इस ऋण में से रुपया लिया जा सकता है और वह भी केवल उन भुगतानों के सम्बन्ध में जो ठेकों के अधीन जर्मन फेडरल सरकार की गारंटी अथवा बीमे के अधीन आते हों । ऋण में से रुपया लेने की दर उस की उपलब्धि के सम्बन्ध में इन्हीं सीमाओं द्वारा शासित होती है, विशेष रूप से इसी शर्त्त द्वारा शासित होती है कि केवल जर्मन फेडरल गारंटियों के अधीन होने वाले निर्यात पर ही विचार किया जायेगा ।

इंजीनियरिंग कालेज

श्री बी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री पांगरकर :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

†मूल अंग्रेजी में

†*४१९. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री सै० अ० मेंहदी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्र के आयोजन में आठ इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की योजना को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी ; और

(ग) इन संस्थाओं पर भारत सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय किये जाने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) और (ख). इन आठ कालेजों की स्थापना (१) वारंगल, (२) श्रीनगर, (३) भोपाल, (४) मंगलौर, (५) इलाहाबाद, (६) नागपुर, (७) दुर्गापुर और (८) जमशेदपुर में की जाने वाली है। पहली चार संस्थाओं के सम्बन्ध में संबंधित राज्य सरकारों ने नियोजन अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं। वारंगल का कालेज तो वहां हाल ही में निर्मित एक पॉलिटेक्निक भवन में इस शैक्षिक वर्ष से चालू भी हो गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला संभावित व्यय इस प्रकार होगा :

(१) सहायक अनुदान . .	७४६.३८ लाख रुपये
(२) छात्रावासों के लिये निर्व्याज ऋण .	३११.६२५ लाख रुपये
(३) अध्यापकों/कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये सव्याज ऋण .	२७.९६ लाख रुपये

कर्मचारियों की शिक्षा के लिये सांध्य संस्था[1]

†*४२०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की शिक्षा के लिये सांध्य-संस्था सम्बन्धी अग्रिम योजना का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) क्या योजना का व्यौरा तैयार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अग्रिम योजना को चलाने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Evening Institute for Workers' Education.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १.५ लाख रुपये ।

इराकी वायुसेना के लिये भारतीय शिक्षक

†*४२१. { **श्री वाजपेयी** :
श्री ग्रासर :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराकी सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उनके विमान चालकों और टेक्नीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिये शिक्षक दे दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध का सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). माननीय सदस्यों का ध्यान ६ अगस्त, १९५९ को वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव द्वारा दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

मनीपुर तथा अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†*४२२. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर तथा अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब मुकदमे बाजों को कानूनी सहायता पहुंचाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने वाली है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** (क) जी नहीं ।

(ख) मनीपुर में अनुसूचित आदिम जातियां पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं और गैर-आदिम जातियों के सम्पर्क में बहुत कम आती हैं । अभी तक किसी मामले में आदिम जातियों को निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है । अन्दमान और नीकोबर द्वीप समूह में अनुसूचित जातियां हैं ही नहीं । अनुसूचित आदिम जातियां प्रायः कभी मुकदमें बाजी में पड़ती ही नहीं हैं । और उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने का सवाल कभी उठा नहीं है ।

रूरकेला में कच्चे लोहे का उत्पादन

†४२३. { **श्री पाणिग्रही** :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सूपकार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के इस्पात कारखाने में कच्चे लोहे के उत्पादन में मार्च, १९५९ के बाद से सुधार हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस समय के बाद से रूरकेला के इस्पात कारखाने का कच्चे लोहे का मासिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) क्या रूरकेला की भट्ठी के आजमाइशी परीक्षण पूरे हो गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) फरवरी, १६५६ के बाद से रूरकेला के इस्पात कारखाने का मासिक उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	टन
मार्च, १६५६ .	१२,६८५
अप्रैल, १६५६ .	१७,१२१
मई, १६५६ .	१५,३१६
जून, १६५६ .	१४,३८२
जुलाई, १६५६ . . .	१४,३६२

(ग) प्रथम भट्ठी का आजमाइशी परीक्षण २० अप्रैल, १६५६ से ३ मई, १६५६ तक किया गया था, लेकिन गारंटी के अनुसार १ हजार टन कच्चे लोहे प्रतिदिन का उत्पादन संभव नहीं हो सका। भट्ठी में तैयार होने वाली संपूर्ण गर्म धातु के निबटारे की संतोषप्रद स्थिति उपलब्ध होने पर पुनः आजमाइशी परीक्षण करने का विचार है।

भारत सेवक समाज

†*४२४. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारत सेवक समाज पर किस प्रकार का वित्तीय नियंत्रण रखती है ; और

(ख) क्या समाज के नवीनतम लेखा-परीक्षित लेखाओं की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी।

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) भारत सेवक समाज को जो सहायक अनुदान मिलते हैं उसके संबंध में लेखाओं का एक लेखा परीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाणपत्र देने पड़ते हैं। भारत सेवक समाज के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की देखरेख के अधीन होते हैं।

(ख) भारत सेवक समाज के नवीनतम लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी है।

गौहाटी का तेल शोधक कारखाना

{ **श्रीमती मफीदा अहमद** :
{ **श्री प्र० कं० बरुआ** :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी में तेल शोधक कारखाना लगा देने के कार्य में १५ जुलाई, १६५६ तक कितनी प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तेल शोधक कारखाने और उसके संबंधित कारखानों के लिये १५ जुलाई, १९५९ तक कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये जा चुके हैं ;

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) इसके लिये गौहाटी के निकट नुनमाटी स्थान चुना गया है और भूमि के पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अब भूमि का छिद्रण चल रहा है। और इसके शीघ्र पूरे हो जाने की आशा है। रूमानिया वाले लोग टेक्निकल डिजायनें तैयार कर रहे हैं और इनके अगस्त, १९५९ के अन्त तक आजाने की आशा है। संबंधित सरकारों द्वारा नामजद संगठनों के बीच संभरण और प्रविधिक सहायता के ठेके शीघ्र ही कर लिये जायेंगे।

आसाम सरकार ने अब तक नुनमाटी में लगभग १८० एकड़ भूमि इंडिया रिफाइनरीज़ लिमिटेड को दी है। शेष भूमि को प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड ने निर्माण संगठन का मुख्यालय गौहाटी में स्थापित किया है। अस्थायी निवास स्थानों का निर्माण, पानी और बिजली के संभरण की अस्थायी व्यवस्था, भूमि को समतल बनाने और रेलवे साइडिंग बनाने का काम चल रहा है।

(ख) टेक्नीकल अफसर	१०
नान टेक्नीकल अफसर	५
टेक्नीकल कर्मचारी	५२
नान-टेक्नीकल कर्मचारी	३६
जोड़ . . .	१०३

सरकारी उपक्रमों का अंशदान

†*४२६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनाये जाने के लिये मूल्य निर्धारण और सामान्य राजस्व में अंशदान के संबंध में कोई नीति निर्धारित की है ; और

(ख) यदि इस संबंध में कुछ निदेश दिये गये हों तो वह क्या हैं ;

(ग) १९५८-५९ में हमने कुल कितनी पूंजी लगाई और उससे कितनी प्राप्ति हुई ; और

(घ) १९५९-६० के लिये कितने राजस्व की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) और (ख). कीमतें आम तौर पर उत्पादन लागत, प्रचलित बाजार भाव, उसी प्रकार की आयात की गयी वस्तुओं की कीमत आदि सभी बातों का ध्यान रख कर तय की जाती हैं। सामान्य राजस्व में कोई प्रतिमान अंशदान निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये उपक्रम अपने कार्य के वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखकर लाभांश घोषित कर देते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में पाठ्य पुस्तकों की कमी

†*४२७. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऊंची कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों की आमतौर पर कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अवैध शराब तैयार करना

*४२८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९, अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २११४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की जन सम्पर्क समिति ने अवैध शराब बनाने के अपराधी व्यक्तियों को जुर्माने के अतिरिक्त कड़ी कैद की सजा देने का जो सुझाव दिया था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये पंजाब आबकारी (संशोधन) एक्ट, १९५६ को लागू करने के सवाल पर विचार किया जा रहा है ।

पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें निश्चित करना

†*४२९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सूपकार :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें निश्चित करने का नया फार्मूला तय करने के लिये तेल कम्पनियों से और आगे बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). पिछले वर्ष की बातचीत के फलस्वरूप तेल कम्पनियों ने अपने विक्रय मूल्य में कुछ तदर्थ कमियां कर दी थीं (अतिरिक्त शुल्क लगाकर जिनका परिसमापन कर दिया गया था) और इस बात के लिये राजी हो गयी थीं एक नया मूल्य फार्मूला निकालने के लिये सरकार का मुख्य कास्ट एकाउंट्स आफिसर उनकी जांच करे और यह फार्मूला १-४-५८ से भूतलक्षी प्रभाव में आ जाय । यह जांच पूरी हो गई है और उसके परिणामों पर विचार करने के पश्चात् नया फार्मूला निकलने के लिये कम्पनियों से बातचीत आरम्भ कर दी गयी है और इसी फार्मूले के आधार पर नये मूल्य निर्धारित किये जायेंगे । यह बातचीत अब काफी आगे बढ़ चुकी है और इसके पूरे होते ही अन्तिम परिणामों की घोषणा कर दी जायेगी ।

ऋण सूचना विभाग

†*५३०. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **वित्त** मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक सरकारी ऋण सूचना विभाग की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके संगठन और कृत्यों का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माध्यमिक स्कूलों के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण

†*४३१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की मद्रास में हुई बैठक की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने देश के नये माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्रशिक्षण किन स्थानों में दिया जायगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). बोर्ड की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नन्दाकोट अभियान

***४३२. श्री वाजपेयी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना के एक पर्वतारोही दल ने २२,५१० फुट ऊंचे नन्दाकोट शिखर पर अपने अभियान में सफलता पाई ;

(ख) यदि हां, तो इस पर्वतारोहण में कितने व्यक्ति सम्मिलित थे और उन्हें कितने दिन लगे ;

(ग) इस अभियान की अन्य उल्लेखनीय बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या इस स्मरणीय घटना की कोई फिल्म बनाई गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) इस दल में पांच नौसेना के व्यक्ति तथा दो ऊंचाई पर जाने वाले शेरपा थे और इन्होंने ३९ दिनों में चढ़ाई पूरी की थी ।

(ग) इस चढ़ाई की खास बातें नीचे लिखी हुई हैं :—

(१) इस दल ने एक ऐसे रास्ते का पता लगाया जो कि अब तक की चढ़ाइयों से भिन्न है । इससे समय, खाने-पीने की रसद और सामान में बचत हुई है ।

(२) जापानियों ने १९३६ में जो सफल चढ़ाई की थी उसकी बनिस्बत इस दल ने आधे कुलियों द्वारा और आधे समय में सफलता प्राप्त की है ।

(घ) जी हां ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†*४३३. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री खुशवक्त राय :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कितने मामले पुनरावलोकन समिति के सुपुर्द किये जाने के संबंध में राय के लिये भारत के सालिसिटर जनरल को सौंपे गये हैं ;

(ख) कितने मामले वास्तव में पुनरावलोकन समिति के सुपुर्द किये गये हैं ; और

(ग) उनके बारे में पुनरावलोकन समिति ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) बारह ।

(ख) ग्यारह ।

(ग) ये मामले अभी पुनरावलोकन समिति के विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में प्रादेशिक भाषायें

†७०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये १९५८-५९ में कुल कितना रुपया सहायता-अनुदान के रूप में पंजाब राज्य को दिया गया है ;

(ख) इसे किन मदों पर खर्च किया जाना था ; और

(ग) १९५९-६० में कितनी राशि दी जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). २७,००० रुपये। 'हिन्दी विश्व भारती' नामक हिन्दी के शब्द कोष को पंजाबी भाषा में अनुदित करने के लिये जो खर्च कूता गया है यह उसका ५० प्रतिशत अंश है।

(ग) १९५९-६० के लिये सहायता अनुदान विषयक कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दियों की सजा का कम किया जाना

†७०९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे (१) हत्या के मामलों और (२) अन्य मामलों की संख्या कितनी है जिनमें १९५९ में (३० जून, १९५९ तक) राष्ट्रपति ने सजा माफ या कम कर दी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : १ जनवरी से ३० जून, १९५९ तक की अवधि में २५ बन्दियों का मृत्यु दंड आजन्म कारावास में बदल दिया गया और २ बन्दियों की सजा कम कर दी गयी है।

पंजाब राज्य की सेवाओं का एकीकरण

†७१०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य की सेवाओं का एकीकरण से कितने सरकारी कर्मचारियों की अपीलों का अब तक निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) कितनी अब भी विचाराधीन हैं ; और

(ग) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप पंजाब राज्य की सेवाओं का एकीकरण पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पंजाब राज्य के राजपत्रित कर्मचारियों की ५८ और अराजपत्रित कर्मचारियों की ३९५ अपीलों का अब तक फैसला हो चुका है।

(ख) राजपत्रित कर्मचारियों की १०८ और अराजपत्रित कर्मचारियों की २५६ अपीलें मंत्रणा समितियों के विचाराधीन हैं।

(ग) पंजाब राज्य की सेवाओं के एकीकरण से संबंधित अवशिष्ट कार्यों को पूरा करने में राज्य सरकार को संभवतः ६ से ८ महीने लग जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय

†७११. **श्री पांगरकर:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९५९-६० में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को कितनी राशि के अनुदान देने वाला है ; और

(ख) १९५८-५९ में वास्तव में कितनी राशि दी गयी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) शिक्षा मंत्रालय ने १९५९-६० में (३०-६-१९५९ तक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्फत मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को १,५०,००० रुपयों का भुगतान किया है। १९५९-६० में आयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय को संभवतः और कुछ अनुदान भी देगा। लेकिन अभी से इस राशि का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) कुछ नहीं।

माहुर और मिकिर पर नागा आक्रमण

†७१२. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नागा विद्रोहियों ने मई, १९५९ के दूसरे पखवारे में उत्तर कछार में माहुर और मिकिर पर्वतीय जिले पर हमला कर दिया था और कुछ व्यक्तियों को उठा ले गये थे ;

(ख) क्या उठा कर ले जाये गये व्यक्तियों को छुड़ा लिया गया है ; और

(ग) क्या अपराधियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में वार्धक्यता प्राप्त कर्मचारियों को पुनः काम पर रखना

†७१३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५५ वर्ष या ६० वर्ष के बाद सेवोन्मुक्त किये गये कर्मचारियों को प्रतिरक्षा संस्थापनों में पुनः काम पर रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों में पुनः काम पर रखे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

त्रिपुरा का 'मानुष' साप्ताहिक

†७१४. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन 'मानुष' साप्ताहिक-पत्र को अपने विज्ञापन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ और १९५८-५९ में इस पत्र को विज्ञापन-शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ग) इस पत्र की लेखा परीक्षित साप्ताहिक बिक्री कितनी है जिससे इस व्यय को उचित ठहराया जा सके ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां । त्रिपुरा प्रशासन के विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये जिन ४ स्थानीय पत्रों का अनुमोदन किया गया है 'मानुष' भी उन में शामिल है ।

(ख) १४,४२३ रुपये ।

(ग) १६२५ ।

अन्य पिछड़े वर्ग

†**७१५. श्रीमती मंजुला देवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि अन्य पिछड़े वर्गों की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है ;

(ख) उनके पिछड़ेपन की अवस्था क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार आगामी जनगणना के समय अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन का वर्ग-वार सर्वेक्षण करने वाली है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मानदण्ड निर्धारित करने का प्रश्न अब भी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

आसाम में अन्य पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†**७१६. श्रीमती मंजुला देवी** : क्या **शिक्षा** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५७-५८ के लिये सातवें प्रतिवेदन (भाग २) के परिशिष्ट १६— विवरण १ व २ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में आसाम के अन्य पिछड़े हुये वर्गों के विद्यार्थियों को कितनी व कितने धन की छात्रवृत्तियां दी गईं ;

(ख) अन्य पिछड़े हुये वर्गों की राजबांगशी समुदाय के कितने उम्मीदवार थे और उन्हें कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ग) आसाम के अन्य पिछड़े हुये समुदायों को (समुदायवार) कितनी छात्रवृतियों दी गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८**]

---

†मूल अंग्रेजी में

भोपाल में कला-वीर्घा[‡]

†७१७. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में एक कला-दीर्घा स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये केन्द्रीय ने कितना धन दिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) आजकल भोपाल में कला-दीर्घा स्थापित करने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ख) इस उद्देश्य के लिये अनुदान की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली नगर निगम को ऋण

†७१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य कार्यों के लिये दिल्ली नगर निगम ने भारत सरकार से १,०४,२५००० रु० के ऋण की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

धन-कर

†७१९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री २४ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब यह पता लगा लिया है कि धन-कर का अन्य करों को छिपाने के मामलों का पता लगाने में क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रभावों का पता लगा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षा सर्वेक्षण

†७२०. { **श्री ए० च० मास्सी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त राज्यों में शिक्षा सर्वेक्षण पूर्ण हो गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है ।

(ग) इस आरम्भ से अब तक कितना व्यय हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Art Gallery.

(घ) कार्य की पूर्ति के लिये कितने धन की आवश्यकता है; और

(ङ) अखिल भारतीय प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर कब रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त, जहां राज्य सरकार ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया, सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) केन्द्रीय अंश के रूप में ११,९७,८०३ रु० ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) प्रतिवेदन छप रहा है और उपबन्ध होते ही सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

विदेशी मुद्रा

†७२१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **वित्त** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष मामलों में विदेश जाने वाले बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ पूर्ण हो गई है ; और

(ख) कितने मामलों में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) फरवरी १९५९ में अनिश्चित पड़े आठ मामलों में से पांच मामलों में पूछ-ताछ पूर्ण हो गई है; एक का न्यायनिर्णय हो रहा है और शेष दो की जांच पड़ताल हो रही है ।

(ख) एक पूर्ण विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

कर गवेषणा एकक

†७२२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकोषीय मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिये आर्थिक-कार्य विभाग में एक कर गवेषणा एकक की स्थापना के लिये, जैसी कि कराधान जांच आयोग ने सिफारिश की है, क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : वित्त मंत्रालय के आर्थिक-कार्य विभाग में आर्थिक डिवीज के एक अंग के रूप में कर गवेषणा एकक स्थापित करने का निश्चय किया गया है । सामान्यतया एकक, जो आरम्भ में छोटा होगा, कराधान जांच आयोग के सुझावानुसार कार्य करेगा ।

आशा है कि एकक शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति

†७२३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री बाजपेयी :
श्री पहाड़िया :
श्री बै० च० मलिक :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति की सिफारिशों पर क्या निश्चय किया गया है; और

(ख) स्वीकृत सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

अपीलीय न्यायाधिकरणों में अवशिष्ट कार्य

†७२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपीलीय न्यायालय में अपील तथा आयकर व उत्पादन शुल्क सम्बन्धी पुनरीक्षण के मामले बहुत बड़ी संख्या में अनिश्चित पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अनिश्चित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १ जून १९५९ को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की नौ शाखाओं में आय-कर की १७,२०४ अपीलें अनिश्चित पड़ी थीं ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के बारे में अपील तथा पुनरीक्षण-प्रार्थनायें किसी भी अपीलीय यायाधिकरण में नहीं जातीं ।

(ख) विधि मंत्रालय, जिसका आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण से प्रशासनात्मक सम्बन्ध है, आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिये और कर्मचारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

बोकारो में चौथा इस्पात कारखाना

†७२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ७ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९३ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो में चौथा इस्पात कारखाना स्थापित करने की योजना किस स्थिति में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : तारांकित प्रश्न संख्या २२९३ के उत्तर में ७ मई, १९५९ को बताई गई स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। इसके कार्य-स्थान पर प्रारम्भिक कार्य चल रहा है।

बर्नपुर स्थित इस्पात कारखानों का विस्तार

†७२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्नपुर स्थित 'इंडियन आयरन तथा स्टील वर्क्स' के विस्तार का कार्यक्रम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार का व्योरा क्या है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). समवाय ने समूचा विस्तार कार्य-क्रम पूरा नहीं किया है परन्तु निम्न कार्य पूरे हो गये हैं :

(१) दो कोक भट्टियां ;

(२) दो धमन भट्टियां (प्रत्येक की क्षमता १२५० टन लोहा प्रति दिन है) ;

(३) इस्पात बनाने के लिये खुले चूल्हे वाली भट्टियाँ ;

(४) दो बिलेट स्टेन्ड ;

(५) गुआ में अयस्क हस्तन संयंत्र; और

(६) मिक्सर और कनवर्टर, बायलर, सोकिंग पिट, आदि जैसे अन्य सहायक कार्य।

निर्मित इस्पात उपभोग विशेषज्ञ समिति[1]

†७२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार १९६०-६१ तक निर्मित होने वाले ४०-५० लाख टन इस्पात का प्रयोग करने की हमारी क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने इस कार्य के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाई है।

(ख) आशा है कि अक्तूबर, १९५९ तक अध्ययन समाप्त हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Expert Committee on Consumption of finished steel.

गहरा छेद करने वाले बर्मों का रूस से क्रय

†७२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच और गहरे छेद करने वाले बर्मों के क्रय की बातचीत रूस सरकार के साथ पूर्ण हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) तथा (ख). हाल में ही दो [1]युरालमश ५ डी बर्मों, (क्षमता ३००० मीटर) के क्रय के ठेके पर रूसी प्राधिकारियों के साथ हस्ताक्षर हुये हैं ।

बम्बई में नौसेना नावांगन

†७२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में नौ सेना नवांगन के विस्तार में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कितना व्यय हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) नौसेना नावांगन विस्तार योजना विभिन्न अवस्थाओं में कार्यान्वित की जायेगी । प्रथम अवस्था में, जो अब कार्यान्वित की जा रही है, एक पूर्ण सुसज्जित युद्धपोत नौ मार्जन स्थान का निर्माण हो रहा है और जांच के लिये आगामी वर्ष के आरम्भ में तैयार हो जायेगा । भीतरी वेसिन का तलकर्षण, चट्टान तोड़ने, बैरकों और विध्वसंक पोतों के घाटों के निर्माण, सुधार, आदि का कार्य विभिन्न स्थितियों में हो रहा है और प्रत्याशा है कि यह सम्पूर्ण कार्य १९६१ के मध्य तक समाप्त हो जायेगा ।

(ख) ३१ मई, १९५९ तक २, ६६,२३,३५३ रु० ५१ नये पैसे ।

विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में सुधार

†७३०. {
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री २१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त थी, अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या क्या सिफारिशें हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deep Drilling Rigs.

(ग) विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तरों पर सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन

†७३१. { **श्री संगण्णा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों की सारी शिक्षण संस्थाओं में शान्ति व अनुशासन रखने की प्रणाली लागू हो गई है; और

(ख) जिन राज्यों ने अब तक प्रणाली लागू नहीं की है उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

शान्ति रखने के लिये मध्य प्रदेश, बम्बई, आन्ध्र, उड़ीसा, जम्मू तथा काश्मीर तथा मनीपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लकाद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवि द्वीप समूह के प्रशासनों ने अपने अधीन स्कूलों को अनुदेश दिये हैं। (प्रश्न में "अनुशासन" का उल्लेख स्पष्ट नहीं है) पंजाब सरकार ने शान्ति रखने की ओर स्कूलों के अध्यक्षों का ध्यान आकर्षित किया है। अन्य राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विश्व भारती, दिल्ली, बनारस तथा जबलपुर विश्वविद्यालयों ने संघटक तथा संबद्ध कालिजों के प्रिसपलों का ध्यान प्रतिदिन शान्ति रखने की उपयुक्तता की ओर आकर्षित किया है। अलीगढ़, करनाटक, जाधवपुर, उत्कल, मद्रास, जम्मू तथा काश्मीर, बल्लभभाई विद्यापीठ आन्ध्र, बड़ौदा, गोरखपुर, सागर और उस्मानिया विश्वविद्यालयों ने (क) कालिजों में संयुक्त सभा करने के लिये केन्द्रीय हाल के न होने, और (ख) विभिन्न विभागों के विभिन्न समय होने के कारण ऐसे अनुदेश देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। इसके अतिरिक्त, उनमें से कुछ ने बताया है कि ऐसे मामलों पर कालिजों को अनुदेश नहीं दिये जाते। बाकी विश्वविद्यालयों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

†७३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १२ फरवरी, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना काल में देश में तेल के विकास की योजनाओं का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बनाये जाने में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अपने कार्य के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बनाई गई प्रारूप रूपरेखा योजना विचाराधीन है ।

कोयला उत्पादन

†**७३३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ के लिये कोयला उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** १३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२० के उत्तर के अनुसार गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में वर्षवार कोई औपचारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । इस वर्ष मई के अन्त तक उत्पादन लगभग २ करोड़ टन हुआ था । आशा है कि १९५९ के अन्त तक उत्पादन के निम्न स्तर प्राप्त हो जायेंगे :—

गैर सरकारी क्षेत्र	४.१ करोड़ टन ।
सरकारी क्षेत्र	८० लाख टन ।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्

†**७३४. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की चौथी बैठक के निश्चयों को, जो कि जयपुर में हुई थी, कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** १८ जनवरी, १९५९ को जयपुर में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के निश्चयों की कार्यान्विति के लिये की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

विधि आयोग का प्रतिवेदन

†**७३५. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **विधि** मंत्री २४ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न परिनियमों पर विधि आयोग के प्रतिवेदनों की जांच में आगे क्या प्रगति हुई है :—

(क) विशिष्ट सहायता अधिनियम, १८७८ ;

(ख) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ ;

(ग) परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ ; और

(घ) आयकर अधिनियम, १९२२ ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) **विशिष्ट सहायता अधिनियम :—**विधि आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार एक विधेयक तैयार किया जा रहा है । विधेयक के तैयार होने पर राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा ।

भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ :—दो सम्बद्ध प्रशासी मंत्रालय, अर्थात् निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय तथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इस मंत्रालय के परामर्श से प्रतिवेदन

†मूल अंग्रेजी में

की जांच कर रहे हैं। विधान समवर्ती सूची में आता है। अतः यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारों को लिखा जाये और प्रतिवेदन से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण बातों पर उनका मत मांगा जाये ।

(ग) **परकाम्य संलेख अधिनियम, अधिनियम**—प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय और इस मंत्रालय के विचाराधीन है ।

(घ) **आय कर अधिनियम, १९२२**—प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय युवक केन्द्र, नई दिल्ली

†७३६. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में तालकटोरा बाग के पास पहाड़ी क्षेत्र के एक भाग में राष्ट्रीय युवक केन्द्र बनाने के प्रस्ताव की अन्तिम स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने अभी तक अपेक्षित भूमि नहीं दी है । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग केन्द्र का डिजाइन और व्यय का प्राक्कलन तैयार कर रहा है ।

स्टेटिक वर्कशाप, नई दिल्ली, से हथियारों की चोरी

†७३७. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या नई दिल्ली के स्टेटिक वर्क शाप से हथियारों और गोला बारूद की चोरी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई विभागीय जांच का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार हो चुका है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) क्योंकि असैनिक पुलिस ने, जिसने इस मामले की जांच की थी, सम्बद्ध व्यक्तियों पर शस्त्र अधिनियम की धारा २० के अधीन नई दिल्ली के रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग चलाया है और अभियोग के न्यायाधीन होने के कारण सेना प्राधिकारियों ने कोई पृथक जांच नहीं की है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त सदस्यों का गैर सरकारी फर्मों में नौकरी करना

†७३८. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री म० मु० तारिक : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के उन सदस्यों के मामलों की जांच की है जिन्होंने सेवा निवृत्ति पाकर सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी कर ली है और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त चेयरमैन श्री आर० एन० बनर्जी, आई० सी० एस०, ने सरकार को पूर्वानुमति से सेवानिवृत्त हो कर हिन्दुस्तान इलैक्ट्रिक कम्पनी लि० के फरीदाबाद वर्कशाप के महाप्रबन्धक के रूप में गैर-सरकारी नौकरी कर ली है। संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त सदस्य श्री एस० बी० कानूनगो ने सरकार की पूर्वानुमति से राज्य व्यापार निगम के अंश कालिक कर्मचारी निदेशक के रूप में नौकरी कर ली है। यह भी पता लगा है कि श्री कानूनगो ने एक गैर सरकारी फर्म के परामर्शदाता के रूप में भी अंश-कालिक गैर-सरकारी नौकरी कर ली है। इसके लिये उन्हें सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों की संख्या

†७३९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना के उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिये वर्तमान भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों और भूतपूर्व आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या पर्याप्त है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रशासनात्मक सेवा के बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख) सरकार इस प्रश्न पर तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैद्धान्तिक भौतिकी सम्बन्धी गोष्ठी[1]

†७४०. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि जून, १९५९ में मसूरी में एक सैद्धांतिक भौतिकी सम्बन्धी गोष्ठी हुई थी ।

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इसमें क्या निश्चय किये गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) २२ मई, १९५९ से १९ जून, १९५९ तक मसूरी में सैद्धांतिक भौतिकी पर एक ग्रीष्म स्कूल लगा था ।

(ख) अब तक ३६,३०९ रु० व्यय हुये हैं ।

(ग) यह एक अध्ययन दल था जिसमें देश के विभिन्न भागों में सैद्धांतिक भौतिकी पर हो रहे कार्य पर नियमानुकूल पुनर्विचार किया गया था । गवेषणा-कर्ताओं ने अपने कार्य के बारे में और वह साथी वैज्ञानिकों की आलोचनार्थ प्रस्तुत किया । कार्यवाही का सारांश तैयार हो रहा है तथा वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रकाशित हो जायेगा । स्कूल की सिफारिशों में निम्न उल्लेखनीय हैं :—

(१) प्राप्त फलों की दृष्टि से ऐसे स्कूलों का आयोजन अधिक बार, कम से कम वर्ष में एक बार, किया जाना चाहिये ।

(२) सैद्धांतिक भौतिकी के लिये भारत सरकार को अनेकों उच्च गवेषणा केन्द्र स्थापित करने चाहिये ।

(३) फ्रांस, जर्मनी और रूस में प्रकाशित हुई सैद्धांतिक भौतिकी सम्बन्धी अनेकों पुस्तकों का अनुवाद होना चाहिये और उच्च गवेषणा-कर्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिये ।

(४) सैद्धांतिक भौतिकी में गवेषणा करने वाले दलों को उन विषयों पर पर निबन्ध प्रकाशित करने चाहियें जिन पर वे कार्य कर रहे हैं ।

विश्वविद्यालय शिक्षा

†७४१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री सरजू पांडे :
श्री हेम राज : }

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश न पाने देने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जो उनके लिये योग्य नहीं हैं और जिनमें वास्तविक मानसिक आकांक्षा नहीं है, विश्वविद्यालयों से जानकारी एकत्रित कर ली गई है एवं उस पर निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Seminar on Theoretical Physics.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों को शिक्षा अनुदान

†७४२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य शिक्षा योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दिये गये सहायता अनुदानों की बड़ी बड़ी राशियां १९५८–५९ में अब तक व्यय नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितनी राशि (राज्यवार) नहीं हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) अभी तक समेकित खाते प्राप्त न होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में स्कूल निरीक्षकालय का पुनर्गठन

†७४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १९५८-५९ में पंजाब सरकार से स्कूल निरीक्षकालयों का पुनर्गठन करने की योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना अनुमोदित हो गई है ; और

(ग) इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हां, १९५८-५९ के लिये उनके शिक्षा विकास कार्यक्रम के रूप में ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) योजना की मुख्य बातें निम्न हैं :—

(१) पटियाला और भटिन्डा डिविज़नों को मिलाकर एक डिविज़न अर्थात् पटियाला डिवीज़न बनाना तथा प्रशासी डिवीज़नों के अनुसार राज्य में तीन शिक्षा डिवीज़न, अर्थात् अम्बाला, जालन्धर और पटियाला डिवीज़न बनाना जिनमें से प्रत्येक अध्यक्ष एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अब तक के पेप्सू निरीक्षकालय के कर्मचारियों को पंजाब में लाना ।

(३) स्कूलों का निरीक्षण प्रभावी बनाने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण अधिकारियों के कार्य की मात्रा निर्धारित करना और जहां कहीं स्कूलों की संख्या अधिक हो वहां निरीक्षण अधिकारियों के अधिक पद बनाना ।

(४) वास्तविक कार्य-भार के युक्तियुक्त आधार पर निरीक्षण अधिकारियों के लिये क्लर्क, आदि की संख्या निर्धारित करना ।

पंजाब में पुनर्बेलन मिलें

†७४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से किसी ग़ैर-सरकारी फर्म ने पंजाब में नई पुनर्बेलन मिलें[1] खोलने के लिये सरकार के पास आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई नया लाइसेंस दिया गया है ; और

(ग) ये मिलें कहां पर स्थापित होंगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हाल में कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर राज्य में पाइराइट्स निक्षेपों के सर्वेक्षण के लिये अमरीकी सहायता

†७४५. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने इनगोल्डहाल[2] पाइराइट्स निक्षेपों का दौरा किया था ;

(ख) क्या निक्षेपों का सर्वेक्षण करने के लिये मैसूर सरकार को अमरीकी सरकार ने कुछ सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो सहायता किस प्रकार की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी उपक्रम

†७४६. **श्री अन्सार हरवानी :** क्या **वित्त** मंत्री उन सरकारी उपक्रमों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके सभापति ग़ैर-सरकारी लोग नियुक्त किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Re-Rolling Mills.

[2]Ingoldhal.

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(१) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड ।

(२) एक्सपोर्ट रिस्क्स इन्श्योरेंस कारपोरेशन ।

(३) इण्डियन हैण्डीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन ।

(४) नेशनल न्यूज़प्रिंट ऐण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड ।

(५) रिहैबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन ।

(६) रिहैबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन ।

(७) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ।

(८) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ।

(९) बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड ।

(१०) इण्डियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड ।

(११) इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड ।

(१२) निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड ।

(१३) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन ।

चित्तौड़गढ़ में खुदाई कार्य

†७४७. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर जिले के चित्तौड़गढ़ में खुदाई का कार्य प्रगति पर है ; और

(ख) यदि हां, तो ३० जून, १९५९ तक किस प्रकार की वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) खुदाई कार्य वास्तव में प्रगति पर इस समय नहीं है । छोटे पैमाने पर खुदाई का काम पिछले वर्ष सती होने वाले स्थान में किया गया था जो पूरा हो गया है ।

(ख) १९५८ में, सामान्य सफाई और विजय स्तम्भ के निकट चार छोटे पावन स्थानों के चबूतरों को समतल करने में कुछ राख और जली हुई हड्डियां पाई गई थीं । उसके बाद जून, १९५८ में सती होने वाले स्थान का छोटे पैमाने पर इस बात का निश्चय करने के लिये खुदाई की गई थी कि इस प्रथा के प्रचलन की पुष्टि की जा सके । खुदाई से पांच प्रकार की ढांचा स्थितियों का पता लगा । प्रथम स्थिति में एक छोटे पावन स्थान के समीप दो अन्य पावन स्थान मिले जो ११वीं शताब्दी के हैं । दूसरी स्थिति में भी एक छोटा सा पावन स्थान बना हुआ मिला । पत्थर का रास्ता और दूसरी स्थिति की दो नींव की दीवारें कुछ खुली हुई थीं । तीसरी और चौथी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं । तीन पावन स्थान और भट्टे की जली हुई ईंटों का एक चौकोर स्थान खुला पड़ा था । इस बने हुये स्थान के अन्दर छः इंच मोटी राख की तह पाई गई और कच्चा फर्श जला हुआ पाया गया । इसके समीप ही तीन गड्ढों में राख भरी थी । चौथी स्थिति का एक और मनोरंजक स्थान ईंटों का बना चबूतरा पाया गया जिसके ऊपर सती होने का पत्थर था । खुदाई के दौरान में दो अलग-अलग सती वाले पत्थर भी मिले थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किनवट (बम्बई राज्य) में लिग्नाइट निक्षेप

†७४८. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को बम्बई राज्य के नान्देर जिले की किनवट नामक तहसील में लिग्नाइट पाये जाने के बारे में कोई जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार के बम्बई राज्य के नान्देर जिले की किनवट तहसील में लिग्नाइट पाये जाने की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मनीपुर में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक करों की वसूली

†७४९. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में १९५८–५९ में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक करों की वसूली में कोई कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) त्रिपुरा में १९५८–५९ में १९५७–५८ के आंकड़ों की तुलना में केन्द्रीय कर अर्थात् आय कर के रूप में वसूल किये गये राजस्व में १६,००० रुपये की और कुछ प्रादेशिक करों में २,९७,८५० रुपये की कमी हो गई है।

(ख) राजस्व में कमी के निम्न कारण थे;

केन्द्रीय कर : **आयकर**

१. भारतीय आयकर अधिनियम की धारा २६–क के अधीन कुछ राजस्व वाले मामलों के लिये पंजीयन मंजूर कर लिया गया जिस से मांग कम हो गई है ; और

२. वर्ष के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक कार्य कलाप का न होना ।

प्रादेशिक कर : स्थानीय बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, भूराजस्व और पहाड़ों का मकान कर, जल-कर

१. मिल के बने कपड़े, तम्बाकू और तम्बाकू से बनी वस्तुओं पर १४ दिसम्बर, १९५७ से स्थानीय बिक्री कर हटा दिया गया ;

२. सिले-सिलाये कपड़ों पर १ अप्रैल, १९५८ से लगाये गये स्थानीय बिक्री कर का ३¹/₂ प्रतिशत से १ प्रतिशत कर दिया जाना ;

३. प्रशासन द्वारा मद्यनिषेध नीति को अपनाये जाने के कारण उत्पादन शुल्क में हानि जैसे,

(१) १.४.५८ से गांजा और देशी शराब की सारी दुकानों को बन्द कर देना ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अफीम के आदी लोगों को संभरण की जाने वाली अफीम की मात्रा में धीरे धीरे कमी करना ।

४. भू-राजस्व और पहाड़ों पर मकान कर को वहीं पर जाकर न वसूल करने के कारण उनमें नुकसान ;

५. गाजा की खेती पर प्रतिबन्ध लगा कर भू-राजस्व में हानि ; और

६. कुछ मामलों में जल-कर की बकाया राशि को जमा करना ।

आय-कर अपवंचन

†७५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आय-कर अपवंचन के मामलों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस खण्ड अथवा किन-किन राज्यों में आय-कर अपवंचन अधिक प्रचलित है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) आय-कर विभाग के पास जो जानकारी उपलब्ध है उस से यह पता नहीं चलता कि देश में आय-कर अपवंचन का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंगभूम (बिहार) में सेलखड़ी की खानें

†७५१. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि क्या बिहार के सिंगभूम ज़िले में पथर पहाड़ा के निकट ६० लाख टन सेलखड़ी की खानों का पता चला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने जिला सिंघभूम, बिहार में पथर पहाड़ा भितर दरी के निकट सेलखड़ी (टेलक-मैग्नेसाइट राक) की जांच पड़ताल की है । इस निक्षेप के ५० फीट की गहराई तक के बारे में अनुमान है कि वह लगभग ६० लाख टन होगी ।

टेहरी गढ़वाल में जिप्सम निक्षेप

†७५२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल, देहरादून, गढ़वाल और नैनीताल के जिलों में जिप्सम के निक्षेप पाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां । जिप्सम के निक्षेप उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल , देहरादून , गढ़वाल और नैनीताल ज़िलों में पाये जाते हैं, ऐसा बताया जाता है कि इन क्षेत्रों में जांच-पड़ताल कर के जो निक्षेप पाये गये उन के संबंध में विस्तृत जानकारी भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के "भारत के खनिज पदार्थ खण्ड ४ संख्या ४ भारत संघ में जिप्सम" नामक प्रकाशन में छाप दी गई है ।

---

†मूल अंग्रजी में

अण्दमान में बसे लोग

†७५३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार महीनों में बाहर के कितने लोग अण्दमान में आकर बस गये हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : १८ मार्च, १९५९ से ४ जुलाई १९५९ तक बस्ती बसाने की योजना के अन्तर्गत तीन सौ इक्कीस परिवार जिन में १, ३१६ लोग हैं, अण्दमान में बसाये गये हैं ।

राष्ट्रमंडल विकास बैंक

†७५४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वित्त मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रमंडलीय देशों के विकास के लिये एक राष्ट्रमंडल विकास बैंक स्थापना के प्रश्न की क्या स्थिति है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राष्ट्रमंडल विकास बैंक की स्थापना के प्रश्न का अभी अध्ययन किया जा रहा है ।

मंत्रालयों द्वारा प्राप्त हिन्दी पत्र

७५५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों को कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए हैं और उन में से कितनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ;

(ख) क्या ऐसे भी कुछ कार्यालय हैं जिन में आधे पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में नहीं दिये जाते ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :

(क) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]

(ख) जी हां ।

(ग) कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

विभागीय मैनुअलों का हिन्दी में अनुवाद

७५६. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में काम आने वाले विभागीय मैनुअलों, (नियम संग्रहों) नियम संहिताओं और विनियमों आदि की कुल संख्या कितनी है और उन में से कितनों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने मैनुअलों आदि का हिन्दी में अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है ;

(ग) इन मैनुअलों का अनुवाद करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(घ) क्या यह संख्या सरकार की दृष्टि में पर्याप्त है ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा -पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज भाषा संसदीय समिति की रिपोर्ट पर निर्णय हो जाने के बाद इस पर पुनर्विचार किया जाएगा ।

हिन्दी में विश्वविद्यालय-शिक्षा

७५७. श्री सरजू पांडे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विश्वविद्यालय हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं ; और

(ख) क्या हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों को अधिक अनुदान दिया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३१ विश्वविद्यालयों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, सागर विश्वविद्यालय केवल हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दे रहा है और आगरा, इलाहाबाद, गुजरात, लखनऊ, जबलपुर, विक्रम और एस० एन० डी० टी० विश्वविद्यालय शिक्षा के एक या एक से अधिक स्तरों पर हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाएं देते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

†७५८. **श्री सरजू पांडे** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास (हिन्दी के अतिरिक्त)" योजना के अन्तर्गत संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रन्थों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने की योजना के लिये कुल कितना धन दिया गया है, और

(ख) इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) १९५८-५९ में आसाम सरकार को महाभारत का संस्कृत से आसामी में अनुवाद करने के लिए ४०,६०० रुपये दिये गये थे।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे १९५९-६० में भारतीय भाषाओं के विकास के बारे में अपने प्रस्ताव ३१ अगस्त, १९५९ तक भेज दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

जोधपुर में प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला

७५९. श्री विभूति मिश्र : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर स्थित प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला पर अब तक अर्थात् ३१ जुलाई, १९५९ तक कितना अनावर्तक व्यय हो चुका है तथा कितना वार्षिक आवर्तक व्यय होने की संभावना है ;

(ख) उक्त प्रयोगशाला में कितने आदमी काम करेंगे और उनके द्वारा किये जाने वाले प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रयोगशाला के खुल जाने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) ३१–७–५९ तक होने वाला अनावर्तक व्यय १० लाख रुपये है। वार्षिक, लगभग ३ लाख, आवर्तक व्यय होने का अनुमान है।

(३) प्रयोगशाला की, वर्तमान स्वीकृति कर्मचारी गण संख्या ९३ है। एक विवरण संलग्न है। जिस में प्रयोगशाला में होने वाले कार्य की साधारण रूप रेखा दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३७**]

(ग) चूंकि प्रयोगशाला १६ मई, १९५९ को ही खुल पाई थी। इस से होने वाली, विदेशीय मुद्रा की बचत का, अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

नागा पहाड़ियों के तुएनसांग क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†**७६०. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेपकि :

(क) क्या नागा पहाड़ियों के तुएनसांग क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी नागा तुएनसांग क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये मंजूर ३३$^1/_3$ प्रतिशत विशेष प्रतिकर भत्ता पाने के हक़दार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या डाक तथा तार कर्मचारियों को यह भत्ता दिया गया है और क्या वे इसे फरवरी, १९५८ के भूतलक्षी प्रभाव से पाने के हकदार हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** (क) और (ख) नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र प्रशासन के वे कर्मचारी जिनका मुख्यालय नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र में है उन्हें नीचे बताये निम्नतम और अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए १ मार्च, १९५८ से मूल वेतन का ३३$^1/_3$ प्रतिशत विशेष वेतन मंजूर किया गया है :—

पदाधिकारी की श्रेणी	निम्नतम रुपये	अधिकतम रुपये
प्रथम श्रेणी पदाधिकारी (आयुक्त को छोड़कर)	२०० प्रति मास	४०० प्रतिमास
द्वितीय श्रेणी पदाधिकारी	१२५ प्रति मास	२५० प्रति मास
तृतीय श्रेणी पदाधिकारी	५० प्रति मास	१५० प्रतिमास
चतुर्थ श्रेणी पदाधिकारी	२५ प्रतिमास	निर्धारित

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों उदाहरणतः डाक तथा तार कर्मचारियों आदि को इसी प्रकार का विशेष वेतन देने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर प्रशासन में सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही

†७६१. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन में सतर्कता पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाने के बाद से कितने सरकारी कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया है, उनका तबादला किया गया अथवा उन्हें सेवा से हटा दिया गया और जिन के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या उन लोगों में से किसी के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है अथवा केवल विभागीय कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** १९५८ में ४६ कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया ; जिन में से ५ को नौकरी से हटा दिया गया ; तबादला एक का भी नहीं किया गया। चालू वर्ष में २२ व्यक्ति अन्तर्गस्त थे, १६ को मुअतिल कर दिया गया है। उन से से किसी को न तो सेवा से हटाया गया है अथवा तबादला ही किया गया है।

(ख) १९५८ में सात व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और कुछ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।

सरकारी पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता

†७६२. **श्री वामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता संबंधी पुनरीक्षित योजना बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस मामले में क्या अन्तर्कालीन निर्णय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). पूर्ण पुनरीक्षित योजना नहीं तैयार की गई है। यात्रा संबंधी तथा दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों को आधुनिक ढंग पर लाने की योजना पर १९५८ के अन्त में विचार किया गया था। प्रस्तावों में अन्य चीजों के साथ विमान द्वारा यात्रा में आनुषंगिक व्यय में कमी करने तथा दैनिक भत्ते में वृद्धि करने का प्रश्न अन्तर्निहित था। दौरे पर विमान यात्रा संबंधी आनुषंगिक व्ययों का जहां तक संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति को एक ओर की यात्रा के लिये जितना विमान का भाड़ा दिया जाता है उसका १/५ आनुषंगिक व्यय के रूप में और अधिकाधिक ३० रुपये देने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं। किन्तु अन्य प्रस्तावों पर विचार उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया गया है जब तक कि वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं प्राप्त हो जाती।

विवियन बोस जांच बोर्ड

७६३. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम कांड के बारे में विवियन बोस जांच बोर्ड के संबंध में सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : सरकार ने विवियन बोस जांच बोर्ड पर लगभग १,५५,१०० रुपये खर्च किये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में आय-कर

७६४. श्री अमर सिंह डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम जिलों में कितने लोग आय-कर देते हैं ; और

(ख) १९५८–५९ में उपरोक्त जिलों से कितना आय-कर वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना नीचे दी गयी है :—

	आयकर देने वाले व्यक्तियों की संख्या	१९५८–५९ में वसूल किया गया आयकर (लाख रुपयों में)
जिला झाबुआ . . .	३०४	१.६९
जिला रतलाम	८७८	१०.८३

कैम्प कालिज, नई दिल्ली

†**७६५. श्री केशव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दयाल सिंह न्यास समिति ने दिल्ली के कैम्प कालेज को अपने अधिकार में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विद्यमान कर्मचारी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) कैम्प कालेज के सभी पूर्णकालिक अध्यापक जिनकी नियुक्ति ३१ मार्च, १९५८ से पहले की गई थी और जो अन्य कहीं सेवा में नहीं थे उन्हें दयाल सिंह कालेज नई दिल्ली के कर्मचारी वर्ग में नियुक्त कर लिया गया है ।

भारत का राज्य बैंक

†**७६६. श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य बैंक की अगुआकारी योजना द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को समायोजित ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने की दिशा में कितनी प्रगति की गई है, और

(ख) क्या सुविधाओं के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच राज्य सरकारों के पास भेजने से पहले स्वयं बैंक द्वारा की जाती है अथवा बैंक प्रत्यक्ष रूप से यथोचित सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से परामर्श किये बिना सहायता का प्रस्ताव कर देता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) कार्यवाहक पूंजी संबंधी कार्यों के लिये अल्प-कालीन ऋण के बारे में प्राप्त आवेदनों का निबटारा बैंक द्वारा अन्य प्राधिकारियों के परामर्श किये बिना कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य/दीर्घकालिक अग्रिमों संबंधी अथवा अधिक राशि वाले आवेदनों को निबटारे के लिये राज्य वित्तीय निगमों एवं अन्य राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है ।

सहकारी उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं का उल्लेख सहकारी बैंकों को कर दिया जाता है ।

विवियन बोस जांच बोर्ड

†७६७. **श्री महन्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन गवाहों को खर्चा दिया है जिनको प्रतिवादी विवियन बोस जांच बोर्ड के सम्मुख बुलाना चाहते थे ;

(ख) यदि हां, तो गवाहों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) उसके क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) से (ग). सरकार ने उन गवाहों को यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जिनको विवियन बोस जांच बोर्ड के सम्मुख जांच के लिए बुलाया गया था क्योंकि जांच बोर्ड की सम्मिति में बुलाये गये गवाहों का साक्ष्य महत्वपूर्ण था और इसीलिये बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की थी कि आपवादिक रूप में गवाहों के खर्चे का भुगतान सरकार करे । बोर्ड की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर लीं । इस मद पर लगभग ३२०० रुपये कुल व्यय हुआ ।

भारतीय ज्योतिष और संस्कृत अनुसन्धान संस्था

७६८. **श्री नरदेव स्नातक :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय ज्योतिष और संस्कृत अनुसंधान संस्था, दिल्ली को कोई आवर्तक अथवा अनावर्तक अनुदान दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वह क्रमश: कितना है; और

(ग) क्या सरकार देश की किसी अन्य संस्था को ज्योतिष विद्या की प्रगति के लिये वित्तीय सहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी धन राशि दी गई है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क)) और (ख). जी, हां । सन् १९५८–५९ में ८,३५० रुपयों का अनावर्ती अनुदान दिया गया था ।

(ग) और (घ) उस्मानिया यूनिवर्सिटी की निजामिया आब्जर्वेटरी को लगभग ८,०९,००० रुपयों के अनुदान दिये जा चुके हैं ।

खनिजों का उत्पादन

†७६९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष की तुलना में १९५८ में मैंगनीज अयस्क क्रोमाइट और सोने का उत्पादन कम हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इनका वार्षिक उत्पादन कितना था; और

(ग) उनके उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) इन खनिजों के वास्तविक उत्पादन का ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

खनिज	यूनिट	१९५७	१९५८
मैंगनीज अयस्क	'००० दशमिक टन	१,६८१	१,२५३
क्रोमाइट	दशमिक टन	७९,८०२	६१,३८४ (अस्थायी)
सोना	किलोग्राम	५,५७३	५,२९१

(ग) मैंगनीज अयस्क का उत्पादन १९५८ में कम हो जाने के अनेक कारण थे जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में उसकी मांग अत्यधिक सीमित हो जाना था और संसार के इस्पात उद्योग में लगातार मन्दी एवं विदेशी खरीदारों द्वारा स्टाक का जमा हो जाना था। अमरीका के बाजार में ब्राजील के अयस्क की प्रतिद्वंदिता के कारण और महाद्वीपीय बाजारों में रूसी अयस्क उपलब्ध होने के कारण भी भारतीय निर्यातकों को काफी हानि हुई जिससे उत्पादन में भी कमी हो गई।

बाहरी मांग में सामान्य कमी के कारण क्रोमाइट के उत्पादन में भी कमी हो गई।

सोने के उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण तैयार किये गये सोने के अयस्क के भाव का गिर जाना है।

हिमाचल प्रदेश का पुरातत्वीय सर्वेक्षण

७७०. श्री पद्म देव : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश का पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके परिणाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण नीचे दिया गया है :—

चम्बा जिले के ५५२ गांवों का सर्वेक्षण हो चुका है। इस जिले के बाद दूसरे जिलों का होगा।

†मूल अंग्रेजी में

जिन प्राचीन वस्तुओं का सर्वेक्षण किया गया है, उनका विवरण नीचे दिया जाता है :—

प्राचीन वस्तुओं का वर्णन	जिन गांवों में प्राचीन वस्तुयें पाई गई हैं, उनकी संख्या	दूसरे गांवों की संख्या	दिसम्बर १९५७ से मई १९५९ तक सर्वेक्षण किये गये कुल गांव की संख्या	आज तक का कुल खर्च
१	२	३	४	५
				रुपये
मंदिर	१२ गांव	५१५	५५२	७१३५.००
कुआं	२			
किला . .	१			
बावली . .	३			
सिक्का . .	१			
तोरण . .	१			
पवित्र स्थान (श्राइन)	१			
मठ	१			
पुल .	१			
गढ़ी (फोर्ट्स)	४			
मूर्तियां .	१८			
उत्कीर्णलेख (इन्स्क्रिपशन)	६			
फुहारे के पत्थर .	८			

खाना २ और ३ का जोड़ खाना ४ से नहीं मिलता क्योंकि कुछ गांवों में कई प्रकार की प्राचीन वस्तुयें मिलती हैं।

हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण संस्थायें

७७१. श्री पद्म देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन सी संस्थायें समाज कल्याण का कार्य कर रही हैं; और

(ख) वर्ष १९५८–५९ में किन-किन संस्थाओं को कितने-कितने अनुदान दिये गये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में स्कूल के भवन

७७२. श्री पद्म देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के भवनों की हालत बड़ी शोचनीय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन भवनों के लिये वर्षों पहले धन मंजूर किया गया था उन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है और बने हुए भवनों की मरम्मत का काम या तो बिल्कुल शुरू ही नहीं किया गया है या उस में बहुत थोड़ी मरम्मत की गई है; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां, कुछ स्कूली इमारतों की हालत संतोषजनक नहीं है।

(ख) जी, हां, अभी तक कोई अच्छी जगह न मिल सकने के कारण, बजट व्यवस्था के होते हुए भी कुछ इमारतों के निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका है। वार्षिक मरम्मत का काम वहां की प्रादेशिक परिषद् ही कर रही है। जहां कहीं जरूरत होती है विशेष मरम्मत का काम भी किया जाता है।

(ग) नये स्कूलों की इमारतें बनाने के लिये अच्छी जगह चुनने और उन्हें प्राप्त करने की हर सम्भव कोशिश की जा रही है।

फारस की खाड़ी के राज्यों और मस्कत में विशेष प्रकार का एक रुपये का भारतीय नोट

†७७३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारस की खाड़ी के राज्यों और मस्तक में निर्धारित समय के भीतर कुल कितने चालू भारतीय नोटों को विशेष नोट में बदला गया;

(ख) क्या २२ जून, १९५९ को समाप्त होने वाला छः सप्ताह का समय बढ़ा दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) फारस की खाड़ी के राज्यों और मस्कत में जून, १९५९ तक समाप्त होने वाले छः सप्ताह के समय के भीतर कुल ४८·६७ करोड़ रुपये के मूल्य के साधारण भारतीय नोटों को विशेष नोटों में बदला गया और नीचे बताई गई परिस्थितियों में ६½ लाख रुपये के और नोट विशेष नोटों से बदले गये।

(ख) और (ग). २१ जून, १९५९ के बाद कोई भी सुविधायें सामान्य रूप से नहीं बढ़ाई गईं। क्षेत्र के बैंकों को यह अधिकार था कि वे एकत्र करने के सख्त मामलों में नोट स्वीकार कर सकते हैं तथा उन्हें बम्बई के रिजर्व बैंक के पास प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को बताते हुए विनिमय की मंजूरी देने के लिये भेज सकते थे। ३१ जुलाई, १९५९ को यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। खाड़ी की ट्रूशियल स्टेट्स की विशेष परिस्थितियों में जैसे पर्याप्त बैंकिंग सुविधायें न होना, संचार सम्बन्धी कठिनाइयां होने तथा जनसंख्या के खानाबदोश होने आदि के मामलों में, अधिक से अधिक ५०० रुपये वैयक्तिक टेण्डरों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बदलने के लिये तारीख बढ़ाकर १५ अगस्त, १९५९ तक कर दी गई है।

दिल्ली निवासियों के लिये अधिवास प्रमाणपत्र[1]

†७७४. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लोगों को अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Domicile Certificate.

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). सामान्यतः दिल्ली में लोगों को अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कुछ न्यूनतम आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर साधारणतः एक पखवारे के अन्दर प्रमाणपत्र मिल जाते हैं। कुछ मामलों में अधिवास का निश्चित सबूत आवेदकों के पास उपलब्ध नहीं होता और इस कारण पुलिस अथवा तहसील के कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों से तब तक जांच पड़ताल करनी पड़ती है जब तक कि वे आवेदक के सद्भाव के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाते।

अखिल भारतीय अन्ध सम्मेलन

†**७७५. श्री विभूति मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में १८ जून, १९५९ को हुए द्वितीय अखिल भारतीय अन्ध सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य निर्णय किये गये;

(ख) अन्धों को शिक्षा देने में कहां तक वृद्धि करने का विचार किया गया है; और

(ग) उनके लिये काम दिलाने की कहां तक गुंजाइश है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) इस सम्मेलन में स्वीकार किये गये संकल्प अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) जनवरी, १९५९ में देहरादून में अन्धे बच्चों के लिये एक आदर्श स्कूल में प्राइमरी तथा किंडरगार्डन सेक्शन खोले गये थे। इस स्कूल को द्वितीय योजना काल के अन्त तक एक पूर्णरूपेण माध्यमिक स्कूल बना देने का प्रस्ताव है। तृतीय योजना के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के परामर्श से अपंगुओं के लिये एक विशेष काम दिलाऊ कार्यालय की स्थापना की योजना तैयार की गई है। अपंगुओं के लिये सर्वप्रथम काम दिलाऊ दफ्तर मार्च, १९५९ में बम्बई में स्थापित किया गया था। यह कार्यालय अपंगु व्यक्तियों को, जिनमें अंधे भी शामिल हैं, साधारण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी सेवाओं में उन स्थानों पर काम दिलाने का प्रयत्न करेगा जिनको वे कर सकें और उनकी कुशलता पर विशेष प्रभाव न पड़े। चालू वर्ष में एक और काम दिलाऊ दफ्तर की स्थापना करने का प्रश्न विचाराधीन है।

देहरादून के निवास की व्यवस्था वाली कर्मशाला में (जिस में केवल १० अंधे काम करने वाले हैं) उसका विस्तार कर के २५ लोगों को काम दिलाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्राम्य शिक्षा समिति

†**७७६. श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि ग्राम्य शिक्षा समिति की कौन-कौन सी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार ने कार्यान्वित की हैं और कौन-कौन सी सिफारिशें राज्यों द्वारा कार्यान्वित करने के लिये छोड़ दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]

रांची में खनिज

७७७. डा० राम सुभग सिंह : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची (बिहार) से उत्तर पश्चिम की ओर १२ मील की दूरी पर स्थित पिथरिया ग्राम के निकट पहाड़ी प्रदेश में कुछ मूल्यवान खनिज प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खनिजों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से खनिज पाये गये हैं और किस-किस मात्रा में ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्ष विभाग को रांची (बिहार) से उत्तर की ओर स्थित पिथरिया ग्राम के निकट पहाड़ी प्रदेश में कोई मूल्यवान खनिज प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

पंजाब में भू-भौतिकीय खोज

†**७७८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में पंजाब के मैदानी इलाके में जो भू-भौतिकीय खोज का काम किया गया उसका कोई फल प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह काम जारी रखा जा रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी हां। इस कार्य से उस क्षेत्र की भूमिगत स्थिति का पता चल गया है।

(ख) जी हां।

त्रिपुरा सचिवालय का प्रशासकीय ढांचा

†**७७९. श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा सचिवालय के प्रशासकीय ढांचे का पुनर्गठन करने के लिये कौन से परिवर्तन किये जाने वाले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पुनर्गठन के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। इस के पश्चात् त्रिपुरा में उसी प्रकार पुनर्गठन करने का विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में अध्यापकों के वेतन

†७८०. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा के सरकारी सैकंडरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पश्चिम बंगाल और आसाम के अध्यापकों से कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। त्रिपुरा में सैकंडरी स्कूलों के कुछ वर्गों के अध्यापकों को पश्चिम बंगाल और आसाम से कम वेतन मिलते हैं।

(ख) अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

समाज शिक्षा

†७८१. **श्री पहाड़िया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समाज शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार ने इस पर कितना खर्च किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**.

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में भर्ती

†७८२. { **श्री प्र० क० गोपालन** :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग और प्रतिरक्षा मंत्रालय के सैनिक चुनाव बोर्डों ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के २२वें कोर्स के लिये सेना, नौसेना और वायु सेना कक्षों के लिये कितने उमीदवार चुने हैं; और

(ख) चुने गये उमीदवारों में से प्रत्येक राज्य के कितने-कितने हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

प्रत्येक राज्य के उमीदवारों की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**.

सोने का तस्कर व्यापार

†७८३. { **श्री प्र० क० गोपालन** :
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-जून, १९५९ में सीमा शुल्क विभाग ने जो चोरी से लाया गया सोना पकड़ा उसका कुल मूल्य क्या था;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) उसी अवधि में पकड़ी गई अन्य वस्तुओं का मूल्य क्या था; और

(ग) उसी अवधि में तस्कर व्यापार के कितने केस पकड़े गये थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) २६,५७,६५४ ।

(ख) ७८,८०,००० रुपये (लगभग) ।

(ग) ७४४८

कर्मचारी परिषदें

†७८४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में १९५८ में विभिन्न मंत्रालयों की वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों से कितने संकल्प प्राप्त हुए थे;

(ख) इन में से कितने संकल्प सरकार ने स्वीकार कर लिये;

(ग) विभिन्न कर्मचारी परिषदों ने कितने संकल्प समन्वय समिति को सौंप दिये; और

(घ) समिति ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १२१ ।

(ख) ५० स्वीकृत किये गये और १७ पर वेतन आयोग का प्रतिवेदन मिलने के बाद निर्णय करने का निश्चय किया गया ।

(ग) ३ ।

(घ) एक अंशतः स्वीकार कर लिया गया और अन्य २ पर सहमति प्रकट नहीं की गई ।

भारत सरकार के मंत्रालयों में क्लर्क

†७८५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों में (मंत्रालयवार) कितने (१) लोयर डिवीजन क्लर्क और (२) अपर डिवीजन क्लर्क हैं जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अधीन हैं;

(ख) उन में से कितने क्लर्क स्थायी हैं; और

(ग) कनिष्ठतम स्थायी और वरिष्ठतम अस्थायी कर्मचारियों के सेवाकाल क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) लोयर डिवीजन में कनिष्ठतम स्थायी व्यक्ति की वरिष्ठता २७ अक्तूबर, १९५१ से वरिष्ठतम अस्थायी कर्मचारी की वरिष्ठता ३ जनवरी, १९५४ से है । अपर डिवीजन में कनिष्ठतम स्थायी कर्मचारी की वरिष्ठता ५ दिसम्बर, १९५१ से और वरिष्ठतम अस्थायी कर्मचारी की

†मूल अंग्रेजी में

२० फरवरी, १९४२ से है। वरिष्ठ अस्थायी कर्मचारी यदि टाइप की परीक्षा पास कर लेते तो वे स्थायी बना दिये गये होते ।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष

†७८६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १३ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक निम्नलिखित विषय में भारतीय सर्वेक्षण ने अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष में क्या योग दिया है :—

(१) प्रक्षांस और देशान्तर;

(२) 'जियोमैगनेटिज्म';

(३) भू-आकर्षण शक्ति; और

(४) 'ओशियनोग्राफी' ।

(ख) इस कार्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी नियुक्त किये हुए थे; और

(ग) कुल कितना खर्च किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) (१)–(१) अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के दौरान में देहरादून वेधशाला में नक्षत्रात्मक प्रक्षांस और देशान्तर का वैज्ञानिक पर्यवेक्षण करके विश्व आंकड़े केन्द्रों को उनके परिणामों से सूचित करना ।

(२)—(२) १९५७–५८ और १९५८–५९ में ६० 'रिपीट स्टेशनों और सारे भारत में फैले हुए ५५३ फील्ड स्टेशनों पर 'हौराइजैंटल फोर्स', 'डिप' और 'डिक्लाइनेशन' का चुम्बकीय पर्यवेक्षण करना जिस से भूमि के चुम्बकीय क्षेत्र का पता चल सके ।

(३)—(३) भूमि की तह के अध्ययन के लिये भारत के ८ केन्द्रों में जियोडेटिक प्रीसीज़न ग्रैवीमीटरों से और मध्य भारत के १२०० फील्ड स्टेशनों पर भू-आकर्षण का वैज्ञानिक रीति से पर्यवेक्षण करना । इस के अतिरिक्त भूमि की सतह का अध्ययन करने के लिये भू-आकर्षण सम्बन्धी कुछ समस्यायें भी संकलित की गईं ।

(४)—(४) १५ स्थायी लहर वेधशालाओं और ९ अस्थायी केन्द्रों में लहरों और समुद्र की सतह का पर्यवेक्षण किया गया । कई वेधशालाओं में तूफान, लहरों के बहाव, समुद्र की सतह में परिवर्तन और समुद्री पानी के खारीपन और उस के तापमान सम्बन्धी आंकड़े भी एकत्र किये गये ।

(ख) प्रथम श्रेणी—१, द्वितीय श्रेणी—५, तृतीय श्रेणी—५७ और चतुर्थ श्रेणी—३९ इस काम के लिये रखे गये थे ।

(ग) ३,११,४५० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक

†७८७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिकों को त्रिपुरा में बसाने में क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : त्रिपुरा में सैनिक, नाविक और वायु सेना कर्मचारियों के जिला बोर्ड में कुल ५,६५८ भूतपूर्व सैनिक रजिस्टर हुए थे। अब तक ६१८ भूतपूर्व सैनिकों को पुनः सरकारी नौकरी दी गई है और चार को भूमि दे कर बसाया गया है। दो भूतपूर्व सैनिकों को बुनियादी खेती में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान में ६४१ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दे कर खेती आरम्भ कराने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है। त्रिपुरा प्रशासन कुछ और भूमि आवंटित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है और भूमि अर्जित हो जाने पर लगभग १८३ से अधिक अन्य भूतपूर्व सैनिक खेती आरम्भ कर सकेंगे।

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के काम की गति बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु यह बताना कठिन है कि यह काम कब तक पूरा होगा।

टैक्नीकल सहायता

†७८८. **श्री खीमजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना, 'पायंट फोर', संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता संगठन आदि योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण के लिये व्यक्तियों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है;

(ख) यह चुनाव करते समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या अनुपात रखा जाता है;

(ग) गत तीन वर्ष में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से अलग-अलग कितने व्यक्ति चुने गये थे; और

(घ) यदि भारत सरकार ने इन योजनाओं पर कोई खर्च किया तो वह कितना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वित्त मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न टैक्नीकल सहायता योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण पाने वाले उमीदवारों का चुनाव करते समय मोटे तौर पर इन बातों का ख्याल रखा जाता है :—

(१) प्रशिक्षण केवल शिक्षा सम्बन्धी न हो कर व्यवहारिक ढंग का होना चाहिये।

(२) केवल उन्हीं प्रशिक्षण सुविधाओं की मांग की जाये जो भारत में उपलब्ध न हों।

(३) प्रस्थापना का सम्बन्ध किसी ऐसी विकास योजना से हो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है।

(४) जिस व्यक्ति की सिफारिश की जाये वह साधारणतः ५ वर्ष से उस व्यवसाय में मुलाजिम हो और यह विचार किया जाये कि उसके विशेष ज्ञान प्राप्त करके लौटने पर परियोजना अधिक अच्छे तरीके से कार्यान्वित की जा सकेगी। यदि ५ वर्ष से कम अनुभव वाले व्यक्ति की सिफारिश की जाये तो उसका विशेष औचित्य बताया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) जिस व्यक्ति की सिफारिश की जाती है उसकी अर्हतायें और अनुभव पर्याप्त हो ताकि विदेश में प्रशिक्षण से वह लाभ उठा सके।

(६) उमीदवार की आयु साधारणत: ४५ वर्ष से कम होनी चाहिये। परन्तु जब वरिष्ठ व्यक्ति पर्यवेक्षण के लिये विदेश यात्रा करें तब यह आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(७) उस क्षेत्र में प्रशिक्षिण प्राप्त करने, जिसके लिये विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये जा चुके हैं, की प्रार्थना करते समय विशेष औचित्य बताना होगा ?

(८) किसी उम्मीदवार का नाम एक ही बार में दो कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिये।

(ख) यह चुनाव करते समय सरकारी और गैर—सरकारी क्षेत्रों में कोई अनुपात नहीं रखा जाता है।

(ग) योजना का नाम

	चुने गये व्यक्तियों की संख्या					
	१९५६–५७		१९५७–५८		१९५८–५९	
	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र
कोलम्बो योजना	२०७	१२	२४०	२७	१३४	२२
चर्तुसूत्री कार्यक्रम	६७	२०	१८७	९५	१७७	२९९
संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता संगठन कार्यक्रम	६३	६	२५	१	३	१
भारत—फ्रांस टैक्नीकल सहयोग कार्यक्रम	—	—	—	—	७७	१

(घ) नामजद करने वाले भारतीय प्राधिकारियों को अपने उमीदवारों पर निम्नलिखित 'स्थानीय खर्च' करना पड़ता है:

(१) भारत से अनुपस्थिति के दौरान में प्रशिक्षणार्थियों को वेतन देना।

(२) जिस स्थान से प्रशिक्षणार्थी विदेश के लिये रवाना हो रहा हो वहां तक आने जाने का खर्च देना; और

(३) भारत से जाने की तैयारी में अर्थात् पारपत्र, मैडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर जो खर्च होता है।

संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी भेजने वाले प्राधिकारियों को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का ५० प्रतिशत खर्च भी देना पड़ता है। भारत—फ्रांस टैक्नीकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों के गैर सरकारी और औद्योगिक नियोजकों की भारत से फ्रांस तक का सफर खर्च स्वयं करना पड़ता है।

अन्दमान द्वीपों को स्टीमर सेवा

†७८९. **श्री मुथैया अम्बलम्** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के कितने परिवार अन्दमान द्वीपों में आ बसे हैं; और

(ख) क्या अन्दमान द्वीपों को आने वाले स्टीमरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) अब तक अन्दमान द्वीपों में मद्रास राज्य के २९ परिवार बसे हैं।

(ख) जी हां। अब अन्दमान द्वीपों को २ जहाज जाते हैं जो वर्ष में लगभग ३६ बार आते जाते हैं।

टाइप की परीक्षायें

†७९०. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से प्रथम ग्रेड और द्वितीय ग्रेड में क्लर्कों को, जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की स्थापना होते ही स्थायी बनाये जाने के पात्र थे, केवल टाइप की परीक्षा पास न कर सकने के कारण स्थायी नहीं किया गया;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या (ग्रेड वार) क्या है;

(ग) क्या उन्हें भर्त्ती करते समय यह शर्त रखी गई थी कि टाइप को परीक्षा पास किये बिना उन्हें स्थायी नहीं किया जायेगा; और

(घ) क्या इन व्यक्तियों को कभी टाइप का काम सौंपा गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में प्रथम ग्रेड में स्थायी किये जाने योग्य ३७९ और द्वितीय ग्रेड में स्थायी किये जाने योग्य ६१० व्यक्तियों को टाइप परीक्षा पास न कर सकने के कारण स्थायी नहीं किये जा सके।

(ग) इन व्यक्तियों को युद्ध काल में और बाद के वर्षों में अस्थायी पदों पर नियुक्त किया गया था। १९३८ से लागू नियमों के अन्तर्गत स्थायी अथवा स्थायी होने की संभावना के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किये गये तृतीय डिवीजन क्लर्क (लोयर डिवीजन) टाइप की परीक्षा पास करने पर ही स्थायी किये जा सकते हैं। तृतीय डिवीजन के अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को टाइप की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं था। द्वितीय डिवीजन (अपर डिवीजन) में प्रत्यक्ष रूप से भर्त्ती किये गये व्यक्तियों को स्थायी बनाने के लिये टाइप की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं था। केन्द्रीय सचिवालय में १९३९ में द्वितीय डिवीजन हटा दिया गया परन्तु सम्बद्ध कार्यालयों में इसे जारी रखा गया। सचिवालय में १९५४ से इसे पुन: आरम्भ करके इसे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का प्रथम ग्रेड बना दिया गया। १-५-५४ से लागू हुए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के नियमों के अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय ग्रेड में स्थायी बनाने के लिये टाइप की परीक्षा पास करना जरूरी करार दिया गया। भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों को बिलकुल अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्हें स्थायी बनाने का कोई वायदा नहीं किया गया था। चार वर्ष में उन्हें टाइप की परीक्षा पास करने के ९ अवसर दिये गये थे।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अन्तर्गत कार्यालयों में अलग से टाइपिस्ट नहीं रखे जाते हैं बल्कि लोयर डिवीजन क्लर्क ही टाइप और अन्य काम के लिये रखे जाते हैं। प्रशासकीय आवश्यकता को देखते हुए उन्हें टाइप का या अन्य काम सौंप दिया जाता है। यह बताना कठिन है कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित लोयर डिवीजन क्लर्कों को

†मूल अंग्रेजी में

टाइप का काम सौंपा गया था या नहीं। अपर डिवीजन क्लर्कों को अपने नोट और ड्राफ्ट स्वयं टाइप करने होते हैं।

प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिये दोपहर का भोजन

†७९१. **श्री सिदय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क देना आरम्भ किया गया है; और

(ख) १९५८;५९ में राज्यों को इसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां, कुछ एक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना आरम्भ की गई है।

(ख) केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने की १९५८—५९ में लागू की गई पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को योजनानुसार नहीं बल्कि ग्रुप अनुसार अर्थोपाय पेशगियां दी जाती हैं। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं कि विभिन्न राज्यों को इस योजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई।

दिल्ली में कालेज शिक्षा

†७९२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कालेज शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और इसे दीर्घकालीन आधार पर हल करने के उपाय बताने के लिये नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कार्यकारी दल अभी औपचारिक रूप से स्थापित नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सैकंडरी परीक्षा में फेल होना

†७९३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैकंडरी और हायर सैकंडरी परीक्षाओं में फेल होने की समस्या को हल करने सम्बन्धी सप्तपदीय योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). सैकंडरी परीक्षा में फेल होने सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये कोई सप्तपदीय योजना नहीं है। सैकंडरी शिक्षा

†मूल अंग्रेजी में

की अखिल भारतीय परिषद ने अपनी २७-७-१९५९ की बैठक में कई पहलुओं से इस प्रश्न पर विचार किया था और इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया था।

सैनिक स्कूल, देहरादून

७९४. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक स्कूल, देहरादून का नाम बदलने के बारे में क्या निर्णय किया गया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : बलाधिकरणिक समिति[1] की सिफारिश पर यह फैसला किया गया है कि सैनिक स्कूल का नाम राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालिज रखा जाय।

बम्बई में सीमा-शुल्क पदाधिकारियों द्वारा ली गई तलाशी

†७९५. श्री सै० अ० मेहदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि २५ जुलाई, १९५९ को बम्बई की बन्दरगाह में सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने तलाशी ली;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और क्या सामान पकड़ा गया; और

(ग) क्या उन आयातकारों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने रेयान के टुकड़े के नाम पर घड़ियां मंगवाई थीं?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जी हां। बम्बई कस्टम हाउस को मिली जानकारी का अनुसरण करते हुए २५ जुलाई, १९५९ को उन दो पेटियों का परीक्षण किया गया जो २० जुलाई, १९५९ को कैंटन" द्वारा हांगकांग से आयात की गई थीं और जिन पर रेयान सूटिंग' का लेबल लगा था। यह देखा गया कि एक पेटी में तो रेयान ही था परन्तु दूसरी पेटी में १५ रोमर' घड़ियां, चीनी 'बोस्की' और अन्य कई वस्तुएं थीं जिनका मूल्य लगभग १,५०,००० रुपये था।

इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया उन्हें ५०,००० रूपये प्रत्येक की जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती

†७९६. श्री दलजीत सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में मंत्रालयवार और वर्षवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रथम और द्वितीय श्रेणी (गजेटिड और नान-गजेटिड) के कितने पद रक्षित रखे गये थे; और

(ख) उसी अवधि में मंत्रालयवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों पर कितने उमीदवारों को नियुक्त किया गया था?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chiefs of Staff Committee.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : १९५२ से १९५७ तक के आंकड़े बताने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं [देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या ३१]. १९५८ की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त नहीं हुई है।

जाली नोट

†७२७. श्री बलजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ और १९५९ में अब तक जाली नोट छापने के कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ख) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). पत्री वर्ष १९५८ में जाली नोट छापने के ४११० मामलों का पता लगाया गया। १९५९ की पहली छमाही के बारे में जानकारी और इन दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का व्यौरा राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से एकत्र किया जा रहा है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर र   गा।

ग्राम्य सहकारी समितियों को ऋण

†७२८. श्री सै० अ० मेहदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक ने ग्राम्य सहकारी समितियों को उनके पूंजी अंश से अधिक ऋण देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत का रक्षित बैंक ग्राम्य सहकारी समितियों को सीधे ही कोई ऋण नहीं देता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आय-कर और उत्पादन-शुल्क विभागों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

†७२९. श्री क० उ० परमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५८-५९ में आय-कर और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी थे और उनमें से (विभाग-वार) कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये रक्षित प्रतिशतता का पालन नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रक्षित पदों को भरने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जायेगी और यथा-सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में आय-कर के मामले

†८००. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम में आय–कर के कितने मामले एक वर्ष से अधिक से लम्बित हैं;

(ख) आय–कर अधिकारियों के फैसले के विरुद्ध कितनी अपीलें एक वर्ष से अधिक समय स लम्बित हैं ; और

(ग) आसाम के शिबसागर जिले में आय–कर के कितने मामले अभी लम्बित हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). मांगी गयी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोयले का निर्यात

†८०१. **श्री प्र० गं० देब** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, १९५९, के महीनों में विदशों को कुल कितना कोयला भेजा गया; और

(ख) इसी अवधि में पाकिस्तान को कुल कितना कोयला भेजा गया ?

†**इस्पात, खान और मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १९२,०४९ टन।

(ख) १६,०९२ टन।

उड़ीसा में लम्बित आय-कर के मामले

†८०२. **श्री प्र० गं० देब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में आय–कर के कितने मामले एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं;

(ख) आय–कर पदाधिकारियों के फैसले के विरुद्ध की गयी कितनी अपीलें एक वर्ष से अधिक पुरानी हैं; और

(ग) उड़ीसा के आंगुल संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में आय–कर के कितने मामले अभी लम्बित हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) स (ग). पूछी गयी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जन सम्पर्क समिति, दिल्ली

†८०३. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, १९५९ में जन-सम्पर्क समिति, दिल्ली की कितनी बैठकें हुई;

(ख) उनमे क्या सिफारिशें की गयीं; और

(ग) उन पर क्या फैसला किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पांच।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बैठकों में की गयीं सिफारिशें और उन पर की गयी कार्यवाही दिखाई गयी है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०].

चांदी का तस्कर व्यापार

†८०४. श्री सै० अ० मेहदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि २२ मई, १९५९ को केरला पुलिस स्टेशन में तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये गये थे जिनके पास पांच सेर चांदी और घड़ियां आदि थीं;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे; और

(ग) प्राप्त चोरी से लाये गये सामान का कितना मूल्य था?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। २० मई, १९५६ को (२२ मई मई १९५९ को नहीं) खालरा (केरला नहीं) चैक पोस्ट (चौकी) के समीप पंजाब सशस्त्र पुलिस ने एक तस्कर व्यापारी को, जबकि वह भारत-पाक सीमा को पार करके पाकिस्तान से भारत आ रहा था, गिरफ्तार किया था।

(ख) केवल वही गिरफ्तार किया गया था।

(ग) ५ सेर चांदी और और एक कलाई की घड़ी का मूल्य लगभग ६२५ रुपये था।

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं १०-३-२९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५२ के भाग (क) के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

भाग (क) के अधीन मद संख्या ५ और भाग (ख) के अधीन मद संख्या (५) में स्थान का नाम 'अटारी' जिला कटक दिया गया था। अब भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने, भारत के सर्वेक्षण की 'टोपोशीट' से पड़ताल करके, यह बताया है कि गरम झरना छतरा नाला के बाएं किनारे पर अटीरी गांव से एक मील उत्तर की ओर है। 'अटीरी' स्थान पुरी जिले में है न कि कटक जिले में।

स्थगन प्रस्ताव

लद्दाख, सिक्किम और भूटान की मुक्ति के बारे में चीन का कथित वक्तव्य

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्व श्री वाजपेयी और उ० ल० पाटिल के निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है।

> "चीनी साम्यवादियों द्वारा लद्दाख, सिक्किम, और भूटान की 'मुक्ति' के लिये आपत्तिजनक प्रचार किये जाने के फलस्वरूप भारत की सुरक्षा और प्रादेशिक एकता को भारी खतरा"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : श्रीमान्, तिब्बत के बारे में मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था। इसमें कुछ अन्य मामलों का ज़िक्र है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह ने भी उसी प्रस्ताव की सूचना दी थी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : कुछ दिन पूर्व समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि लद्दाख, तिब्बत, भूटान, सिक्किम और नेफा के कुछ भागों को मिलाकर हिमालयन फेडरेशन बनाने के बारे में योजना बनाई गई है। इस समाचार का खंडन अभी तक नहीं किया गया है। इस प्रकार की भी अफवाह थी कि इन क्षेत्रों को मुक्त कराने के बारे में तिब्बत की जनता को उकसाया जा रहा है। यह एक बड़ी ही गम्भीर बात है।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : श्रीमान्, १७ जुलाई के समाचारपत्रों में यह समाचार था कि लासा में एक सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें तिब्बत के साम्यवादी नेताओं ने लद्दाख, भूटान और सिक्किम को मुक्त कराने के भाषण दिये थे। दूसरे यह भी समाचार है कि सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीनी सेनायें बड़ी संख्या में इकट्ठी हो रही हैं। मैं स्थिति जानना चाहता हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा करने के लिये नहीं है। हम तो सिर्फ़ यह चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाये और किसी भी खतरे का सामना करने की पूरी तैयारी हो।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत की सुरक्षा और अखंडता की हर प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है और सभा का प्रत्येक सदस्य इससे सहमत है।

इस प्रस्ताव विशेष का आधार लन्दन के एक समाचार पत्र को भेजे गये एक समाचार पर आधारित आज के अखबारों में छपी खबर है। इस समाचार पत्र में श्री च्यांग-को-हुआ द्वारा दिये गये कथित भाषण का जिक्र है। मैंने उस भाषण की रिपोर्ट अभी नहीं देखी है। भाषण की रिपोर्ट 'चाइना टुडे' नामक सरकारी चीनी समाचार पत्र में दी गई थी जिसको मैंने पढ़ा परन्तु जिस बात का उल्लेख किया गया है वह उसमें नहीं थी। खैर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा होना संभव नहीं है परन्तु उसमें यह दिया नहीं गया है। परन्तु लद्दाख, सिक्किम और भूटान के बारे में जो बातें इन सज्जन द्वारा कही गई बताई जाती हैं, उन्हें एक बहुत बेवकूफ आदमी ही कह सकता है। हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि उस तारीख को क्या कोई भाषण दिया गया था तथा यदि दिया गया था तो वह भाषण क्या था। हमें अभी तक किसी विश्वस्त सूत्र से पता नहीं लगा है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसका विश्वास किया जा सकता हो, ऐसा भाषण दिया है। इसलिये बिना किसी ठोस आधार के किसी बात के बारे में कुछ कहना या करना मेरे लिये कठिन है।

दूसरे समाचार के बारे में कि वहां पर चीनी सेनायें बड़ी संख्या में हैं, मैं समझता हूं कि तिब्बत में चीनी सेनायें काफी बड़ी संख्या में अवश्य हैं। जब तिब्बत में झगड़ा आरम्भ हुआ था तब वहां पर बड़ी संख्या में चीनी सेनायें आ गई थीं जो लगभग सारे तिब्बत में हैं। हमें यह ठीक पता नहीं कि ये सेनायें कितनी संख्या में हैं। मेरे विचार से हमारी सीमा पर बहुत अधिक सेनायें नहीं हैं, कुछ जरूर हैं। परन्तु हम इस ओर पूर्णतः सजग हैं और ज्यूं ही कोई विश्वास समाचार हमें मिलेगा मैं उसको सभा के समक्ष रख दूंगा। २३ जुलाई को जो अन्तिम नोट हमने चीनी सरकार को भेजा है उसमें हमने अन्य बातों के अलावा चीन सरकार के सरकारी पत्र में भारत और भारतीयों को साम्राज्य-वादी बताने के प्रचार का विरोध किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज बरुआ** (गोहाटी) : क्या यह सच है कि चीन सरकार ने हमारी सरकार को कोई ऐसा पत्र लिखा है कि अब मैकमोहन लाइन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं रही है क्योंकि इसको अंग्रेजों ने बनाया था और चीन सरकार ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया था और अब यह रेखा पुनः बनाई जानी चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं, हमें अभी या इससे पहले ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। जहां तक हमारा संबंध है, मैकमोहन लाइन ही, संधि से, प्रयोग से, भौगोलिक तथ्यों से सीमा रेखा है। मैकमोहन लाइन पर छोटे-छोटे क्षेत्र हो सकते हैं जिनके बारे में कुछ विवाद हो सकता है, एक दो मील इस ओर या उस ओर के बारे में कुछ विवाद कभी खड़े हुये हैं और उनके बारे में बातचीत हुई है और आगे होती रहेगी। अब भी दो-एक मामले सामने हैं लेकिन इसका मैकमोहन लाइन को सीमा रेखा मानने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ वर्ष पूर्व श्री चाउ-एन-लाई से जो हमारी बातचीत हुई थी उससे पता लगता था कि उन्होंने भी मैकमोहन लाइन को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मान लिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन परिस्थितियों में मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नही देता हूं।

आयात किये गये गेहूं का दूषित हो जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें बताया गया है कि "१२-८-१६५६ को **आनन्द बाजार पत्रिका** में यह समाचार प्रकाशित हुआ बताया जाता है कि "कलकत्ता की जेट्टी संख्या ८ पर उतारे गये ३,००० टन गेहूं में डी० डी० टी० मिल गया और इस प्रकार वह विषैला हो गया तथा मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं रह गया। केन्द्र को शीघ्र आदेश देने चाहियें कि इस गेहूं का वितरण न किया जाये और इस मामले की शीघ्र जांच कराये।"

कोचीन में भी इसी प्रकार की बात हुई थी, इसलिये मैंने इसे प्रस्तुत किया है। स्थिति क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा निवेदन है कि समाचारों के अनुसार जो ३,००० टन गेहूं उतारा गया था उसमें से १,१०८ टन कलकत्ता में और बाहर भी वितरित किया जा चुका है। अन्तिम समाचारों के अनुसार अब केवल २५८ टन गेहूं बचा है। खबर में बताया गया है, कुछ दिन बाद ही डी० डी० टी० के १७,००० पैकेट उसी जेट्टी पर और उसी गोदाम में उतारे गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि असल में क्या बात हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक स्टीमर जिसमें अमरीकी गेहूं था २६ जुलाई, १६५६ को कलकत्ता के २५ के० पी० डी० से जेट्टी संख्या ८ पर लाया गया। इसमें से ३ अगस्त, १६५६ तक कलकत्ता जेट्टी में ३,००० टन गेहूं उतारा गया। कलकत्ता जेट्टी पर इस स्टीमर के लाये जाने से पूर्व, एक दूसरे स्टीमर से संभरण तथा निबटारा महा निदेशक द्वारा मंगाये गये डी० डी० टी० पाउडर के ड्रमों को उसी गोदाम में उतारा गया था। जब गेहूं उतारना शुरू किया गया तब भी डी० डी० टी० के कुछ ड्रम यहां पर पड़े हुये थे, परन्तु क्योंकि गेहूं बोरियों में उतारा गया था, इसलिये ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि गेहूं में डी० डी० टी० पाउडर मिल जाये। इसके अतिरिक्त पोर्ट कमिश्नर ने यथा संभव शीघ्र डी० डी० टी० पाउडर को फर्श से साफ कर दिया था परन्तु इस डर के कारण की बोरियों से फैला हुआ गेहूं फर्श की सफाई से उठाये गये डी० डी० टी० पाउडर

---

†मूल अंग्रेजी में

से न मिल जाये, ये आदेश जारी कर दिये गये थे कि फैले हुये गेहूं को अलग इकट्ठा किया जाये। यह लगभग २०० बोरे गेहूं होगा जो अभी गोदाम में ही है और यदि वह मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाया गया तो नष्ट कर दिया जायेगा।

समाचार में यह प्रकाशित हुआ था कि ३,००० टन गेहूं डी० डी० टी० पाउडर में पूरी तरह मिल गया था तथा खाने योग्य नहीं रह गया था। यह बात एकदम गलत है। अच्छा गेहूं डी० डी० टी० पाउडर से नहीं मिला, केवल गिरा हुआ गेहूं उसमें मिला था।

आज भी १८० टन गेहूं गोदामों में पड़ा है परन्तु बोरे के ऊपर डी० डी० टी० पाउडर का कोई निशान तक नहीं है तथा स्टाक पूरी तरह से ठीक है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : रिपोर्ट में यह स्पष्टत या दिया है कि पोर्ट कमिश्नर के कार्यालय के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी खाद्य मंत्रालय के पदाधिकारी के पास इसकी सूचना देने गये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या गेहूं का अच्छी तरह से परीक्षण करा लिया गया है? मंत्री महोदय के वक्तव्य से हमें सन्तोष नहीं हुआ है?

†**श्री अ० प्र० जैन** : बोरों की जांच करा ली गई है और उनमें कोई मिलावट नहीं बताई जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बोरों की जांच की गई है उसमें कोई विषैली चीज नहीं है। इससे ज्यादा और क्या चाहिये? मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियमों में संशोधन

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूप-भेद) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या ८६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५१६/५९]

हैदराबाद खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (विघटन) आदेश

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक २७ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ८७८ में प्रकाशित हैदराबाद खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (विघटन) आदेश, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५१८५९]

सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियमों में संशोधन विषयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

और संशोधन करने वाली दिनांक १ अगस्त, १९५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५२०/५६]

सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियमों में संशोधन

श्री ब० रा० भगत : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ अगस्त, १९५६ की अधिसूचना संख्या ८८८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५२१/५६]

पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्य

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं श्री अ० म० थामस की ओर से, १९५८ और १९५६ में कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के सब-डिवीजनों में मोटे चावल के फुटकर मूल्यों के विवरण के, जो ७ अगस्त, १९५६ को सभा-पटल पर रखा गया था, शुद्धि-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५२२/५६].

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

अतिरिक्त विनियोग, १९५५-५६

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं १९५५-५६ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त विनियोग का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५६-५७

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं १९५६-५७ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका

†**श्री रा० चं० माझी** (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५६ के बारे में ५७४ याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक

†अध्यक्ष महोदय : अब १२ अगस्त, १९५९ को श्री के० दे० मालवीय द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा होगी :

> "कि पेट्रोलियम संसाधनों के विकास और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन व बिक्री के लिये एक आयोग की स्थापना का और तत्संबंधी बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री नलदुर्गकर अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद) : कल मैं खंड २६ के बारे में कह रहा था । खंड २६ की शब्दावली का अर्थ यही होता है कि आयोग की विधि-निर्मात्री शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं । जबकि खंड ३ में आयोग गठित करने की शक्तियां केन्द्रीय सरकार को दी गई हैं । इससे विधि संबंधी कई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं । इसलिये मेरी राय है कि खंड २६ इस सभा की शक्ति से परे है ।

इसी तरह, खंड ४ की व्यवस्था भी बड़ी अस्पष्ट है । उसमें कहा गया है कि आयोग में सभापति के अतिरिक्त कम से कम दो और सदस्य रहेंगे, लेकिन उनकी अधिकतम संख्या नहीं बताई गई है । सदस्यों की नियुक्तियों की भी उसमें कोई परिभाषा नहीं दी गई है ।

खंड ६ में कहा गया है कि किसी निगमित समवाय के शेयरधारियों के अतिरिक्त, अन्य सभी लोग, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आयोग के किसी काम का ठेका लिये हों या किसी काम में हिस्सा बटाये हों, आयोग के सदस्य नहीं रहेंगे । निगमित समवाय के शेयरधारियों को विमुक्ति दी गई है, सदस्यता के लिये अनर्हत नहीं किया गया है । ऐसे शेयरधारियों पर केवल एक यह शर्त लगायी गई है कि उसे केन्द्रीय सरकार को अपने शेयरों का विवरण बता देना चाहिये । लेकिन इस खंड में यह नहीं दिया गया है कि उस विवरण के बारे में किस किस आधार पर उनकी वांछनीयता या अवांछनीयता का निर्णय किया जायेगा । मैं समझता हूं कि ऐसे निर्णय की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी जानी चाहिये । अभी ऐसी शक्ति नहीं दी गई है । यह इसलिये जरूरी है कि ऐसे लोग अपने धन के बल पर आयोग को प्रभावित कर सकते हैं ।

खंड १० में कहा गया है कि आयोग जिस भी व्यक्ति की सहायता या राय लेना चाहे उसके साथ संबंध रख सकेगा । लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि व्यक्तियों को उनकी सेवाओं या रायों के लिये कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा या नहीं ।

खंड १५ द्वारा आयोग को शक्ति प्रदान की गई है कि वह २,००० रुपये तक के वतन का पद बना सकता है और ३० लाख रुपये तक व्यय कर सकता है । आयोग को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें ।

खंड १६ में व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाने वाला अनावर्ती व्यय पूंजीगत व्यय माना जायेगा और आयोग के लेखे में वह सरकार द्वारा आयोग को दिया गया पूंजीगत व्यय माना जायेगा । सारे व्यय का विवरण सभा के सामने रख जाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १९ में भी बड़ी त्रुटि है। उपखंड (३) में व्यवस्था की गई है कि आयोग का धन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जायेगा। मेरी राय यह है कि विनियोजन-नीति केन्द्रीय सरकार को निर्धारित करनी चाहिये और उस नीति पर संसद् की दोनों सभाओं में चर्चा भी होनी चाहिये, जिससे कि कोई घोटाला न हो सके।

खंड २१ में व्यवस्था है कि आयोग अपना आय-व्ययक तैयार करके केन्द्रीय सरकार से उसका अनुमोदन करायेगा। होना यह चाहिये कि अनुमोदन के लिये इसे सभा के सामने पेश किया जाये।

इन त्रुटियों को देखते हुये, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि आयोग ने पेट्रोलियम के संसाधनों के अनुसंधान से देश की बड़ी सेवा की है।

विधेयक की इन त्रुटियों को दूर करने के लिये इसे प्रवर समिति को सौंपना आवश्यक है। आशा है माननीय मंत्री मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। विशेष तौर से इसलिये कि इसकी व्यवस्थायें प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही हैं। समिति ने ही हाल में सिफारिश की थी कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को, संसद् द्वारा उचित ढंग से नियंत्रित, एक स्वायत्त निकाय बना दिया जाये।

आयोग ने अभी तक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। आगे चलकर, उसका काम बढ़ने की और भी ज्यादा गुंजाइश है। प्राक्कलन समिति ने इस संबंध में कहा है कि सर्वेक्षणों और छिद्रण पर व्यय बढ़ते जाने से उसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसमें शक है कि योजना काल में आयोग फिर भी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेगा। आयोग के १९५६–५७ और १९५७–५८ के प्रतिवेदनों को देखने से पता चलता है कि १९५६–५७ में उसके लिये लगभग १.५५ करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया था और १९५७–५८ के लिये करीब ४.५८ करोड़ रुपयों का, लेकिन उसने पहले वर्ष में ७९ लाख रुपये और दूसरे वर्ष में कुल १.७२ लाख रुपये ही व्यय किये थे। आयोग ने १९५८–५९ के अन्त तक कुल व्यय ५.६२ करोड़ रुपये का किया है। जबकि योजना आयोग ने १९५९–६० और १९६०–६१ में आयोग के पूंजी-व्यय के लिये करीब २३ करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे प्राक्कलन समिति और सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। इसलिये अब बड़ी अच्छी बात है कि आयोग को संविहित निकाय बना देने की व्यवस्था करने वाला विधेयक सभा में पेश कर दिया गया है। यह बिल्कुल उचित है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

इस संबंध में रूसी विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की भी परीक्षा की जानी चाहिये। वह काफी बहुमूल्य प्रतिवेदन है। माननीय मंत्री ने सभा को उसका ब्योरा नहीं बताया है।

यह भी बड़ी अच्छी बात है कि विधेयक में निजी क्षेत्र को मान्यता देने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। मैं तो यह महसूस करता हूं कि आयोग के काम की अधिक प्रगति न हो पाने का कारण यही है कि यह सारा काम सरकारी विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र में आरम्भ किया गया था। सरकारी क्षेत्र की अपनी सीमायें होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। ज्यादा अच्छा तो यह रहता कि आरम्भ से ही इस कार्य में निजी क्षेत्र को भी काफी अवसर दिया जाता। पश्चिमी बंगाल में विदेशी निजी अभिकरण द्वारा किया जाने वाला यही कार्य, ज्वालामुखी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में किये

जाने वाले इस कार्य के मुकाबले, कहीं अधिक कार्यक्षम है। प्राक्कलन समिति भी इससे सहमत है। इसलिये अब निजी क्षेत्र के सहयोग के सिद्धांत को मानकर अच्छा ही किया गया है।

हमारे देश के लोगों के लिये तेल की खोज का यह काम बिल्कुल ही नया है, इसलिये हमें इसमें रूसी और रूमानियन विशेषज्ञों की सहायता के लिये उनका कृतज्ञ होना चाहिये। लेकिन साथ ही हमें अपने देश के युवकों को भी इस कार्य में प्रशिक्षित करके, अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिये।

इस विधेयक द्वारा आयोग को संविहित निकाय तो बनाया जा रहा है, लेकिन आयोग के सदस्यों की अर्हताओं के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्राक्कलन समिति ने इस सिलसिले में कहा है कि इस संविहित आयोग के सदस्यों में एक से अधिक अनुभवी भू-तत्वीय और भू-भौतिकीय विशेषज्ञ होने चाहियें, जिससे कि आयोग उनकी प्राविधिक सलाह का लाभ भी उठा सके। पर विधेयक में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।

विधेयक में व्यवस्था की गई है कि बाद में अनर्हताओं के बारे में निर्णय किया जायेगा। आयोग की रचना के बारे में कोई भी गलत फहमी न रहने देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि आयोग के सदस्यों की अर्हतायें भी निर्धारित कर दी जायें। प्राक्कलन समिति ने आयोग में एक दो गैर-सरकारी सदस्य रखने पर जोर दिया था, लेकिन विधेयक में उसकी भी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिये।

मेरा एक और भी सुझाव है। देश में तेल के संबंध में एक स्थायी समिति बनी ही हुई है। विधेयक में यह भी एक व्यवस्था की जानी चाहिये कि आयोग तेल उद्योग संबंधी सभी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में इस समिति से परामर्श करेगा। इससे आयोग का काम भी कुछ हल्का हो जायेगा और उसे जानकर लोगों का परामर्श भी मिल जायेगा।

साथ ही, इस विधेयक में उपभोक्ता परिषद् बनाने की बात भी शामिल की जानी चाहिये थी। प्राक्कलन समिति ने इन दोनों चीजों की सिफारिश भी की थी। उपभोक्ता परिषद् आयोग को उपभोक्ताओं की तकलीफों और उनके विचारों से अवगत कराती रहेगी।

मैं चाहता हूं कि सोवियत विशेषज्ञों के प्रतिवेदन में रखे गये लक्ष्यों को यथाशीघ्र पूरा किया जाये। माननीय मन्त्री ने कहा है कि उस प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशों में रूपभेद करना पड़ा था। उन सिफारिशों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। उन सिफारिशों को अपने अनुभव के आधार पर अपनाया जाना चाहिये।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अभी इस अवस्था पर मैं केवल इस एक प्रश्न पर ही विचार करना चाहता हूं कि यह विधेयक आयोग को संविहित निकाय का दर्जा देने में सफल भी होगा या नहीं।

विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया गया है कि तेल की खोज का काम अब ऐसी अवस्था पर पहुंच गया है कि आयोग को स्वायत्तता दिये बिना, उसे सरकारी विभाग के रूप में चलाते रहने से, सारी प्रगति रूक जायेगी। इसलिये उसे संविहित आयोग बना दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस उद्देश्य से तो सभी सहमत हैं। पर इस विधेयक में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, जिनके कारण आयोग को वह स्वायत्तता नहीं मिल पायेगी जो माननीय मंत्री चाहते हैं।

कल माननीय मंत्री ने, खम्भात में चलने वाले छिद्रण कार्य के कई बार बन्द हो चुकने का उदाहरण देते हुये कहा था कि सरकार के वित्तीय नियम कुछ इस प्रकार के हैं कि व्यय के लिये सरकार की मंजूरी लेने में बहुत समय लग जाता है और आयोग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता। लेकिन विधेयक के इससे संगत खंडों को तो देखिये।

मेरी सबसे पहली आपत्ति तो यह है कि इस आयोग को पूंजी के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई भी राशि मंजूर नहीं की गई है। अभी भी उसे सरकार के सामने हर बार अपने सारे प्रस्ताव रखने पड़ेंगे।

खण्ड १६ के उपखण्ड (१) में केवल अनावर्ती व्यय का उल्लेख किया गया है। वह सिर्फ पहले के व्यय के बारे में है। उसमें आगे व्यय की जाने वाली राशि का जिक्र भी नहीं है। इसलिये शेष काल में व्यय करने के लिये सरकार के पास कोई राशि रह ही नहीं जायेगी।

उपखण्ड (२) में कहा गया है कि आयोग द्वारा अपेक्षित और अधिक पूंजी केन्द्रीय सरकार जुटायेगी। अर्थात्, आयोग को धन के लिये सरकार के पास ही जाना पड़ेगा। यह ठीक है कि आयोग के आय-व्ययक की स्वीकृति तो एक ही बार ली जायेगी, लेकिन जब भी आयोग को और अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उसे सरकार के पास जाना पड़ेगा। अभी इस आयोग के पास एसी कुछ राशि पड़ी है जिसको व्यय नहीं किया गया है। लेकिन आयोग के लिये किसी भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नहीं की गई है।

विधेयक से संलग्न वित्तीय ज्ञापन में आवर्तक व्यय के बारे में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार हर वर्ष आयोग के कृत्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक राशियां आयोग को अदा कर सकती है, यदि वह उनको आवश्यक समझे।

विधेयक में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं की गई है कि केन्द्रीय सरकार हर वर्ष अनिवार्यतः कुछ अपेक्षित राशियां आयोग को अदा करेगी। यदि इस आयोग को भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयित कराया जाता, तो विधि के अनुसार, आयोग को कुछ अपना पूंजी-ढांचा भी बनाये रखना पड़ता। अन्य सभी निगमित निगमों के लिये यह व्यवस्था की गई है। स्वायत्तता की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि वित्तीय दृष्टि से निगम का अपना एक वित्तीय ढांचा होना चाहिये। लेकिन इस नये संविहित निकाय के लिये तो बिल्कुल किसी भी राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। उसे, जब भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और उसे अपनी आवश्यकता के बारे में सहमत करना पड़ेगा। अर्थात् संविहित आयोग की वित्तीय स्थिति वर्तमान आयोग की स्थिति से भिन्न नहीं होगी। उसे हर बार सरकार के सामने अपनी आवश्यकताओं का औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा।

खण्ड १९ में अवश्य कहा गया है कि आयोग की अपनी निधि होगी। लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि वह निधि आयेगी कहां से।

खण्ड २० में व्यवस्था है कि आयोग सार्वजनिक रूप से या किसी और प्रकार से ऋण ले सकेगा, लेकिन उसके लिये पहले केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और, जब तक सरकार गारंटी नहीं देगी, तब तक आयोग को ऋण देगा ही कौन ?

इसकी क्या संभावना है कि यह आयोग अपनी ही साख पर, केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना ही, ऋण ले सकेगी ? मंजूरी देना और गारंटी देना, दो अलग-अलग चीजें हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि निगम को शुरू में ही एक निश्चित राशि व्यय के लिये दे दी जानी चाहिये ।

माननीय मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा था कि आयोग अगले दो वर्षों में १२ करोड़ रुपयों से कुछ अधिक ही व्यय करेगा। जब यह बात पहले से इतने निश्चित तौर पर मालूम है और योजना आयोग तथा सरकार ने उसकी मंजूरी भी दे दी है, तो फिर आयोग को कुछ निधियां तो पहले से दे दी जानी चाहियें। तब आयोग को बार-बार वित्त मंत्रालय के सामने जा कर अपनी मांगों का औचित्य सिद्ध नहीं करना पड़ेगा ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** बार-बार तो नहीं।

†**श्री मुरारका :** आशा है माननीय मंत्री इस पर पूरी तौर से विचार करेंगे।

मैं इसे प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव के पक्ष में तो नहीं हूं क्योंकि इसे शीघ्रता से पारित करना जरूरी है, फिर भी मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी त्रुटियां हैं जिनके कारण इस निगम को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं मिल पायेगी।

खण्ड १० के उप खण्ड (१) में व्यवस्था है कि आयोग अपने कृत्यों को पूरा करने के दौरान में किसी भी व्यक्ति की सहायता या राय का लाभ उठा सकता है। इस खड के अन्तर्गत आयोग किसी भी देशी-विदेशी व्यावसायिक संस्था के साथ भागीदार भी बन सकेगा। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** क्या आपका मतलब है कि आयोग को किसी विशेषज्ञ की राय लेने से पहले हरबार केन्द्रीय सरकार से उसकी मंजूरी लेनी चाहिये ?

†**श्री मुरारका :** जी, नहीं। सहयोग करने का अर्थ क्या है ? यदि आप किसी विशेषज्ञ की फीस देकर उसकी राय लेते हैं या उससे कोई काम कराते हैं, तो उसे सहयोग करना तो नहीं कहा जायेगा ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** खण्ड २ के उपबन्धों से यह स्पष्ट हो जायेगा।

†**श्री मुरारका :** इसमें कहा गया है कि उपधारा (१) के अन्तर्गत, आयोग के साथ काम करने वाला व्यक्ति अपने काम से सम्बन्धित आयोग की चर्चाओं में भाग ले सकेगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार न होगा ।

इससे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** इससे स्पष्ट हो जाता है कि "साथ काम करने" का अर्थ क्या है। उसकी परिभाषा इस विधेयक में यह की गई है ; प्राविधिक सलाह लेना या कुछ विषयों के निरुपण में किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से सहयोग करना जो प्राविधिक रूप से उसके लिये सक्षम हों। ऐसे व्यक्ति अस्थायी तौर पर फीस लिये या बिना फीस लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ काम कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : मैं तो यही समझा हूं कि खण्ड १० (१) का अर्थ कुछ और व्यापक है। यदि उसका मंशा सिर्फ इतना ही है, जितना कि माननीय मंत्री ने अभी बताया है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन खण्ड १० में स्पष्ट कहा गया है कि आयोग इस अधिनियम में दिये गये अपने किसी भी कृत्य को पूरा करने के लिये किसी भी उस व्यक्ति के साथ काम कर सकता है जिसकी सहायता या राय वह लेना चाहे। और हमें अच्छी तरह मालूम है कि इस अधिनियम में क्या -क्या कृत्य बताये गये हैं। इसीलिये मैं सोचता हूं कि खण्ड का क्षेत्र कुछ अधिक व्यापक है।

मेरा ख्याल है कि यहां साथ काम करने वाले से अभिप्राय 'कर्मचारी' से नहीं है।

इस विधेयक के शीर्षक में आयोग की स्थापना का एक उद्देश्य पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय भी बताया गया है। खण्ड १४ (१) में भी उसका उल्लेख है। लेकिन खण्ड १४ (२) में आयोग के कृत्यों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें भी उसका उल्लेख होना चाहिये ।

फिर, खण्ड २१ के उप खण्ड ३ (क) में 'ऋण' का शुमार व्यय में किया गया है। इस आयोग को केवल सरकार से 'ऋण' मिलेंगे, तब फिर उनका शुमार व्यय के खाते में कैसे किया जा सकता है? उनको आमद के खाते में रखना चाहिये। व्यय के खाते में तो 'ऋण' तभी डाले जा सकते हैं जब कि आयोग अन्य निकायों को ऋण दे। विधेयक में कहीं भी 'ऋण' शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

विधेयक में यह व्यवस्था तो की गई है कि आयोग के प्रतिवेदनों और लेखा-परीक्षित लेखों को संसद् की दोनों सभाओं के सामने पेश किया जायेगा। पर उसके लिये कोई भी अवधि निश्चित नहीं की गई है। आयोग द्वारा सरकार को प्रतिवेदन देने और सरकार द्वारा उसे सभा-पटल पर रखने—दोनों ही के लिये समय की एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। खण्ड २२ के उप खण्डों (३) और (४) को संशोधित करने से यह आसानी से हो सकता है।

जैसा कि बदायूं के माननीय सदस्य ने कहा है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक द्वारा इस निकाय को तेल की खोज, उसके परिष्करण तथा क्रय-विक्रय का काम सौंपा जायेगा। आज के संसार में तेल का विशेष महत्व है। इसलिये इस निकाय को अपने कृत्य सुचारु रूप से करने देने के लिये जरूरी है कि इसे संविहित रूप दे दिया जाये।

मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है। इस आयोग का एक कृत्य तेल का परिष्करण भी है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी दो वर्तमान परिष्करिणियों और इस संविहित आयोग के बीच क्या सम्बन्ध रहेगा। कल माननीय मंत्री ने अपने भाषण में इस पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला था। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो और भी कई निकाय बनाना चाहते हैं, उनका परस्पर क्या सम्बन्ध रहेगा ?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्) : पिछले तीन वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब कभी सभा में पेट्रोल का प्रश्न उठा तो सरकार ने, इस प्रश्न को कि, सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति रहेगी, टालने का प्रयत्न किया है। और इस उद्योग में ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों को क्या क्या सुविधायें देगी इस को जान बूझकर न बताने का प्रयत्न किया

†मूल अंग्रेजी में

है। लेकिन इस मंत्रालय के कार्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों से पता चलता है कि इनकी नीति स्थिर है और वह नीति इस विधि के द्वारा प्रकट हो रही है। सरकार ने जब यह निश्चय किया कि तेल तथा प्राकृतिक गैस, आयोग तेल का पता करने तक ही सीमित रहेगा। तब यह नीति और भी प्रकट हो गई। इसका अभिप्राय यह है कि सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में सहअस्तित्व का प्रबन्ध करना है। जैसा कि माननीय मंत्री ने कई बार कहा है कि सरकारी क्षत्र में इस कार्य-प्रणाली का उद्देश्य देश में स्थित विदेशी तेल एकस्वों की हल्के तौर पर प्रतिस्पर्द्धा करना है। माननीय मंत्री का ध्यान मैं अन्य देशों में हुई इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा जनित परिणामों की ओर दिलाता हूं। ईरान और मिस्र इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इस प्रकार की कार्यप्रणाली हमारे यहां भी सफल नहीं होगी और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

जहां तक कि इस विधेयक का उद्देश्य है इसमें बहुत अच्छे सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में तेल मालूम करने तक ही सीमित है। लेकिन तेल मालूम करने के साथ ही उसका आयात, उसका वितरण तथा विदेशी तेल एकस्वो का यहां कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब बातें आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब माननीय मंत्री ने तेल के सम्पूर्ण व्यापार और भारत में तेल की नीति निर्धारित करने वाला एक स्वायत्त निगम बनाया तो तेल के सम्पूर्ण प्रश्नों के बारे में प्राधिकार तथा क्षेत्राधिकार देने से उन्हें किसने रोका था ताकि तेल के बारे में सम्मिलित तथा समान नीति बनाई जा सकती और आयोग उस नीति पर नियंत्रण कर सकता। हो सकता है कि माननीय मंत्री इससे सहमत न हों क्योंकि नीति अकेले माननीय मंत्री नहीं बनाते।

मैं सभा को स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि तेल समवायों से मूल्य के सम्बन्ध में हुये अन्तरिम समझौते के बावजूद भी सरकार उन समवायों के कोई काग़ज अथवा लेखा तक नहीं देख सकी क्योंकि उनके लेखा लंदन तथा न्यूयार्क में रखे जाते हैं। यहां तो उन्हें अहस्ताक्षरित वाउचर मिलते हैं जिनसे किसी बात का पता लगाना असंभव है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस समय सभा को बतायें कि मूल्य के सम्बन्ध में इस समय क्या नीति है?

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

गत वर्ष हमारे वित्त मंत्री अमरीका गये थे और उन्होंने वहां कैलीफोर्निया टेक्साज़ के एक उच्च-पदाधिकारी से पूरे दिन तक बातचीत की। अभी हाल में उनका एक उच्चपदाधिकारी भी भारत आया था लेकिन उसके यहां आने का उद्देश्य न तो संसद् को ही पता चला और न भारतीय जनता को ही। लेकिन वह पदाधिकारी माननीय वित्त मंत्री के निमंत्रण पर ही यहां आया था। क्या वित्त मंत्री ने उससे मूल्य के बारे में बातचीत की अथवा आयात के बारे में। हम यह जानना चाहते हैं।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के पारित हो जाने तथा आयोग को स्वायत्त बनाने के बाद वित्त मंत्रालय की कठिनाई और बढ़ जायेगी। मैं तो कहूंगा कि वित्त मंत्रालय पिछले एक वर्ष से गड़बड़ कर रहा है कोई भी ऐसी नीति नहीं बना रहा है जिससे कि विदेशों को तेल कम्पनियों द्वारा जाने वाली राशि यहां रुकग जाये और उसमें से कुछ धन हमें मिल सके।

यह बताया गया है कि भारत स्थित तीनों विदेशी तेल समवायों का लाभ बिलकुल भी कम नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि यदि मूल्य के बारे में कोई अच्छी नीति होती तो— अर्थात् वह सिद्धान्त जो आज सभी अन्तर्राष्ट्रों में माना जाता है अगर यहां भी माना गया]

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

होता तो हमें आज २५ करोड़ रुपये अधिक मिल गये होते। माननीय मंत्री हमें यह बतायें कि यह नीति कब से प्रभावी होगी। अगर इसमें कुछ कठिनाइयां हैं तो वे कठिनाइयां क्या हैं?

दूसरी बात उत्पाद शुल्क छूट के बारे में है। यह तो ठीक है कि १९५१ में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार इन तीनों विदेशी तेल समवायों को भी यह छूट दी गई थी लेकिन हमें बताया गया था कि ये समवाय बहुत जल्दी ही अपनी स्वेच्छा से इस छूट को स्वीकार करना बंद कर देंगी। लेकिन गैसोलीन और बर्मा शैल ने तो कुछ दिनों बाद इस छूट को लेना बंद कर दिया किन्तु अमरीकी समवाय "कालटैक्स समवाय" तथा "स्टानवक समवाय" अभी तक इस छूट से लाभ उठा रहे हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह यथासंभव इनके विरुद्ध कार्यवाही करे ताकि ये भी इस छूट को छोड़ दें।

तेल की खोज करना इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया गया है। किन्तु यह नहीं बताया गया कि क्या यह कार्य सम्पूर्णतः राज्य करेगा अथवा राज्य का एकस्व होगा। पिछले व्यवहार और घोषित नीति से तो यह पता चलता है कि वे इस कार्य को गैर-सरकारी क्षेत्रों और विशेषरूप से विदेशी समवायों के साझे में करना चाहते हैं। हमने तो यह देखा है और मैं कई बार यहां कह भी चुका हूं कि जब कभी हम विदेशी समवायों से तेल खोजने के बारे में समझौता करते हैं तो वे विदेशी समवाय यहां तेल पाने में कोई रुचि नहीं लेते क्योंकि इसमें उनका कोई हित नहीं होता। उदाहरण के लिये "इंडिया स्टानवक परियोजना" को ही लीजिये। यह परियोजना तेल मालूम करने में बिल्कुल असफल रही है। इसका उद्देश्य तो यहां का करोड़ों रुपया व्यय करना और तेल मालूम न करना ही है। वे तो अपना तेल यहां बेचने में अधिक रुचि रखते हैं।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि काफी मात्रा में उत्पाद जिसकी हमें आवश्यकता है वह अब विदेशों से आयात होगा। और वह आयात ये तेल समवाय ही करेंगे। अतः आयोग को इस उद्योग में उत्पादन की नीति निर्धारित करने का प्राधिकार मिलना चाहिये। इसे धीरे-धीरे विदेशों से तेल आयात करने के सम्पूर्ण अधिकार मिलने चाहिये। माननीय मंत्री तथा संसद यह जानती है कि विभिन्न देशों से आयात करने के बारे में विभिन्न नीति अपनाई जाती हैं।

मेरा निवेदन है कि जब तक सरकार इनके वितरण की नीति भी निर्धारित नहीं करती है तब तक हमारे सामने कठिनाइयां आयेंगी और हमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरा कहना है कि इस विधेयक में निर्धारित सम्पूर्ण नीति में परिवर्तन हो। आयोग को भारत में तेल के व्यापार पर पूर्ण अधिकार होना चाहिये तभी हमारे यहां तेल तथा पेट्रोल के बारे में स्वतंत्र नीति स्थापित हो सकेगी। अगर यह संशोधन के द्वारा नहीं हो सकता तो माननीय मंत्री को भारत में तेल के व्यापार की नीति के सम्बन्ध में एक दूसरा ही विधेयक उपस्थित करना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हम आशा करते थे कि माननीय मंत्री इस आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्यों का भी उल्लेख करेंगे किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अगर वह उल्लेख कर देते तो विधेयक की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

करने में सहायता मिलती। साथ ही पेट्रोल की खोज, उसके निकालने एवं उसके वितरण के सम्बन्ध में भी सरकार की क्या नीति है यह भी नहीं बताया गया है। अच्छा होता कि माननीय मंत्री ऐसी नीति के बारे में कुछ कहते। मेरा निवेदन है कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि एकस्व सरकारी क्षेत्र के हाथ में रहें।

श्री के० दे० मालवीय ने बताया है कि आयोग को, जो तेल ढूंढ़ने का कार्य करेगा, अपने कार्यक्रम को इस प्रकार बदलने तथा संशोधित करने के पूर्ण अधिकार दिये जायें कि वह जल्दी से तेल तथा गैस खोजने का कार्य कर सके। मुझे संदेह है कि यह विधेयक उसे इस प्रकार के अधिकार देगा। इस विधेयक में बहुत से खंड हैं जो इस आयोग की स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगायेंगे। उदाहरण के लिये खंड २१ के परन्तुक (ख) को ही लीजिये। मुझे डर है कि यह परन्तुक अधिक प्रतिबन्ध लगाने वाला है क्योंकि इससे अधिक अधिकार तो मंत्रालयों के पास आजकल हैं। इससे स्थिति में बहुत अधिक सुधार होगा। यह आयोग के कार्य में भी रुकावट डालेगा। खंड १५ के परन्तुक (ख) के अधीन भी आयोग की बहुत सी योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिलने तक रुकी रहेंगी। इस विधेयक में एक उपबंध यह भी किया गया है कि कोई उद्योग जो इस गैस को मूल उत्पादक के रूप में प्रयोग करेगा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्थापित नहीं किया जा सकेगा। मेरी समझ में यह प्रतिबंध लगाने वाली बात नहीं आई। इस आयोग के दो कार्य अर्थात् पेंट्रोल तथा पैट्रोल उत्पाद की बिक्री और उनका वितरण भी है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होगी यह नहीं मालूम। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में ये सभी बातें बेतरतीब से रख दी गई हैं। अगर सरकार का वास्तव में यह विचार है कि यह आयोग व्यावसायिक कार्य करे तो इस प्रकार के कार्य करने वाले अन्य संस्थानों के साथ इसका क्या सम्बन्ध होगा ?

इस आयोग की प्रकृति तथा उसकी रचना के सम्बन्ध में इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है कि इसमें एक अध्यक्ष तथा कम से कम दो सदस्य होंगे। यह कुछ नहीं कहा गया है कि आयोग के ये सदस्य किस प्रकार चुने जायेंगे। अच्छा होता कि यदि इस बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया होता। मेरा निवेदन है कि इस आयोग में स्थायी सेवा के व्यक्तियों को स्थान नहीं मिलना चाहिये। इसमें वे ही व्यक्ति लिये जाने चाहिये जिन्हें व्यापारिक संस्थानों की जानकारी तथा अनुभव हो।

खंड १६ में यह व्यवस्था की गई है कि यह आयोग अपने धन को ऐसी प्रतिभूतियों को क्रय करने में लगाये जो सरकार द्वारा स्वीकृत हों। मैं समझता हूँ कि आयोग के सामने शायद ही ऐसा अवसर आये। अतः मेरा निवेदन है कि यह खंड ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह तो संभव नहीं है कि इस विधेयक में संशोधन करके इस उपबंध को निकाला जा सके लेकिन प्रशासकीय कार्यवाहियों से माननीय मंत्री इतना कर सकते हैं कि आयोग इस प्रकार की प्रतिभूतियों अथवा अन्य निकायों में अपना धन न लगाये।

माननीय मंत्री ने बताया था कि जम्मू तथा काश्मीर में भी तेल निकालने का कार्य हो रहा है किन्तु इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार तो यह संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको इस बात के लिये तैयार किया जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों न फिर उनको भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाने के लिये तैयार किया जाये।

समन्वेषण के बारे में झूठी आशाएं दिलाई गई हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल में समन्वेषण का कार्य विदेशी समवायों द्वारा न कराकर इस आयोग को ही करना

[श्री अ० चं० गुह]

चाहिये । क्योंकि विदेशी समवायों द्वारा यहां देल ढूढ़ना उनके हित में नहीं है अतः वे रुपया तो आसानी से खर्च कर सकते हैं लेकिन तेल ढूढ़ नहीं सकते ।

अतः इस आयोग की स्थापना के पश्चात् मैं आशा करता हूं कि तेल के समन्वेषण का कार्य केवल इसी आयोग के द्वारा ही किया जायेगा और किसी विदेशी समवाय के द्वारा नहीं । आशा है कि पश्चिमी बंगाल में भी समन्वेषण का कार्य यह आयोग करेगा तथा देश को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता पहुंचायेगा क्योंकि यह औद्योगिक विकास तथा सुरक्षा और देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । अभी तक यह एक अधीन कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था । अपने कार्यक्रम को बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिये इसे कोई अधिकार नहीं थे अतः इसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । तेल के अन्वेषण का कार्य बहुत ही जटिल कार्य है । इस कार्य में आशा होती है लेकिन उस आशा की पूर्ति अन्य बहुत सी बातों पर निर्भर करती है । यही कारण है इसकी प्रगति भी धीमी होती है । अधीन कार्यालय के रूप में इसके सामने बहुत सी कठिनाइयां आई इसी कारण अब इस बात की आवश्यकता हुई कि इसे स्वायत्त निकाय बनाया जाये ।

यह ठीक है कि इस आयोग को अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं मिल सकी है लेकिन फिर भी पिछले वर्षों में इसने गम्भीरता और सचाई के साथ कार्य किया है ।

तेल के समन्वेषण के कार्य में बहुत सी कठिनाइयां हैं और वह एक प्रकार का जुआ है । आज देश में तेल की मांग बराबर बढ़ रही है । और भविष्य में भी यह मांग बढ़ेगी । हम अपनी पेट्रोल की मांग की ९० प्रतिशत पूर्ति आयात के द्वारा करते हैं । हम दो तेल शोधक कारखाने खोल रहे हैं जो दो तीन साल में ही कार्य करने लगेंगे । किन्तु फिर भी आयात ७० प्रतिशत रहेगा । राष्ट्रीय विकास और जीवन स्तर की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । देश का भविष्य आज तेल पर निर्भर करता है । अतः तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को स्वायत्त निकाय बनाने का प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है । इसे आयोग बनाने का प्रस्ताव सन् १९५५ में श्री के० दे० मालवीय ने तथा १९५६ में सोवियत विशेषज्ञों ने दिया था । स्वायत्त निकाय का सुझाव इसलिये दिया गया था ताकि इसमें लचीलापन आ सके ।

वित्तीय मामले में निश्चय ही यह स्वायत्त निकाय होगा क्योंकि इसके पास अपनी निधि होगी । यह बाजार से उधार भी लेगा । इसे पुनर्विनियोजन स्वीकृत करने का भी अधिकार दिया गया है । अतः ऐसी स्थिति में जब कि इसके पास अपना वित्त होगा तो यह आशा की जाती है कि यह अच्छी तरह कार्य करेगा ।

विधेयक के खंड १४ में इस आयोग के उत्तरदायित्वों का उल्लेख हैं लेकिन इनको देखने से ज्ञात होता है कि ये दायित्व प्रारम्भिक रूप के हैं । उदाहरण के लिये यह अधिकार दिया गया है कि यह देश में तेल तथा पेट्रोल के समन्वेषण का कार्य करे । लेकिन देश में अन्य विदेशी समवाय भी यह कार्य कर रहे हैं । उनकी आंख भी इस ओर लगी हैं । इस सम्बन्ध में तो मैं

†मूल अंग्रेजी में

अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि सभी यह बात जानते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आयोग बजाय इसके कि वह अपना दायित्व सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में बांटे सब काम स्वयं करे? दायित्व को बांटने में कोई लाभ नहीं है।

साथ ही तेल तथा पेट्रोल और इनके उत्पादों की बिक्री तथा उनके वितरण का दायित्व भी दिया गया है। यह कार्य दो अभिकरण और भी कर रहे हैं। इस प्रकार यह कार्य तीन अभिकरणों में बट गया। अगर यह कार्य केवल तेल तथा स्वाभाविक गैस आयोग को ही दिया गया होता तो समय, शक्ति, धन तथा प्रयत्नों की पुनरावृत्ति की बचत हो जाती। अतः इस क्षेत्र में इसको स्वायत्तता नहीं मिली है।

अंत में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन अगर थोड़ा और ध्यान दिया गया होता तथा थोड़ा और अधिक विचार किया गया होता तो आयोग को और भी स्वायत्तता मिल जाती और वह स्वायत्तता देश के लिये लाभदायक होती।

†**श्री नरसिंहन** (कृष्णगिरि) : वस्तुतः श्री मालवीय को इस बात का श्रेय मिलना चाहिये कि उन्होंने देश को तेल का महत्व बताया है। श्री रघुबीर सहाय ने प्राक्कलन समिति के सिफारिशों का जिक्र किया है। तथापि इससे कोई लाभ नहीं कि सरकार समिति की सिफारिशों के केवल एक अंश को क्रियान्वित करे और अन्य अंशों की उपेक्षा करे। प्राक्कलन समिति ने इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि आयोग में विशेषज्ञ व्यक्ति होने चाहिये। वस्तुतः स्वायत्तशासी संस्था बनाने के लिये आयोग बना देना ही काफी नहीं है अपितु मंत्रीमंडल, सचिवालय और संसद् का रवैया इस प्रकार का होना चाहिये कि उनको स्वतंत्र रूप से काम करने में प्रोत्साहन मिले।

इसके साथ-साथ मैं रूसी विशेषज्ञों के प्रतिवेदन का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के कई भागों में विशेषतः मद्रास में तेल निकलने की संभावना बहुत अधिक है। मैं आशा करता हूं कि आयोग बनने पर तेल निकालने के कार्य में वृद्धि होगी। मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारे देश में तेल निकालने के बर्मे बनाने का कार्य भी प्रारम्भ किया जायेगा।

†**श्री सूपकार** (सम्भलपुर) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को संविहित संस्था बनाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस सफलता के लिये माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। वस्तुतः प्राक्कलन समिति ने अप्रैल, १९५८ में ही इस आयोग की कठिनाइयां देख कर यह सिफारिश की थी कि यह इस आयोग को संविहित निकाय बनाया जाये। तथा इसको अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जायं। जिससे कि इसको अपने कार्य में न्यूनतम बाधायें उठानी पड़ें। तथापि आयोग के पिछले तीन वर्ष के कार्य से हमको यह अनुभव हुआ है कि आयोग को छोटी छोटी बातों के लिये सचिवों तथा विभागीय अधिकारियों पर निर्भर रहना होता है। वस्तुतः आयोग को इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे अपना कार्य किसी व्यवसायिक उपक्रम की तरह स्वतंत्रता और कुशलता से कर सकें। तभी हम देश के निक्षेपों का कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे।

वस्तुतः १९५६ में जब इस आयोग की स्थापना हुई थी उस समय आयोग को अधिक व्यापक शक्तियां दी गई थीं। उस समय इसका उद्देश्य गैर-सरकारी तेल समवायों के कार्य की देखभाल करना व संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना भी था, लेकिन इस विधेयक में यह खण्ड हटा दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त खण्ड को वर्तमान विधेयक में स्थान दिया जाय जिससे कि आयोग अपनी शक्तियों का अधिक उपयोग कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नवलानी** (सोरठ) : मैं आयोग को संविहित संस्था बनाने वाले इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वस्तुतः यह काम बहुत देर से किया जा रहा है। विधेयक में भी कुछ ऐसे उपबन्ध रखे गये हैं जिनसे आयोग को अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने में बाधा हो सकती है। खण्ड चार में सदस्यों की न्यूनतम संख्या विहित की गई है लेकिन अधिकतम संख्या नहीं दी गई है इससे सदस्यों के मन में यह आशंका बनी रहेगी कि सरकार अपनी इच्छा लादने के लिये अधिक से अधिक सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। इससे आयोग के कार्य में बाधा पैदा होगी। खण्ड १४ के उपखण्ड (३) में कहा गया है कि सरकार आयोग को निदेश दे सकती है और आयोग को उसके अनुसार कार्य करना होगा। खण्ड १० के द्वारा टेक्नीकल विशेषज्ञों को इस आयोग का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया है। तथापि मेरा विचार है कि टेक्नीकल विशेषज्ञों को इस आयोग में वह स्थान नहीं प्रदान किया जा रहा है, जो कि अन्य सदस्यों को किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना आवश्यक है। विधेयक में सदस्यों की पदावधि का भी उल्लेख नहीं है इसके साथ सरकार को खण्ड ५ के अधीन यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी सदस्य को उसकी कार्यावधि के पूर्व हटा सकती है। मेरे विचार से यह शक्ति विधेयक में नहीं दी जानी चाहिये था अपितु नियमों में विहित की जानी थी। अर्हताओं के सम्बन्ध में खण्ड ६ में कहा गया है, मेरा विचार है कि यह उपबन्ध अधिक व्यापक होना चाहिये था जिससे इसके अन्तर्गत वे सभी प्रकार के हित आ जाते जिनके कारण आयोग को हानि होने की संभावना होती। वस्तुतः इस सम्बन्ध में हमें चाहिये कि हम एक स्पष्ट नीति बना लेवें और उसी के अनुसार सारे अधिनियमों में व्यवस्था करें। अब मैं खण्ड २६ को लेता हूं इस विधेयक में प्रत्यायोजन सम्बन्धी जो शक्तियां दी गई हैं वे बहुत व्यापक हैं और उनके अनुसार आप किसी भी व्यक्ति को ये शक्तियां दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान वायु निगम अधिनियम १९५३ की ओर दिलाना चाहता हूं यदि इस विधेयक में भी उसी भाषा का उपयोग किया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : इस विधेयक का जो उद्देश्य बताया गया है उसको ध्यान में रख कर खण्ड १४ के उपखण्ड (१) और (२) से बाधा पहुंचती है। प्राक्कलन समिति ने पहले ही यह सिफारिश की थी कि देश के तेल संसाधनों का विकास करने के लिये एक स्वतंत्र निगम बनाया जाना चाहिये। इस उद्योग का अध्ययन करने से मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि यद्यपि तेल खोजना महत्वपूर्ण कार्य है तथापि इससे भी महत्वपूर्ण कार्य उसकी बिक्री, वितरण और परिवहन है और वस्तुतः इन्हीं बातों से तेल की कीमत निश्चित होती है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह आयोग मुख्यतः तेल खोजने के लिये बनाया गया प्रतीत होता है तो क्या अन्य कार्यों के लिये दूसरा निगम बनाया जायेगा। मेरा निवेदन है कि इस आयोग को और अधिक शक्तियां प्रदान की जायं।

कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि हमें तेल की खोज में विदेशियों से सहयोग करना चाहिये कि नहीं। मेरा इस सम्बन्ध में यह विचार है कि हम इस क्षेत्र में अभी बहुत पीछे हैं और तेल की खोज का काम बहुत खर्चीला और अलाभप्रद होता है इसलिये यदि हम ऐसे देश जो कि इस खोज के काम में आगे बढ़े हुये हैं यथा रूस, रूमानिया, पश्चिम जर्मनी इत्यादि का सहयोग लेवें तो कोई हानि नहीं होगी। इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हम जिस गति से काम कर रहे हैं उस चाल से काम करने में हमें बहुत समय लगेगा और बहुत रुपया व्यर्थ जायेगा। अतः हमें रूस और रूमानिया के सहयोग से उस घेरे को तोड़ देना है जो तेल व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकाधिकार किये हुये हैं। इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्रतिष्ठा के नाम पर हमें कुछ नहीं करना चाहिये अपितु ऐसे क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जहां तेल मिलने की संभावना काफी अधिक हो। यथा बंगाल में गंगा की घाटी और खम्भात की खाड़ी ।

अब मैं इन स्वायत्त शासी निकायों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं मेरा इस सम्बन्ध में यह अनुभव है कि इन निगमों में निदेशक लोग पुरानी भारतीय रियासतों की तरह खूब मनमानी करते हैं और टेक्नीकल विशेषज्ञों की सलाह की परवाह नहीं करते हैं। वहां नौकरशाही का खूब बोलबाला रहता है। अतः आयोग में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहियें। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र में एक केन्द्रीय तैल टेक्नीकल संस्था की स्थापना होनी चाहिये जहां इस सम्बन्ध में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज देवें और इसे अधिक व्यापक बनायें।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : विधेयक की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि विधेयक का एक उद्देश्य पैट्रोल तथा पैट्रोल उत्पादों की बिक्री करना भी है। तथापि विधेयक में यह बात कहीं नहीं कही गई है कि आयोग का एक कार्य खोज करने के पश्चात् उत्पादन की हुई वस्तुयें बेचना भी होगा। यह भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि यह बिक्री करने का कार्य किस प्रकार किया जायेगा। मेरे विचार से विधेयक के उपबन्धों में इस कार्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये था।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में दो तेल शोधन समवाय कार्य कर रहे है। आयोग के कार्यों में एक कार्य, तेल शोधन का भी है। अतः मेरे विचार से आयोग के उपबन्धों का इस प्रकार से विस्तार किया जाय कि ये शोधन कारखाने भी उसके अधीन आ जायं।

प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस कार्य के लिये एक स्वायत्तशासी निगम बनाया जाय। जब उसके स्थान पर यह विधेयक बनाया जा रहा है तो इसे अधिक व्यापक होना चाहिये था जिससे वह इंडो-स्टेनवाक परियोजना और अन्य समवायों को भी अपनी परिधि में ले सके।

मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा करता हूं। निस्संदेह इसने इस अवधि में प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं निवेदन करता हूं कि ज्वालामुखी और होशियारपुर इलाके में खोज का काम और तेजी से किया जाय और उस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही मैंने यह भी निवेदन करना है कि यह दुख की बात है कि जब देश के सभी भागों के व्यक्तियों को तेल इत्यादि के प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जा रहा है उस इलाके का कोई भी आदमी उच्च प्रशिक्षण के लिये बाहर नहीं भेजा गया है यह बहुत ही दुख की बात हैं। मैं आशा करता हूं कि उस इलाके के लोगों को भी यह सुविधा प्रदान की जायेगी। वस्तुतः जब उनके क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है तो उसका कुछ लाभ उन्हें मिलना ही चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं समझता हूं कि अब इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है कि राष्ट्र के तेल संसाधनों की खोज के लिए एक निगम बनाया जाये। और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तेल की खोज, छिद्रण आदि के लिए राजनैतिक भावनाओं से अलग एक आयोग बन गया है जिस के कार्यों की ओर यह सभा बड़े ध्यान से देख रही है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस आयोग से संतुष्ट नहीं हूं। आयोग में पद-व्यवस्था रखी गई है कि इस में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिये। मैं समझता हूं कि कम से कम सात सदस्यों की व्यवस्था रखी जानी चाहिये थी जिन में एक सभापति हो, दूसरा भू-वैज्ञानिक हो, तीसरा समस्त यंत्रों और उपकरण का इन्चार्ज हो चौथा संचालन प्रभारी हो पांचवां वित्त प्रभारी, छटा प्रशासन प्रभारी तथा सातवां, उप-सभापति के रूप में वाणिज्यिक देख भाल के लिये हो। केवल तीन सदस्य रहने से इस काम से सम्बन्धित सभी पहलुओं का वह पूरा विकास नहीं कर पायेंगे। पेट्रोलियम की खोज का काम एक बहुत बड़ा काम है तथा इस को बड़े विभाग को सौंपा जाना चाहिए। अर्थात् इस से संबंधित सभी कामों का भार अलग अलग व्यक्तियों पर डाला जाना चाहिये।

मेरे विचार से इस आयोग को अनुसंधान के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए हैं। यह बताया गया कि आयोग ३० लाख रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि यह राशि बहुत थोड़ी है और इस को बढ़ा कर एक करोड़ रुपया कर देना चाहिये कि एक करोड़ रुपये तक की योजना के लिए आयोग को स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली अधिनियम में हमने ऐसी व्यवस्था रखी है।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वर्तमान आयोग द्वारा अब तक किया गया व्यय इस नई संविहित संस्था को किस प्रकार दिया जायेगा। जब बम्बई राज्य बिजली (सप्लाई) अधिनियम, १९४८ बनाया गया था उस समय यही उपबन्ध रखे गये। उसी की वजह से बिजली बोर्ड और राज्य सरकार के बीच यह झगड़ा चल रहा है कि कितनी राशि को ऋण माना जाये तथा कितनी को पूंजी माना जाये। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये इस में कोई उपबन्ध नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसा उपबन्ध इस में रखा जाना चाहिए जिस से बाद में आयोग और केन्द्रीय सरकार में कोई झगड़ा न हो।

मैं इस के भी पक्ष में नहीं हूं कि आयोग स्वयं ऋण लेने लगे। संभव है सरकार की कोई गारन्टी न होने के कारण उसे अधिक सूद पर धन मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था रखी जाये कि आयोग की ओर से सरकार ऋण ले।

आयोग आय-व्ययक केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा। पुनः विनियोग के बारे में खण्ड रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि पुनः विनियोग संबंधी खण्डों को हटा दिया जाना चाहिये। क्योंकि इस से आयोग एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अपने अधिक धन को नहीं लगा पायेगा और इस से उस के काम में रुकावट पड़ सकती है।

आयोग को संतुलन पत्र—लाभ-हानि का ब्यौरा आदि भी तैयार करना होगा। परन्तु संसद के नियंत्रण के बारे में केवल इतना ही उपबन्ध रखा गया है कि वार्षिक प्रतिवेदन संसद में रखा जायेगा। मैं चाहता हूं कि वार्षिक वित्तीय विवरण तथा आगामी वर्ष की योजना भी संसद में रखी जानी चाहिए। इस से आयोग संसद सदस्यों की आलोचनाओं से लाभ उठा सकेगा।

आयोग द्वारा कर देने का उपबन्ध तो किया गया है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में रेलवे के समान यह भी सामान्य राजस्व में अंशदान देगा। मेरे विचार से तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिस से सामान्य राजस्व में इस प्रकार के सभी संविहित निगम अंशदान दें। मैं तो यह भी चाहता हूं कि इसके उत्पादों के मूल्य यह सभा निर्धारित करे और इसका एक उपयोगी संस्था के रूप में गठन हो।

मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का स्वागत इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मेरा ध्यान देश की रक्षा के काम में आने वाले तेल की ओर है। यदि यह आयोग तेल के साधन बढ़ा पाया तो, निस्सन्देह यह आयोग की बहुत बड़ी सफलता होगी।

†**श्री के० दे० मालवीय :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का बड़ा आभारी हूं कि उसने विधेयक के आदेशों तथा सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखें। अब हम दूसरा विषय लेते हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो १७ फरवरी, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

†उपाध्यक्ष महोदय मैं इस प्रतिवेदन के लिए माननीय इस्पात, खान और ईंधन मंत्री को बधाई देता हूं जो निगम के चेयरमैन तथा प्रबंध संचालक हैं। प्रतिवेदन में गत वर्ष की समस्याओं और कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है। निगम की स्थापना सितम्बर, १९५६ में हुई थी। इस थोड़े से समय में निगम ने काफी प्रगति की है। कोयले का उत्पादन जो १९५५–५६ में २९ लाख टन था १९५७–५८ में ३३.५७ लाख टन हो गया और १९५८–५९ में उसके ३५ लाख टन हो जाने की आशा है। निगम अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए नई खानों की खोज कर रहा है ताकि १०० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

परन्तु निगम का लाभ हानि का लेखा और संतुलन पत्र उत्साहवर्धक नहीं है। पूंजी की राशि लगभग ८ करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त लगभग १ करोड़ रुपए की रक्षित राशि है। यदि हम इस राशि पर छः प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि निकालें तो ५४ लाख रुपये आते हैं जब कि निगम का लाभ केवल एक लाख रुपये के लगभग है। इसलिए वास्तव में निगम को ५३ लाख का घाटा हुआ। इसका कारण यह बताया गया है कि ४ खानें बहुत खराब हैं। इन में से गिरीडीह की दो खानों में २० वर्षों में लगभग ५.६४ करोड़ रुपये की हानि हुई है। इन खानों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अन्य खानों से बहुत कम है। ऐसा मालूम होता है कि इन खानों का प्रबन्ध ठीक नहीं है। क्या मंत्रालय ने विशेषज्ञों द्वारा इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि इन खानों की हानि कैसे कम की जा सकती है? ऐसा किया जाना आवश्यक है क्योंकि गैर-सरकारी कोयला खानों में काफी लाभ होता है उदाहरणार्थ बंगाल कोयला खानों में १९५५ में ७३ लाख रुपए का लाभ हुआ जब कि उसकी पूंजी केवल १२० लाख रुपये की थी। यह ठीक है कि कुछ खानें खराब हैं परन्तु अन्य खानों में इतना लाभ होना चाहिये कि उन से होने वाली हानि की पूर्ति हो जाय। वर्तमान स्थिति को ठीक नहीं कहा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[रामेश्वर टांटिया]

हमें दूसरी पंच वर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन ६०० लाख टन करना है जिसमें से १५० लाख टन सरकारी खानों से होगा और ४५० लाख टन गैर-सरकारी खानों से। परन्तु गैर सरकारी खानों वाले यह कहते हैं कि हमें उतनी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जितनी सरकारी खानों को प्राप्त हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। दोनों को समान सुविधायें मिलनी चाहिए।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह अच्छी बात है कि निगम नई खानों की खोज कर रहा है और हम आशा करते हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : हम कोयला विकास निगम के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं जब कि वास्तव में इस समय तीसरे प्रतिवेदन पर विचार किया जाना चाहिए था। मैं निगम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

जहां तक निगम के संचालक बोर्ड का सम्बन्ध है, बड़े दुख की बात है कि वर्ष १९५७-५८ में उसमें कोई भी प्रविधिज्ञ नहीं रहा जबकि खनन् अत्यन्त प्रविधिक विषय है। १९५९ में इस गलती का सुधार करके एक प्रविधिज्ञ बोर्ड में नियुक्त किया गया। परन्तु इतना पर्याप्त नहीं है। निगम का प्रबन्ध संचालक भी एक आई० सी० एस० अधिकारी है। अन्य निगमों में ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि संचालक बोर्ड में प्रविधिज्ञों की संख्या अधिक होनी चाहिए, आई० सी० एस० अधिकारियों की नहीं।

जहां तक उत्पादन का प्रश्न है दूसरी पंच वर्षीय योजना में १५० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय हम से कहा गया था कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं। परन्तु जिस वर्ष का यह प्रतिवेदन है उसका उत्पादन केवल ३५ लाख टन है जो बहुत कम है।

मैं समझता हूं कि निगम का संगठन ठीक नहीं है। यह ठीक है कि नई खानों की खोज में कुछ समय लगेगा। परन्तु जब तक नई खानें नहीं चालू होतीं पुरानी खानों का उत्पादन बढ़ाकर उस क्षति की पूर्ति की जा सकती थी। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। कोरबा की खानों से दूसरी योजना के अन्त तक २०-३० लाख टन कोयला निकालने का लक्ष्य था। परन्तु अब यह लक्ष्य बदल दिया गया है। इसी प्रकार बिसरामपुर-झिलमिली का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि रेलवे १९६०-६१ तक वहां लाइन नहीं बना सकेगी।

कोयला कारखानों के लिए बहुत आवश्यक कच्ची सामग्री है इसलिए उसके सम्बन्ध में आयोजन करते समय बहुत सतर्कता बरती जानी चाहिए। भूरकुण्डा और सौण्डा कोयला खानों में कोयला मिल चुका है तथा उसकी मात्रा भी काफी है। परन्तु वह इसलिए नहीं निकाला जा सकता कि वहां रेलवे साइडिंग नहीं बन सकी है। क्या यही आयोजन है? यदि यही स्थिति रही तो हम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे। अभी भी समय है और यदि जोरदार कदम उठाये जायें तो हम वैसा कर सकते हैं।

बोकारो में तीसरी पारी चालू की जानी थी। परन्तु वह इसलिये नहीं की जा सकी कि निरीक्षक ने उसकी अनुमति नहीं दी। परन्तु अनुमति न दिये जाने का कारण यह है कि रज्जु-पथ (रोपवे)

---

†मूल अंग्रेजी में

के नीचे तार की जाली नहीं लगाई गई थी जो बहुत ग्रावश्यक है । इससे मालूम होता है कि निगम ग्रपना कार्य जिम्मेदारी के साथ नहीं करता है । करगली का कोयला धोने का कारखाना भी किसी कठिनाई के कारण निश्चित तिथि को चालू नहीं हो सका ।

इसके बाद मैं इन कोयला खानों की काम की शर्तों का उल्लेख करना चाहता हूं । ग्रभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं । इस निगम में ग्रभी तक सेवा शर्तों का कोई उचित विनियमन नहीं है यद्यपि ग्रब उसका निर्माण हुए दो वर्ष हो चुके हैं । कोयला खानों में लगभग २०,००० से २२,००० लोग काम करते हैं परन्तु क्वार्टर बहुत धीरे धीरे बनाये जा रहे हैं । १९५७-५८ में ७०० क्वार्टर बने ग्रौर १९५८-५९ में १४०० क्वार्टर । पता नहीं हमारे खनिकों को कब तक क्वार्टर मिल सकेंगे ? कोयला बोर्ड के कार्यालय को कलकत्ता से रांची लाया गया जहां क्वार्टर न होने से कर्मचारियों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ रही है । इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान क्वार्टरों के बनाये जाने की ग्रावश्यकता की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं ।

तरक्की के सम्बध में भी कोई उचित नियम नहीं हैं । उदाहरण के लिये जाधवपुर के एक स्नातक को एक कोयला धोने के कारखाने में सुपरवाइजर नियुक्त किया ग्रौर उसे प्रशिक्षण के लिये जापान भेज दिया गया । फिर ग्रचानक ही एक नये स्नातक को लाकर सहायक-इंजीनियर नियुक्त कर दिया गया । इसी तरह निगम में भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिनकी जांच की जानी ग्रावश्यक है ।

जहां तक जल संभरण का सम्बन्ध है, बोकारो ग्रौर कलगली कोयला खान क्षेत्रों में जल संभरण का प्रश्न बहुत समय से लटकता ग्रा रहा है । बम्बई के एक इंजीनियर ने योजना प्रस्तुत की थी । दो वर्ष हो चुके हैं परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । पानी बहुत ग्रावश्यक चीज़ है । पता नहीं यह कार्यक्रम कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ।

जहां तक वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि जितना खर्च खानों पर किया जाता है उसकी तुलना में उत्पादन बहुत कम है । कोयला विशेषज्ञों के ग्रनुसार नई खान से कोयला निकालने का खर्च ३० से ४० रुपया प्रति टन होता है । हिसाब देखने से ज्ञात होता है कि ग्रब तक १७ करोड़ रुपये की पूंजी इन कोयला खानों में विनियोजित की जा चुकी है । इस दृष्टि से उत्पादन ४० लाख टन होना चाहिए था परन्तु वास्तव में वह केवल ३० लाख टन के लगभग हुग्रा है । इस प्रकार १० लाख टन उत्पादन कम हुग्रा ग्रौर हमें हानि हुई ।

गिरीडीह कोयला खान के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी । उसने उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें की थीं जिनमें एक यह है कि कोयला ऊपर लाने के लिए जिस टब का प्रयोग किया जाता है उसका ग्राकार बड़ा होना चाहिए । समिति ने ४५ घनफीट के टब का सुझाव दिया है । जब मैंने खानों के ग्रधीक्षक से इसके सम्बन्ध में प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया कि हम ने एक गैर-सरकारी फर्म को उस ग्राकार के टब बनाने का ग्रादेश दिया है । फिर क्या हुग्रा? निगम को लोहे तथा इस्पात का जो कोटा मिलता है वह उस फर्म को देने के लिये कहा गया । परन्तु लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने वैसा करने से इन्कार कर दिया । इन टबों के निर्माण का ग्रादेश एक सरकारी फर्म को देना गलत था जबकि गिरीडीह में एक बड़ा ग्रच्छा कारखाना है जिसमें ये बनाये जा सकते थे । जब मैं ने यह प्रश्न किया कि फिर यह ग्रादेश गैर-सरकारी फर्म को किसने दिया तो मुझे उत्तर मिला कि "मुझे नहीं मालूम" । संभवतः निगम के किसी व्यक्ति ने वैसा किया होगा ।

निगम में तीन चीफ माईनिंग इंजीनियर हैं । एक इंजीनियर कोरबा खान का प्रभारी है, दूसरा पुरानी खानों का प्रभारी है ग्रौर तीसरा ग्रन्य कार्य देखता है । इन लोगों को रांची में दरभंगा हाउस में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

नहीं बैठे रहना चाहिए वरन् खानों में जाकर काम देखना चाहिए । कार्यालय का काम तो प्रबन्ध संचालक तथा अन्य अधिकारी देख सकते हैं।

निगम को अपने कार्य में भारतीय खानि विभाग और भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण से भी सहायता मिलती रही है । परन्तु इतना होने पर भी जो काम हुआ है वह इस सहायता के मुकाबले बहुत कम है । क्या इन गलतियों का सुधार नहीं किया जा सकता है ? हमारे यहां कोयला खनन् कार्य लगभग ५०-६० वर्षों से हो रहा है । परन्तु आज भी हमें कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है । मुझे इस में भी कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आपको अपनी योजना इस प्रकार बनानी चाहिये कि आपके वार्षिक लक्ष्य पूरे हो सकें । जो लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लिया जाय उसमें कमी नहीं की जानी चाहिए। आज भी यदि सिंगरैनी कोयला खान को उचित सहायता दी जाये तो हम अपना उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक बढ़ा सकते हैं । सिंगरैनी कोयला खान कम्पनी के पास प्रविधिक कर्मचारी पर्याप्त हैं और वे उत्पादन बढ़ा सकते हैं । उन्हें केवल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । यदि केन्द्रीय सरकार सहायता करे तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन बातों पर विचार करें और इस बात का प्रयत्न करें कि दूसरी योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनमें कमी न की जाय ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : निगम का कार्य गत दो वर्षों में सन्तोषजनक नहीं रहा है। यह ठीक है कि उत्पादन में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु अभी भी पुरानी खानें नुकसान पर ही चल रही हैं । मैं समझता हूं कि गिरीडीह कोयला खानों के सम्बन्ध में सरकार को कोई निर्दिष्ट निर्णय करना चाहिए । इन खानों का कोयला बहुत अच्छी किस्म का है इसलिए उसका एक एक कण निकाला जाना चाहिए । सरकार को कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह हानि दूर हो सके। इसके लिए या तो कोयले का मूल्य बढ़ाया जा सकता है या राज-सहायता दी जा सकती है। निगम को वह नुकसान नहीं उठाना चाहिए । इन कोयला खानों में कुछ हानि इसलिए भी होती है कि मजदूरों की संख्या आवश्यकता से अधिक है । अब ऐसे मजदूरों को दूसरी खानों में भेजा सकता जा है क्योंकि निगम अपना कार्य बढ़ा रहा है ।

निगम के कार्य का मूल्यांकन मूलत: उत्पादन की दृष्टि से किया जाना चाहिए । दूसरी योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र का लक्ष्य अतिरिक्त १२० लाख टन के लगभग था जिसमें से १०० लाख टन उत्पादन इस निगम को करना था । परन्तु इन तीन वर्षों में वह केवल ३० लाख टन उत्पादन कर सका है । इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है । माननीय मंत्री ने सभा में सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का आश्वासन अनेक बार दिया है । पता नहीं अब उनका क्या विचार है । यदि सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिए लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव न हो तो गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए । योजना के प्रथम दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र का कार्य जितना अच्छा रहा उतना तीसरे वर्ष में नहीं । माननीय मंत्री को दोनों उद्योग क्षेत्रों से मिलकर यह निश्चय करना चाहिए कि योजना की अवधि में ६०० लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा अथवा नहीं ।

जहां तक निगम का सम्बन्ध है उस का संगठन ठीक नहीं है । राष्ट्रीयकरण का मतलब यह नहीं है कि उस में सरकारी अधिकारियों को भर दिया जाय । ब्रिटेन के कोयला बोर्ड अधिनियम

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह उपबन्ध है कि बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति ईंधन तथा विद्युत मंत्री ऐसे व्यक्तियों में से करेगा जो उसे औद्योगिक तथा वित्तीय मामलों में अनुभव प्राप्त मालूम हों। मेरे विचार से हमारी सरकार को भी किसी निगम के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करते समय समान कसौटी अपनानी चाहिये। माननीय मंत्री को इस निगम के गठन में आमूल परिवर्तन करना चाहिये—उस में ऐसे व्यक्ति लेने चाहियें जो उद्योगों की जानकारी रखते हों। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक निगम का काम सुचारु ढंग से नहीं हो सकेगा।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि इंजीनियरों को प्रबन्ध कार्य से मुक्त कर दिया गया है ताकि वे खनन कार्य की ओर अधिक ध्यान दे सकें। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रविधिक व्यक्तियों को प्रबन्ध कार्य में लगाया गया। किसी भी वाणिज्यिक उपक्रम में इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। यही नहीं, प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि वाणिज्यिक पद्धति का लेखांकन प्रारम्भ किया जा रहा है। एक वाणिज्यिक उपक्रम के तीसरे वर्ष में भी वाणिज्यिक लेखांकन चालू करने का विचार मात्र किया जा रहा है।

जहां तक उत्पादन की लागत का प्रश्न है मेरी समझ से इस निगम में उत्पादन की लागत गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र से अधिक है। अब जो कोयला खानें खोली जा रही हैं उन में नवीनतम उपकरणों का प्रयोग किया जाता है इसलिये उत्पादन की लागत कम होनी चाहिये थी। इस के अतिरिक्त यंत्रों के प्रयोग के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन भी अधिक होना चाहिये। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो सका है।

मैं बोर्ड के सम्बन्ध में फिर कुछ कहना चाहता हूं। बोर्ड की बहुत सी बैठकें रांची के बजाय नई दिल्ली में होती हैं। इस के अतिरिक्त इन बैठकों की कार्य-सूची इतनी लम्बी होती है कि बोर्ड के सदस्य, जो अधिकतर व्यस्त सरकारी अधिकारी होते हैं, उसे ध्यान से पढ़ भी नहीं पाते। इसलिये बोर्ड में पूर्णकालिक प्रविधिक व्यक्ति होने चाहियें जो सदा उपलब्ध हो सकें।

इस के अतिरिक्त निगम की शक्तियां भी बहुत सीमित हैं जिस से उस का कार्य शीघ्रता से नहीं हो पाता। २० लाख रुपये से अधिक की लागत के कार्यों के लिये राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। इस में बहुत समय नष्ट होता है। यही नहीं, निगम किसी व्यक्ति को कमीशन के आधार पर विक्रय अथवा क्रय अभिकर्ता भी नहीं नियुक्त कर सकता क्योंकि उस के लिये भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि निगम को स्वायत्तशासन के अधिकार प्राप्त होने चाहियें। जब हम किसी निगमित निकाय को कुछ कृत्य सौंपते हैं तो उसे स्वायत्तशासी भी बनाना चाहिये। बोर्ड के एक या दो सदस्यों को वित्तीय प्राधिकार दिया जाना चाहिये। निगम में प्रशासकीय स्वायत्तता और नमनीयता होनी चाहिये अथवा वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा जो उस के समक्ष रखा गया है।

इस के बाद मैं कोरबा कोयला खानों पर आता हूं। वहां कार्य की प्रगति निश्चय ही मन्द है जैसाकि प्रतिवेदन में भी स्वीकार किया गया है। इस खान से दूसरी योजना में १६ लाख टन उत्पादन होना है परन्तु जब तक यह खान उत्पादन करने की स्थिति में आ सकेगी तब तक योजना की अवधि ही समाप्त हो जायगी। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि रेलवे साइडिंग दिसम्बर, १९५८ तक पूरी हो जायगी। पता नहीं वह कार्य हुआ है या नहीं? कुछ अन्य खानों में भी रेलवे साइडिंग न होने के कारण उत्पादन में विलम्ब हो रहा है जैसाकि मेरे पूर्ववक्ता ने बताया। इस से मालूम होता है कि निगम के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव है।

[श्री अ० चं० गुह]

इस प्रतिवेदन में बहुत सी लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियां हैं जिन में से कुछ बहुत गम्भीर हैं। उदाहरण के लिये आपत्ति संख्या ६ में जो ऋणदाताओं के सम्बन्ध में है, यह कहा गया है कि आवश्यक ब्यौरा न दिये जाने के कारण आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया जा सका। किसी समवाय के वार्षिक प्रतिवेदन में इस प्रकार की लेखा परीक्षा आपत्तियां होना कोई अनहोनी बात नहीं है। परन्तु यहां जो आपत्तियां हैं वे इतनी अधिक हैं कि एक अच्छे समवाय के लिये असाधारण हैं।

जहां तक अवक्षयण के लिये उपबन्ध का प्रश्न है मैं समझता हूं कि जो राशि---१८,९७,५४८ रुपये---रखी गई है वह पर्याप्त नहीं है। मुझे सन्देह है कि यह अवक्षयण की पूर्ण राशि नहीं हो सकती और इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि मैं आशा करता हूं कि निगम के कार्य में सुधार होगा। यदि आवश्यक हो तो अन्तर्नियमों में संशोधन किया जाय ताकि निगम एक स्वायत्तशासी निकाय की तरह कार्य कर सके। यदि निगम के पिछले दो वर्षों में काम अच्छा नहीं हुआ तो इस का मतलब यह नहीं है कि आगे भी अच्छा नहीं हो सकता। यदि प्रबन्ध में तनिक सुधार किया जाय तो निगम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मेरी इच्छा थी कि मैं भी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को बधाई दूं पर उस के प्रतिवेदन से मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती कि मैं उसे बधाई दूं। हम चाहते हैं कि इन सभी संस्थाओं में और अधिक उत्पादन हो। दूसरे आज जब हम तीसरी योजना की चर्चा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये संस्थायें हमें लाभ दें तथा देश में पूंजी का निर्माण हो।

पिछले दोनों प्रतिवेदनों को देखने से पता लगता है कि यह निगम अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो सका है। साथ ही इस निगम में जो व्यक्ति हैं, उन में अधिकांश व्यक्ति विभाग के ही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये आई० सी० एस० पदाधिकारी, जिन की संख्या इस बोर्ड में ९ में से ५ है, सभी प्रकार का काम चाहे व टेकनिकल हो या अन्यथा, अच्छी तरह कर सकते हैं।

उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देखिये। निगम को १२० लाख टन का उत्पादन करना था जबकि केवल ५८ लाख टन का उत्पादन हो पाया है। साढ़े ३ वर्षों में निगम ने जो प्रगति की है क्या वह संतोषजनक है? क्या इस से अधिक उन्नति नहीं हो सकती थी?

निगम द्वारा अपने अधीन की गई खानों में केवल २ लाख टन का उत्पादन हुआ है। द्वितीय योजना के अन्त तक १०० लाख टन का उत्पादन होता था। अब केवल १॥ वर्ष का समय बाकी है, क्या इस लक्ष्य की पूर्ति इतने थोड़े समय में संभव हो सकेगी। मैं मानता हूं कि रेलवे लाइन, साइडिंग तथा बिजली की कठिनाइयां हैं, पर क्या इन के बारे में पहले विचार नहीं किया गया था? ये कठिनाइयां तो गैर-सरकारी खानों के भी सामने हैं, पर उन का कार्य तो सन्तोषजनक रहा है। मैं समझता हूं कि इस बोर्ड के लोग स्वयं काम न करते हैं, न काम के बारे में जानते हैं और अपनी असफलता का दोष दूसरों के सर मढ़ने के लिये, इन कठिनाइयों की आड़ ले रहे हैं।

यह बात कि सरकारी खानों की तुलना में गैर-सरकारी खानों को अधिक सुविधायें प्राप्त हैं नहीं मानी जा सकती। माननीय मंत्री की यह बात हम में से कोई भी नहीं मान सकता कि कोयला विकास निगम ने उत्पादन बढ़ाया है और योजना काल में वह अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन में अलग-अलग खानों के उत्पादन की वृद्धि का ब्योरा नहीं है अतः यह नहीं पता लगता कि किन-किन खानों में उत्पादन कितना कितना बढ़ा है । कम-से-कम दो खानों के बारे में तो मैं जानता हूं कि वहां न तो उत्पादन बढ़ा है और न कर्मचारियों की दशा ही ठीक है। विलियर्स कोयला खान के प्रबन्ध की खराबी के कारण निगम उसे अपने अधीन लेना चाहता था । पर ऐसा पता नहीं क्यों नहीं किया गया । इस से पता लगता है कि सरकार के सामने कोई स्पष्ट रूप रेखा नहीं कि लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाय ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रतिवेदनाधीन वर्ष से ले कर अब तक प्रबन्ध तथा श्रमिकों के सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं । मैं इस से सन्तुष्ट नहीं हूं बल्कि जानना चाहता हूं कि श्रमिकों के लिये सरकार ने क्या क्या अतिरिक्त सुविधायें प्रदान कीं । जहां तक आवास व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि श्रमिकों की स्थिति काफी खराब है ; उन्हें बहुत तकलीफें हैं ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निगम की खानों के हिसाब-किताब रखने की शैली की कटु आलोचना की गई है । कुछ ठेकों को शिकायतें हैं, कुछ स्थानों पर हिसाब-किताब न रखने की शिकायतें हैं । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि वह निगम का प्रशासन ठीक करने के लिये कुछ आवश्यक कार्यवाही करे ।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम कोल कारपोरेशन की सन् ५७-५८ की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं । कोयले का हमारे देश के लिये बहुत महत्व है । कोयले की प्लानिंग के सम्बन्ध में, रेलवेज़ के वास्ते, स्टील के वास्ते और पावर के वास्ते सख्त जरूरत होती है । इसलिये प्लानिंग कमिशन ने यह जरूरी समझा कि कोल की अधिक पैदावार की जाय और गवर्नमेंट इस कोल के काम को अपने हाथ में ले । इसलिये सन् १९५५ में यह कारपोरेशन बनाया गया । उस वक्त कोल का प्रोडक्शन ३८ मिलियन टन था । उस वक्त यह तय किया गया था कि फाईव ईयर प्लान में करीब ६० मिलियन टन कोयले का उत्पादन होना चाहिये । २२ मिलियन टन में १२ मिलियन टन कोयला तो प्राइवेट सैक्टर निकाले और १० मिलियन टन कोयला पबलिक सैक्टर निकाले ।

जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो मालूम होता है कि जो फायदा होना चाहिये था वह फायदा नहीं हुआ और जितना कोयला निकलना चाहिये था उतना कोयला नहीं निकला । उस का खास कारण यह है कि गवर्नमेंट कारपोरेशन कायम कर के जो काम पब्लिक सैक्टर से करवाती है उस में उतना काम भी नहीं होता, उत्पादन भी कम होता है और प्राइवेट सैक्टर की अपेक्षा लाभ भी कम होता है बल्कि अक्सर पब्लिक सैक्टर द्वारा कारपोरेशंस कायम कर के सरकार जो काम धंध करती है उन में लाभ के बदले नुकसान हो जाया करता है । अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया कि एक प्राइवेट सैक्टर की कम्पनी जिस का कि कैपिटल १ करोड़ २० लाख है उसने ७० लाख का प्राफिट किया और इसी तरीके से दूसरी कम्पनियां हैं जिन का ८० लाख कैपिटल है और जिन्हों ने ३० लाख का फायदा किया । इस के विपरीत यदि हम इस कोल कारपोरेशन को देखें तो पायेंगे कि इस कारपोरेशन में करीब ६ करोड़ रुपया लगा हुआ है और इस रिपोर्ट के मुताबिक १२ लाख का फायदा दिखलाया गया है । जितनी भी पबलिक सैक्टर में इन पिछले पांच, सात वर्षों में कारपोरेशन्स बनी हैं सब की यही हालत है चाहे वे स्मौल स्केल इंडस्टीट्रीज़ की कारपोरेशन हों, चाहे वह लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन हो अथवा और भी कोई कारपोरेशन हो । उन में प्राइवेट सैक्टर की कम्पनीज़ की अपेक्षा बहुत कम मुनाफा होता है । पब्लिक सैक्टर में न तो उतना मुनाफा होता है और न उतना उत्पादन ही होता है । और देखा तो यह गया है कि पब्लिक सैक्टर में खोली जाने वाली कारपोरेशन्स में बजाय फायदे के उलटा नुकसान होता है ।

[सेठ अचलसिंह]

अभी जो रेलवे बजट आया था उसमें हमने देखा था कि १२०० करोड़ रुपया तो सरकार का लगाया हुआ है और सिर्फ ४५ लाख रुपया प्राइवेट सैक्टर का दिया गया है। मैं आपको बतलाऊं कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने जो स्पीच दी थी उस में उन्होंने बतलाया था कि बलगेरिया, हंगरी और रूमानिया में जितना प्राफिट होता है उससे स्टेट इंडस्ट्रीज़ का काम चलता है और वहां पर लोगों पर कम से कम टैक्स लगता है जब कि हमारे देश में हालत बिलकुल उलटी है और जनता पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाये जाते हैं और सरकार द्वारा जो काम धंधे किये जाते हैं, कारपोरेशंस् कायम करके काम किया जाता है उनमें बजाय फायदे के काफी नुकसान होता है जब कि वही काम प्राइवेट सैक्टर में यदि कराया जाता है तो लाभ होता है और उत्पादन भी अधिक होता है। आज इस चीज़ को लेकर लोगों में जो टीका टिप्पणी होती है कि सरकारी काम में सदा घाटा रहता है और प्राइवेट सैक्टर द्वारा काम करवाये जाने में फायदा होता है, इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि पबलिक सैक्टर में ओवरहैड चार्जेज के तहत काफी अधिक खर्च होता है, रैडटेपिज्म और दूसरी लिखा पढ़ी की चीजों के मारे काफी पैसा खर्च हो जाता है और जिस काम पर पबलिक सैक्टर में ४, ५ हजार रुपये खर्च होते हैं वही काम प्राइवेट सैक्टर में १००० या १५०० रुपये में निकल जाता है। उत्पादन भी वहां पर शिथिल रहता है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो पबलिक सैक्टर में सरकारी अफसरान और कर्मचारी होते हैं, मैं दो, चार अपवादों की तो कहता नहीं लेकिन ज्यादातर लोग केवल अपने पद का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचने का यत्न करते हैं और उनका अपने कर्त्तव्य की ओर जितना ध्यान जाना चाहिए वह नहीं जाता है और उनमें यह भावना काम करती है कि हमें जो यह मौका मिला है उसका अधिक से अधिक फायदा उठा लें, सरकारी काम भाड़ में जाय और जिसका कि परिणाम यह होता है कि पबलिक सैक्टर में उत्पादन भी कम होता है और चूंकि वहां अनापशनापें खर्च होता है इसलिए फायदा भी नहीं होता बल्कि अक्सर नुकसान ही होता है।

आज हम देखते हैं कि देश में चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। फुडग्रेंस इंस्पैक्टर, और दूसरे अन्य सरकारी अफसरान स्मगलिंग आदि होने देते हैं और मैं जानता हूं कि एक एक पैटी आफिशिएल नाजायज तौर पर हजारों रुपये कमा लेता है, इंस्पैक्टर्स घूस वगैरह खाते हैं और एक एक इंस्पैक्टर पांच पांच हजार और दस दस हजार रुपये एक साल में कमा लेता है। छोटे छोटे सरकारी मुलाजिम इस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नाजायज तौर पर पैसा कमाते हैं लेकिन इससे गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है, प्रोडेक्शन सफर करता है और पबलिक सैक्टर में गवर्नमेंट को घाटा पहुंचता है।

मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करे और होना तो यह चाहिए कि जो भी काम गवर्नमेंट पबलिक सैक्टर में कराये, वह ठीक बेसिस पर किया जाय, ठीक तरीके से किया जाय और इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि वहां पर रुपये की फिजूलखर्ची न हो क्योंकि जिस तरह से आज सरकार द्वारा काम कराये जा रहे हैं उनसे देश को नुकसान होता है और इसके परिणामस्वरूप जनता पर टैक्सों का बोझ भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए मैं अपने मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि वे इसकी काफी देखभाल रक्खें ताकि कोयले का उत्पादन अधिक हो और जो हमारा १० मिलियन टन कोयला निकालने का लक्ष्य है वह हम पूरा कर सकें। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ ही साथ यदि खर्चे में भी कमी हो तो मैं समझता हूं कि कारपोरेशन अच्छी तरह से कामयाबी के साथ चलता हुआ माना जा सकता है अन्यथा नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूं।

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : इस निगम के मामले पर ध्यान देने तथा इसके सुधार के लिये सुझाव देने वाले माननीय सदस्यों को मैं बधाई देता हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन काल की सफलता की आलोचना की है और उन्होंने यह भी शंका प्रकट की है कि द्वितीय योजना काल में हमारा उत्पादन लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पायेगा । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में हम इस भिन्न प्रणाली से कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते । एक माननीय सदस्य ने कहा कि २ लाख टन का उत्पादन १ वर्ष में हुआ अतः ५ वर्षों में १० लाख टन ही होगा और लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी । मेरा निवेदन है कि कोयला के उत्पादन के सम्बन्ध इस गणित से हिसाब लगाना गलत होगा । इस सम्बन्ध में हमें एक अलग दृष्टिकोण से विचार करना होगा । विकास की एक विशेष स्थिति आ जाने पर उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी ।

आप जानते हैं कि किसी इस्पात कारखाने में चाहे करोड़ों रुपये खर्च कर दिये जायें, पर जब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो जायेगा, उसमें तनिक भी उत्पादन नहीं हो सकता । यही बात कोयला खानों के सम्बन्ध में भी है । यहां जब तक पूर्ण विकास नहीं हो जाता, आप उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगा सकते ।

जब ये योजनायें तैयार की जा रही थीं, तो अनेक देशी तथा विदेशी विशेषज्ञों ने यह शंका प्रकट की कि क्या उत्पादन बढ़ा कर लक्ष्य पूर्ण करना संभव होगा क्योंकि सामान्यतया ५ या ७ वर्षों में खान का पूर्ण विकास हो पाता है और उसके बाद ही उस में लाभदायक उत्पादन हो पाता है । मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने जो कार्यवाही की है उसको देखते हुए मुझे आशा है कि योजना काल के अन्त तक हम योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे । इस प्रयोजन के लिये हम छानबीन करते रहे हैं और नई खानों के उत्पादन लक्ष्य में परिवर्तन भी करते रहे हैं ताकि हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो जाये ।

इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों के उत्पादन की तुलना करना कुछ अधिक ठीक नहीं है । वैसे यदि गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी खान में उत्पादन की अच्छी वृद्धि होती है, तो हमें खुले दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए । क्योंकि यह राष्ट्रीय हित की बात है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्यमान खानों में उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी उपाय किये जाते हैं और इसी पर उनका उत्पादन निर्भर होता है । यदाकदा वे नई खानों में कुछ कार्य करते हैं अन्यथा वे विद्यमान खानों के विकास की ओर ही ध्यान देते हैं । माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि विकसित खान की उत्पादन क्षमता बढ़ाना आसान है पर नई खानों का विकास करना कठिन काम है ।

यदि निगम के अधीन की पुरानी खानों के उत्पादन के आंकड़े अलग लिये जायें, तो वे लगभग उतने ही होंगे, जितने गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन के, ऐसा मेरा विश्वास है । जहां तक पुरानी खानों में उत्पादन बढ़ाने का सवाल है हम ने लक्ष्य पूरा कर लिया है और विस्तार कार्य में भी हम ने कुछ प्रगति की है । सरकारी क्षेत्र में हमें छोटी व नई खानों से उत्पादन बढ़ाना है और यह काम काफी कठिन है । अतः अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें काफी कोशिश करनी पड़ेगी ।

माननीय सदस्य की यह आलोचना ठीक है कि अनेक अनुसूचित सहायक कार्यों के पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप हमारी कोयला खानों के विकास कार्य को काफी ठेस लगी है। मैं इस आलोचना को स्वीकार करता हूं । पर माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि नई खानों के विकास में

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

हमें अनेक प्रकार के निर्माण कार्य करने पड़ते हैं : बर्में की खोदाई के आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं; शॅफ्ट सिंक करना पड़ता है, भीतर घुसने के मार्ग बनाने पड़ते हैं । इन सब कामों के लिये हमें तरह-तरह की मशीनों व यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिये हमें प्राय: आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे एक सुयोजित अर्थ व्यवस्था में हम आशा कर सकते हैं कि ये सब बातें समय पर होती जायेंगी तथा सभी निर्माण कार्य समय पर होते रहेंगे । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि खान उत्पादन के लिए दो चार महीने पहले तैयार हो जाये या साइडिंग पहले तैयार हो जाये । अत: चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर-सरकारी क्षेत्र यह कठिनाई दोनों ओर है । अत: इन बातों को हमें सामान्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए न कि ऐसे दृष्टिकोण से कि जैसे कोई बहुत बड़ी त्रुटि हो गई हो।

कुछ खानों में उत्पादन की पूर्ण तैयारी है पर साइडिंग वगैरह न बनने से अभी उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है । इस प्रतिवेदन में इसका उल्लेख कर दिया गया है । हो सकता है कि आगे कुछ टेकनिकल कठिनाइयां आयें, पर प्राय: ऐसी कठिनाइयों की चर्चा सभा में नहीं की जाती ।

माननीय सदस्यों ने कहा कि बाद की अवधि में भी उत्पादन उतना नहीं हुआ है, जितनी आशा थी । पर हमें तो प्रतिवेदन काल की प्रगति से ही मतलब है । फिर भी मैं आप को नवीनतम आंकड़े दूंगा, जो अलग अलग खानों के सम्बन्ध में है । यह नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय खान विकास निगम द्वारा तैयार किये हुए हैं ।

बिहार राज्य :

कठारा .	१५ लाख टन
गिडी .	१५ लाख टन
सौंदा . .	१२ लाख टन
बाचरा	६ लाख टन
चोर धारा . . .	५ लाख टन
भुरकुंडा (द्वितीय) .	७ लाख टन (विद्यमान खान के नजदीक की एक नई खान द्वारा)
सायल ए० और डी	५ लाख टन

मध्य प्रदेश :

कोरबा	१६ लाख टन
कुरसिया	५ लाख टन (विद्यमान खान के नजदीक की एक नई खान द्वारा)
कोरिया	५ लाख टन
कोटमा	५ लाख टन

उड़ीसा राज्य :

बालन्दा . . . . (तालचेर)	५ लाख टन

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कोरबा में लक्षित उत्पादन कम होगा। ध्यान रहे कि कोरबा खान का विकास एक बहुत विस्तृत रूप में होने जा रहा है। इस योजना काल में वहां अनेक ऐसे विकास कार्य किये जाने हैं, जिन के परिणामस्वरूप आगामी योजना के शुरू में ही वहां अच्छा उत्पादन होने लग जाये। मेरा अनुमान है कि हमारे प्रयत्न बेकार नहीं जायेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

१६ लाख टन का उत्पादन करने के अतिरिक्त हम यहां अनेक प्रकार के विकास-कार्य या उपाय करते रहेंगे, जिस के परिणामस्वरूप कोरबा में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इस मामले की यहां कई बार चर्चा हो चुकी है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री विट्ठल राव ने विदेशी विशेषज्ञों के बारे में निष्पक्ष आलोचना की है; चाहे ये विशेषज्ञ रूस के हों अथवा किसी और देश के। उन्होंने कहा कि रूस के विशेषज्ञ इस देश में काफी समय से हैं परन्तु उन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही। मेरे विचार में वे बड़ी सावधानी से अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और चूंकि उसे सविस्तार रूप में प्रस्तुत किया जाना है, अतः कुछ समय अधिक लगने के कारण हमें उन की आलोचना नहीं करनी चाहिये। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि अनुचित रूप में कोई देरी न हो। आरम्भ में सारे मामलों की व्यवस्था करते हुए कुछ समय लग ही जाता है परन्तु अन्ततोगत्वा उस से लाभ ही रहता है। पूरी जांच कर के योजना बनाये जाने के परिणामस्वरूप बहुत सी कठिनाइयों और अनावश्यक खर्चे से बचाव हो जाता है।

इन विभिन्न क्षेत्रों के वास्तविक उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है, मेरे विचार में सदन को अधिक रुचि नई कोयला खानों में होगी। निगम बहुत सी खानों में उत्पादन आरम्भ कर देने में सफल हो गया है, यद्यपि रेलवे साइडिंग की सुविधा केवल कुछ को ही प्राप्त हो सकी है। दूसरी खानों में भी उत्पादन आरम्भ करने का प्रयत्न हो रहा है। बुरखंडा, कुरासिया, सौंडा, गिडी, बचरा, कथारा, कोरबा और सयाल में उत्पादन आरम्भ हो चुका है। बड़े पैमाने पर काम उस समय आरम्भ होगा जबकि रेलवे साइडिंग बनने का काम पूरा हो जायेगा।

†**श्री अ० चं० गुह :** पहले छः मास में नई खानों का उत्पादन क्या रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अभी तो कई खानों के छः मास समाप्त भी नहीं हुए।

रेलवे साइडिंग के मामले में रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन ने बहुत सहायता की है। कई स्थानों पर साइडिंग का काम बहुत शीघ्रता से करा दिया गया है। करनपुरा के अधिक भार को वहन करना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है और गिडी के पास का रेलवे का पुल पूर्ण होने वाला है। अन्य क्षेत्रों में भी रेलवे साइडिंग के मामले में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

रेलवे साइडिंग के बारे में प्रगति इस प्रकार है :

कथारा—अस्थायी साइडिंग का काम पूरा हो गया है। २ जून, १९५९ से कोयला आना जाना आरम्भ हो गया है। आशा है यार्ड भी मार्च १९६० तक पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

गिद्दी—दामोदर के ऊपर का पुल पूर्ण होने वाला है । १९५९ के अन्त तक साइडिंग भी तैयार हो जायेगी । अभी सौंडा की अस्थायी साइडिंग ही प्रयोग में लाई जायेगी ।

सौंडा—अस्थायी साइडिंग पूर्ण हो चुकी है और कोयला का लाना ले जाना आरम्भ हो गया है । यार्ड भी मार्च १९६० तक पूरा हो जायेगा ।

बचरा—'रे' स्टेशन पर माल लादने उतारने की अस्थायी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । साइडिंग शीघ्र ही तैयार हो जायेगी ।

बुरकुंडा—सब-ग्रेड कार्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने पूरा कर लिया है ।

सयाल—मार्च १९६० तक साइडिंग की अस्थायी व्यवस्था पूरी हो जायेगी । कार्य में काफी प्रगति हो रही है ।

कोरबा साइडिंग—साइडिंग संख्या २ मार्च १९५९ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को दे दी गई थी । साइडिंग संख्या २ क सम्भवतः अगस्त १९५९ के अन्त तक पूरी हो जायेगी । बी० टी० के० लाइन पर प्रगति संतोषजनक रूप से हो रही है । मार्च १९६० तक बैकुंठपुर तक और १९६० के अन्त तक करोंजी तक लाइन पूरी हो जायेगी ।

इस से स्पष्ट है कि रेलवे ने थोड़े से समय में ही इस दिशा में काफी काम किया है, हालांकि इस्पात संयंत्रों के सिलसिले में उन के और भी विस्तृत कार्यक्रम थे । उन्हों ने अपनी निर्माण की गति को बढ़ाने का प्रयत्न किया है और उस में उन्हों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है ।

मैं यह सब बातें इसलिये माननीय सदस्यों के समक्ष रख रहा हूं ताकि उन्हें सन्तोष और विश्वास हो जाये कि लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी संभावना है । इन यंत्रचालित खानों में यदि ये सब काम पूरे हो जायें तो वास्तविक उत्पादन के बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । जैसी कि सदन की इच्छा है कि ६०० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाय, मैं इस दिशा में पूर्ण रूप से प्रयत्न-शील हूं । परन्तु इस समस्या का एक पहलू मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

मैं बड़े सन्तोष के साथ कह सकता हूं कि गत एक वर्ष से अधिक के अर्से में किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से कोयले के सम्भरण की कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई । यह बात मैं पूर्ण उत्तरदायित्व से कर रहा हूं । इस का अर्थ स्पष्टतः यह है कि कोयला उत्पादन की गति देश के औद्योगिक विस्तार के साथ साथ चल रही है । कई कारणों से, मुख्यतः विदेशी विनिमय के कारण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें काट छांट करनी पड़ी, जिस के बारे में कई बार इस मामले पर चर्चा हो चुकी है । उस के कारण कोयले की खपत पर हमें कुछ नियंत्रण रखना पड़ा था । वास्तव में खानों में कोयला जमा होने के मामले भी कम नहीं हुए हैं । कई एक मामलों में वैगनों की कमी को कारण बताया गया है । परन्तु अब तो वैगन उपलब्ध होने की स्थिति में काफी सुधार हो गया है । गंगा के पुल पर अवरोध के कारण मुगल सराय से आगे माल लाने ले जाने में कुछ कठिनाई अवश्य है । उस से पाकिस्तान के निर्यात में हमें असुविधा होती है और उत्तर भारत में विशेषतः यू० पी० और पंजाब में कोयला ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस पर भी इन क्षेत्रों में अब सम्भरण की कमी की शिकायत नहीं है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कोयला उद्योग इतनी मात्रा का उत्पादन

करने में सफल हो गया है कि वह ग़ैरसरकारी और सरकारी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने लगा है ।

†**श्री मती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : धुले हुए कोयले के सम्बन्ध में स्थिति क्या है? क्या नये इस्पात संयंत्रों की मांग पूरी हो रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोयला धोने के कारखाने, दो गैर सरकारी क्षेत्र में हैं और एक सरकारी क्षेत्र में । सरकारी क्षेत्र का कारखाना करगली में स्थित है और वह सरकारी क्षत्रों के इस्पात संयंत्रों की मांग पूरी कर रहा है । धुले हुए कोयले के उलब्ध न होने के कारण काम में रुकावट आ जाने की शिकायत नहीं सुनी गयी है । परन्तु फिर भी यह सच है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी किस्म के कोयले, कोकिंग कोयले और धुले हुए कोयले के सम्बन्ध में हमें कुछ कठिनाइयों का सामाना करना होगा । सभा को इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल ६०० लाख टन के लक्ष्य से ही काम नहीं चलेगा । हमें इस समस्या को हल करने के लिये कई काम करने होंगे । इस मामले की ओर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि गंगा ब्रिज के बनने से उत्तर बिहार में किस मात्रा में कोल का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी तो उस को बने बहुत थोड़ा अर्सा हुआ है । अभी उसका इन्तजार करना पड़ेगा ।

कुछ एक ऐसी बातें कही गयी हैं जिस के बारे में मुझे सदन के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है । निदेशक बोर्ड की रचना का उल्लेख किया गया है । कहा गया है कि उस में केवल सरकारी अधिकारी ही लिये गये हैं । और हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम इस में उन लोगों को भी लें जो कि कोयला व्यापार की जानकारी रखते हों और उन्हें भी लें जो टकनिकल जानकारी रखते हों । कोयला व्यापार की जानकारी रखने वाले लोग अधिकतर गैर सरकारी क्षेत्र में ही हैं । ऐसे उद्योगों में जहां सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षत्रों में काम होता हो, वहां हम प्रायः गैर-सरकारी लोगों को निदेशालयों में कम लेते हैं । इसनीति को अपनाने के कई कारण हैं जिनमें मैं इस समय जाना नहीं चाहता । हमारा कायदा यह रहा है कि गैर सरकारी क्षेत्र में लगे लोगों को बाहर ही रखा जाय । इस लिये चाहे इसे नौकरशाही कहिये अथवा राष्ट्रीयकरण कह लीजिये तथ्य यह है । मैं अपने माननीय मित्र श्री अ० चं० गुह की यह बात नहीं समझ सका कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ नौकरशाही नहीं समझा जाना चाहिये । यह तो जरूरी बात है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरशाही कर्मचारी ही आयेंगे । यह ठीक है कि नौकरशाही शब्द का इतिहास अच्छा नहीं रहा है । लेकिन सरकारी उपक्रमों में तो ऐसे ही लोग होंगे जो कि सरकारी कर्मचारी हों । चाहे उन्हें सीधा भर्ती किया जाय अथवा राज्यों के उपक्रमों से लिया जाय । उसका नाम सरकरी कर्मचारी, जनसेवक, नौकरशाही कर्मचारी कुछ भी रख सकते हैं । विशिष्ट नाम या शब्दों को चुन कर आलोचना करना न्याय नहीं कहा जा सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ति** : टेकनिकल कार्य करने वाले लोग जैसे इंजीनियर इत्यादि तो निदेशालय में लिये जा सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय महिला सदस्य ठीक कहती है, परन्तु टेक्निकल लोगों का खान सम्बन्धी टेकनिकल ज्ञान रखना जरूरी नहीं है । हमने खानों के एक इंजीनियर को, जो कि सिगरेणी खान के सरकारी उपक्रम से सम्बन्धित है, निदेशालय में रखा है और अब वह निदेशालय के सदस्य हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

रेलवे के लोगों का टेकनिकल ज्ञान भी इस दिशा में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वैसे भी हमारे उत्पादन के एक तिहाई भाग की रेलवे में ही खपत होती है। रेलवे से सम्बन्धित लोगों को भी टेकनिकल व्यक्ति ही कहा जा सकता है। यह बात सिद्धान्त की दृष्टि से तो ठीक है परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि हमें इन क्षेत्रों से ऐसे समुचित व्यक्ति मिलते भी नहीं जिनको कि उपरोक्त पदों पर नियुक्त किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, क्रय-विक्रय, कर्मचारियों और श्रम सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में भी काफी काम होता है। इन मामलों की जानकारी रखने वालों को भी निदेशक बोर्ड में लेना होता है। एक श्रम नेता को निदेशालय में लिया गया है जिसका बहुत ही लाभ हुआ है। इनका नाम श्री कान्ति मेहता है और यह कोयला खान क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध मजदूर नेता हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लाभ का भी उल्लेख किया गया है। माननीय सदस्यों ने स्वयं ही कम लाभ होने के कारण बता दिये हैं। गिरिडीह खान का मामला काफी प्रसिद्ध है। और उसी के कारण ही यह कहा जाता है कि खानों को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाये। गिरिडीह में काफी मात्रा में अच्छी किस्म का कोयला खराब हुआ। मैं इस बात का कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मैं माननीय सदस्यों से केवल यही कहूंगा कि वे स्वयं जाकर उसको देखें। बोकारो में कोयला खूब है और बहुत अच्छा है। बहुत से विदेशियों की भी यही राय रही है कि वहां बहुत अच्छी परत मौजूद है। यह ईश्वर की कृपा है कि इस प्रकार हमें यहां बड़ा अच्छा और सस्ता कोयला उपलब्ध हो सकता है। गिरीडीह में हालात इससे विपरीत हैं और दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। गिरीडीह में तो हम अपना व्यय भी खो बैठे हैं। परन्तु हम दो कारणों से इसे चला रहे हैं। एक तो यह कि यहां अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध होता है और दूसरे यह कि इस में काफी मजदूर लग हुए हैं। हम ऐसा कोई पग नहीं उठा सकते जिससे हजारों मजदूर एकाएक बेकार हो जाय। इसका एक तरीका तो यह है कि कोयलेका मूल्य बढ़ा दिया जाय और मेरे विचार में अधिक मूल्यके खरीददार भी मिल सकते हैं। परन्तु अभी तक हमने इस दिशा में कुछ किया नहीं और एक खान के नुकसान को दूसरी खान के मुनाफे से पूरा करते हुए इस खान को चलाते ही आ रहे हैं।

टेकनिकल समिति की जो बात कही गयी है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि हमने उसकी कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया है। कहा गया है कि टबों के साइज बढ़ा देने से उत्पादन बढ़ सकता है। मैं नहीं जानता कि मालिकों और मजदूरों में इस मामले पर कोई मतभेद है या नहीं। यदि नहीं है तो इसे तुरन्त ही कार्यान्वित किया जा सकता है। शायद इससे हानि की मात्रा भी कम हो जाय।

इन निकायों की स्वायत्तता का प्रश्न प्रस्तुत किया गया, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि स्वायत्तता और संसद् की नियन्त्रण रखने की इच्छा के बीच का रास्ता निकालना होगा। यदि संसद् अपना नियन्त्रण जारी रखना चाहती है तो इसे मुख्यालय के द्वारा ही अपना कार्य करना होगा। परन्तु सरकार की नीति तो विकेन्द्रीयकरण की रही है और उसकी इच्छा है कि राज्य उपक्रमों को संसदीय जिम्मेदारी के अनुरूप अधिक से अधिक उत्तरदायित्व दे दिया जाय। यदि संसद् इन मामलों में अधिक विस्तार में न जाय, और उन बातों पर भी नियन्त्रण करने का बहुत प्रयत्न न करे जिसकी कि कुछ अधिक आवश्यकता नहीं हो तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है।

मैं नीति के मामलों में संसदीय नियन्त्रण की आवश्यकता से इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु हमें बहुत सा प्रशासनिक कार्य निकायों पर छोड़ना पड़ेगा। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि

सरकार ऐसे कोई अधिकार अपने पास रखना नहीं चाहती जिनसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अथवा किसी राज्य निकाय के कार्यों में किसी प्रकार की देर की जाय।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी कुछ खास खास बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी सुझाव दिये गये हैं उनको निगम की प्रगति के सम्बन्ध में हमेशा ध्यान में रखा जायेगा।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा है कि मैंने शुरू में रिपोर्ट के लिये मंत्री महोदय को मुबारकबाद दी, परन्तु जो बातें मैंने कहीं, उनमें बहुत कुछ मुबारकबाद की बातें नहीं थीं। मैं फिर से मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, उनके सम्बन्ध में उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक विवरण दिया। कुछ बातों में मेरा और उनका मत नहीं मिलता है।

एक खास बात मैंने यह देखी है कि नौ करोड़ रुपये सरकार के एन० सी० डी० सी० में लगे हुए हैं। उसका एक लाख रुपया मुनाफ़ा हुआ है। अगर छः परसेंट ब्याज हम गिनें, तो ५४ लाख खाली ब्याज हो जाता है। एक्चूअली वह घाटा हुआ ५४ लाख रुपए का—वह मुनाफा नहीं हुआ एक लाख रुपए का। जैसा कि सेठ अचल सिंह ने कहा है, प्राइवेट सैक्टर की चालीस लाख, अस्सी लाख की कम्पनियां हैं, जोकि बीस, तीस लाख रुपए साल का मुनाफ़ा करती हैं, जिसमें से आधा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में जाता है और बाकी शेयर होल्डर्ज को जाता है। इसलिये हम खाली गिरिडी कालियरी का ही नाम लेकर यह चीज चालू नहीं रख सकते कि क्योंकि उसमें घाटा हो जाता है, इस लिए दूसरी कालियरीज का नफ़ा उस में चला जाता है। अगर उसमें घाटा होता है और अगर इन बीस बरसों में पचास करोड़ रुपए का घाटा हम दे चुके हैं, तो खाली अच्छा कोयला है, दूसरा उसको नहीं चलायेगा, यह उसका कारण नहीं हो सकता कि उसमें बराबर घाटा होता जाये। इसलिये फिर मेरी यह प्रार्थना है कि उन कालियरीज की अच्छी तरह से जांच कराई जाये और जिस तरह से भी हो, उस घाटे को बन्द किया जावे।

मंत्री महोदय ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर के उन आदमियों को, जो कि उसी कारोबार में लगे हुए हैं, वह लेना पसन्द नहीं करेंगे। जैसा कि श्रीमती रेणु चकरवर्ती ने कहा, यह जरूरी नहीं है कि उसी कारोबार में लगे हुए आदमियों को प्राइवेट सैक्टर से लिया जाये। दूसरे कारोबार में ऐसे आदमी मिलेंगे, जो कि बिजनेस में हुश्यार हैं, या टैक्निकली हुश्यार हैं, उनको लिया जा सकता है। जिनकी कोल-माइन्ज नहीं हैं,उन को लिया जा सकता है। लेकिन जिनकी कोल-माइन्ज हैं. सिरफ इसलिये ही उन को न लेना और लगातार पच्चीस, तीस चालीस लाख रुपए का घाटा करते जाना मेरी समझ में नहीं आता।

मैंने बोकारो से कम्पेयर किया और झरिया कोल-माइन्स को गिरिडी से कम्पेयर किया था। दूसरी बात मैंने यह कही थी कि वहां गैर-हाजिरी होती है—तीस परसेंट गैरहाजिरी होती है। कालियरी खराब है, उसमें घाटा हो जाता है, लेकिन गैरहाजिरी होने का कोई कारण नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिये। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि गिरिडी कालियरी में जब बराबर घाटा होता है, उसके लिए एक जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिये, जो तरीके बताए कि किस तरह से यह घाटा कम हो या बन्द हो, क्योंकि उन कालियरीज में एन० सी० डी० सी० का सारा नफा चला जाये, यह कोई वांछनीय बात नहीं है। गुहा साहब ने कहा कि आप सबसिडी दीजिए। सरकार सबसिडी नहीं दे सकती है। अगर सरकार इन कालयरीज को सबसिडी देती है, तो प्राईवेट सैक्टर

[श्री रामेश्वर टांटिया]

की दूसरे घाटे की कालियरीज भी सबसिडी मांगेंगी। वे भी कहेंगी कि हमारी डिफ़ीकल्ट कालियरी है, हम को सबसिडी दीजिए। सरकार दाम बढ़ा सकती है, कोई और तरीका अपना सकती है। सरकार ने यह जो एक सिर दर्द मोल ले लिया और एन० सी० डी० सी० की एक लिमिटिड कम्पनी बनाई और दो कालियरीज को ले लिया और उन में बराबर घाटा होता रहे और नौ करोड़ रुपए का कोई फायदा नहीं मिले, यह बात समझ में नहीं आती। अगर उन कालियरीज में घाटा है, तो मैं फिर कहूंगा कि उन कालियरीज की पूरी तरह जांच की जाये उसमें बाहर के आदमी लिए जायें और उस जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाये। पहले जांच कराई भी गई है। जांच की कुछ चीजें गवर्नमेंट ने मंजूर की और एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ नहीं कीं। उसका मुझे पूरा मालूम नहीं है। परन्तु पचास लाख, चालीस लाख रुपए का जो घाटा लगातार बरसों से हो रहा है, उसको हर हालत में बन्द करना चाहिये, या कम करना चाहिये। उसके लिये जो भी कदम हो, वह उठाया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय**: अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो १७ फरवरी, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १३ अगस्त, १९५९

२२ श्रावण, १८८२ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	११११—३४
तारांकित प्रश्न संख्या	
३८१ पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां	११११—१४
३८२ आसाम राइफल्समैन तथा मनीपुर पुलिस की भिड़न्त	१११४—१६
३८३ सिंचाई और विद्युत् की बड़ी परियोजनाओं में मितव्ययता	१११६—१८
३८४ विधान-मण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का सुरक्षण	१११८—२०
३८५ दिल्ली में इंजीनियरिंग कालेज	११२०–२१
३८६ भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	११२२
३८७ मैगनेशियम कारबोनेट	११२३
३८९ हिन्दू धार्मिक संस्थायें	११२३—२५
३९० दिल्ली में बाढ़ें	११२६–२७
३९१ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्	११२७–२८
३९२ पाकिस्तानी हरकारों की गिरफ्तारी	११२८—३२
३९३ मध्य प्रदेश में सिंगरौली में कोयले के निक्षेप	११३२
३९५ उड़ीसा में फेरो-मैंगनीज का उत्पादन	११३२–३३
३९६ मिश्रधातु और औजारी इस्पात सन्यन्त्र	११३३–३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	११३४—११६०
तारांकित प्रश्न संख्या	
३८८ भारत के संग्रहालयों सम्बन्धी पुस्तक	११३४
३९४ विनियोजन परिषद्	११३५
३९७ रत्नागिरि में खुदाई	११३५
३९८ खेतरी में खनिज निक्षेप	११३५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

३९९	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में रेडियो वाल्व का उत्पादन	११३६
४००	भारतीय वायु सेना के सिगनल स्टेशन सेंटर, गड़गांव में अग्निकाण्ड .	११३६–३७
४०१	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन .	११३७
४०२	जीवन बीमा निगम . .	११३७
४०३	सामान्य आवास सहकारी समितियां	११३७–३८
४०४	हिमाचल प्रदेश में लोहे की नालीदार चादरों की कमी .	११३८
४०५	अजन्ता गुफाओं के लिये सरिता-उद्यान	११३८
४०६	इंजीनियरिंग कोर्सों में भर्ती की आयु	११३८–३९
४०७	ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी	११३९
४०८	रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद . . .	११३९
४०९	अगरतला में गांधी घाट .	११४०
४१०	कोयले का उत्पादन . .	११४०
४११	दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश . .	११४०
४१२	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम .	११४१
४१३	कोयले की खुली खदान . . .	११४१
४१४	दोहरे करावान से बचने के लिये करार .	११४१
४१५	दिल्ली में स्कूल, अध्यापकों की नौकरी समाप्त करना	११४२
४१६	जीवन बीमा निगम के लिये संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	११४२
४१७	विदेशों में विदेशी भाषाओं का अध्ययन	११४२–४३
४१८	पश्चिमी जर्मनी से ऋण .	११४३
४१९	इंजीनियरिंग कालेज . .	११४३–४४
४२०	कर्मचारियों की शिक्षा के लिये सांध्य संस्था	११४४–४५
४२१	इराकी वायु सेना के लिये भारतीय शिक्षक . . .	११४५
४२२	मणीपुर तथा अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	११४५
४२३	रूरकेला में कच्चे लोहे का उत्पादन . .	११४५–४६
४२४	भारत सेवक समाज . .	११४६
४२५	गौहाटी का तेल शोधक कारखाना .	११४६–४७
४२६	सरकारी उपक्रमों का अंशदान	११४७–४८
४२७	दिल्ली में पाठ्य, पुस्तकों की कमी . . .	११४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४२८ अवैध शराब तैयार करना . ११४८
४२९ पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें निश्चित करना . ११४८—४९
४३० ऋण सूचना विभाग . . ११४९
४३१ माध्यमिक स्कूलों के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण ११४९
४३२ नन्दकोटा अभियान . ११५०
४३३ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ११५०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७०८ पंजाब में प्रादेशिक भाषायें . ११५१
७०९ बन्दियों की सजा का कम किया जाना ११५१
७१० पंजाब राज्य की सेवाओं का एकीकरण ११५१
७११ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय . ११५२
७१२ माहुर और मिहिर पर नागा आक्रमण . . ११५२
७१३ प्रतिरक्षा संस्थापनों में वार्धक्यता प्राप्त कर्मचारियों को पुनः काम पर रखना . ११५२
७१४ त्रिपुरा का 'मातृत्र' साप्ताहिक ११५२—५३
७१५ अन्य पिछड़े वर्ग . . . ११५३
७१६ आसाम में अन्य पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां ११५३
७१७ भोपाल में कला-दीर्घा . ११५४
७१८ दिल्ली नगर निगम को ऋण ११५४
७१९ धन-कर . . ११५४
७२० शिक्षा सर्वेक्षण ११५४—५५
७२१ विदेशी मुद्रा . ११५५
७२२ कर गवेषणा एकक . ११५५
७२३ राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति . ११५६
७२४ अपीलीय न्यायाधिकरणों में अवशिष्ट कार्य ११५६
७२५ बोकारो से चौथा इस्पात कारखाना ११५६—५७
७२६ बर्नपुर स्थित इस्पात कारखानों का विस्तार . . ११५७
७२७ निर्मित इस्पात उपभोग विशेषज्ञ समिति . . ११५७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्नसंख्या	विषय	पृष्ठ
७२८	गहरा छेद करने वाले बर्मों का रूस से क्रय .	११५८
७२९	बम्बई में नौसेना नावांगन	११५८
७३०	विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में सुधार	११५८–५९
७३१	शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन .	११५९
७३२	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग .	११५९–६०
७३३	कोयला उत्पादन	११६०
७३४	उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्	११६०
७३५	विधि आयोग का प्रतिवेदन . . .	११६०–६१
७३६	राष्ट्रीय युवक केन्द्र, नई दिल्ली .	११६१
७३७	स्टेटिक वर्कशाप, नई दिल्ली, से हथियारों की चोरी . .	११६१
७३८	संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त सदस्यों का गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करना	११६२
७३९	भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों की संख्या	११६२
७४०	सैद्धान्तिक भौतिकी सम्बन्धी गोष्ठी	११६३
७४१	विश्वविद्यालय शिक्षा .	११६३–६४
७४२	राज्यों को शिक्षा अनुदान .	११६४
७४३	पंजाब में स्कूल निरीक्षकालय का पुनर्गठन . .	११६४–६५
७४४	पंजाब में पुनर्शैलन मिलें	११६५
७४५	मैसूर राज्य में पाइराइट्स निक्षेपों के सर्वेक्षण के लिये अमरीकी सहायता . . .	११६५
७४६	सरकारी उपक्रम . . .	११६५–६६
७४७	चित्तौड़गढ़ में खुदाई कार्य .	११६६
७४८	किनवट (बम्बई राज्य) में लिग्नाइट निक्षेप .	११६७
७४९	मनीपुर में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक करों की वसूली	११६७–६८
७५०	आय-कर अपवंचन	११६८
७५१	सिंगभूम (बिहार) में सेलखड़ी की खानें .	११६८
७५२	टेहरी-गढ़वाल में जिप्सम निक्षेप	११६८
७५३	अण्डमान में बसे लोग	११६९
७५४	राष्ट्रमण्डल विकास बैंक .	११६९
७५५	मन्त्रालयों द्वारा प्राप्त हिन्दी पत्र .	११६९

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७५६ विभागीय नियमों का हिन्दी में अनुवाद ११६९–७०

७५७ हिन्दी में विश्वविद्यालय शिक्षा . ११७०

७५८ संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद . ११७०

७५९ जोधपुर में प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला . ११७१

७६० नागा पहाड़ियों के तुएनसांग क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ११७१

७६१ मनीपुर प्रशासन में सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही . ११७२

७६२ सरकारी पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता ११७२

७६३ विवियन बोस जांच बोर्ड ११७२

७६४ मध्य प्रदेश में आय-कर . ११७३

७६५ कैम्प कालेज, नई दिल्ली . ११७३

७६६ भारत का राज्य बैंक ११७३–७४

७६७ विवियन बोस जांच बोर्ड . . ११७४

७६८ भारतीय ज्योतिष और संस्कृत अनुसंधान संस्था . ११७४

७६९ खनिजों का उत्पादन ११७४–७५

७७० हिमाचल प्रदेश का पुरातत्वीय सर्वेक्षण . . ११७५–७६

७७१ हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण संस्थायें . . ११७६

७७२ हिमाचल प्रदेश में स्कूल के भवन ११७६–७७

७७३ फारस की खाड़ी के राज्यों और मस्कत में विशेष प्रकार का एक रुपये का भारतीय नोट . . . ११७७

७७४ दिल्ली निवासियों के लिये अधिवास प्रमाणपत्र . . ११७७–७८

७७५ अखिल भारतीय अन्ध सम्मेलन . . ११७८

७७६ ग्राम्य शिक्षा समिति . . . ११७८–७९

७७७ रांची में खनिज . . . ११७९

७७८ पंजाब में भू-भौतिकीय खोज . . . ११७९

७७९ त्रिपुरा सचिवालय का प्रशासकीय ढांचा . ११७९

७८० त्रिपुरा में अध्यापकों के वेतन . ११८०

७८१ समाज शिक्षा ११८०

७८२ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में भर्ती . . ११८०

७८३ सोने का तस्कर व्यापार ११८०–८१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
७८४ कर्मचारी परिषदें	११८१
७८५ भारत सरकार के मन्त्रालयों में क्लर्क	११८१–८२
७८६ अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष	११८२
७८७ त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक	११८३
७८८ टैक्नीकल सहायता	११८३–८४
७८९ अन्दमान द्वीपों को स्टीमर सेवा	११८४–८५
७९० टाइप की परीक्षायें	११८५–८६
७९१ प्राइमरी स्कूल में छात्रों के लिये दोपहर का भोजन	११८६
७९२ दिल्ली में कालेज शिक्षा	११८६
७९३ सैकण्डरी परीक्षा में फेल होना	११८६–८७
७९४ सैनिक स्कूल, देहरादून	११८७
७९५ बम्बई में सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा ली गयी तलाशी	११८७
७९६ प्रथम और द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती	११८७–८८
७९७ जाली नोटि	११८८
७९८ ग्राम्य सहकारी समितियों को ऋण	११८८
७९९ आय-कर और उत्पादन शुल्क विभागों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	११८८
८०० आसाम में आय-कर के मामले	११८९
८०१ कोयले का निर्यात	११८९
८०२ उड़ीसा में लम्बित आय-कर के मामले	११८९
८०३ जन सम्पर्क समिति, दिल्ली	११८९–९०
८०४ चांदी का तस्कर व्यापार	११९०
स्थगन प्रस्ताव	११९०–९३

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके आगे बताये गये सदस्यों द्वारा दी गई थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(ए) सिक्किम, भूटान और लद्दाख की "मुक्ति" के लिये चीनी अधिकारियों द्वारा कथित प्रचार आन्दोलन।	सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, उ० ल० पाटिल और ब्रज राज सिंह द्वारा सूचनायें दी गयीं।

स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

(दो) कलकत्ते की एक जेट्टी में उतारे गये गेहूं के साथ डी० डी० टी० का कथित मिश्रण । — सर्व श्री स० मो० बनर्जी और पाणिग्रही द्वारा सूचनायें दी गयीं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११९३—९४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूप-भेद) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या ८६१ की एक प्रति ।

(२) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक २७ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ८७८ में प्रकाशित हैदराबाद खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (विघटन) आदेश, १९५९ की एक प्रति ।

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८७ की एक प्रति ।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (नियत दरें), नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या ८८८ की एक प्रति ।

(५) १९५८ और १९५९ में कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के सब-डिवीजनों में मोटे चावल के फुटकरप्मूल्यों के विवरण के, जो ७ अगस्त, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, शुद्धि-पत्र की एक प्रति ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण ११९४

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९५५—५६ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त विनियोग का एक विवरण उपस्थापित किया ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारें में विवरण—(क्रमशः)

(२) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९५६–५७ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

याचिका उपस्थापित ११९४

श्री रामचन्द्र माझी ने आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक १९५९ के बारे में ५७४ याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की।

विधेयक विचाराधीन ११९५—१२०९

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक, १९५९ पर विचार करने के प्रस्ताव पर और विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के संशोधन पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १२०९—२४

श्री रामेश्वर टांटिया ने प्रस्ताव किया कि यह सभा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वर्ष १९५७–५८ के प्रतिवेदन पर विचार करती है। श्री टांटिया ने वाद विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि

चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।

———